खण्ड-304, अंक-10
शुक्रवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1895
(4 मई, 1973 ई0)

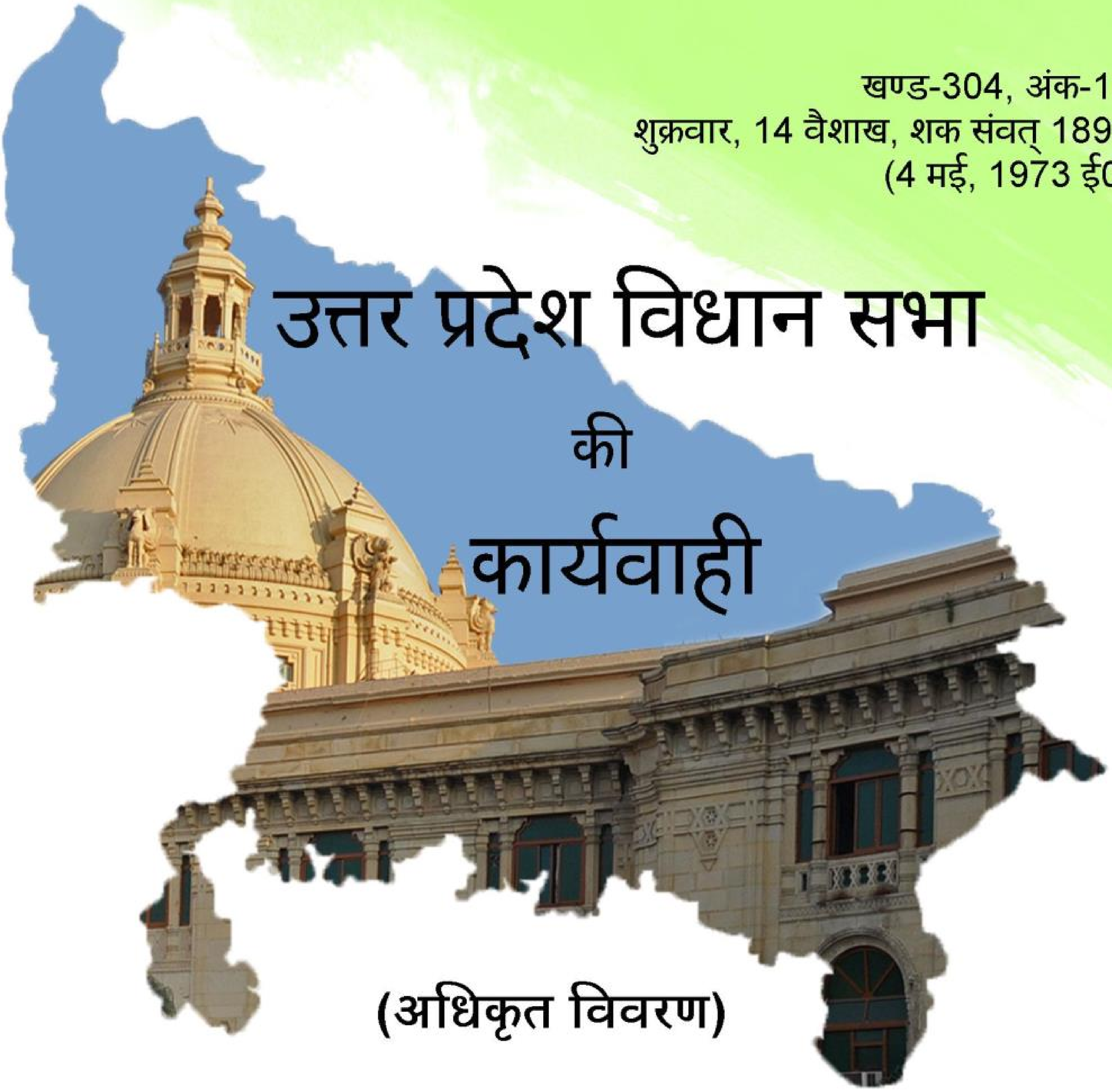

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 304 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 4 मई, 1973 ई०

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--367

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ब्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्ण कान्त अबस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी

गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री,
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम देव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निरोह राय, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवदी, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव वचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 4 मई, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राजस्व मन्त्री द्वारा पच्छिमी जिलों में हाई कोर्ट की बेंच खोलने की घोषणा

**1—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर), श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजस्व मंत्री श्री उदित नारायण शर्मा ने मैनपुरी में 13 अप्रैल, 1973 को हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी जिलों में खोलने की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्णय ले लिया और वह स्थान कहां होगा ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

ऐसी कोई घोषणा राजस्व मंत्री जी द्वारा नहीं की गयी। शासन ने अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है? अतः स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 9 अप्रैल को उन्होंने मैनपुरी में घोषणा की है कि हाई कोर्ट की बेंच आगरा में होगी?

श्री राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, यह सही है कि मैं मैनपुरी गया और जब मैं वहां मेले में जा रहा था तो वहां के बार एसोसियेशन के लोग नारे लगाते हुए आये और मुझसे यह मांग की कि हाई कोर्ट की जो बेंच खुलने वाली है, वह मेरठ के बजाय आगरा में खुले। मैंने उत्तर दिया कि शासन ने अबतक यह निर्णय नहीं लिया है कि कोई बेंच वहां खोली जावेगी। इस संबंध में महाधिवक्ता की राय ली गई थी और वह इसके विरुद्ध थी। हालत जो कानूनी इस संबंध में है उसके अनुसार कोई बेंच खुलने वाली नहीं है लेकिन अगर निर्णय हुआ कि खोली जावेगी, तब इस पर विचार कर लिया जावेगा कि आगरा में खोली जाय या मेरठ में खोली जाय।

श्री हिम्मत सिंह—

म पायनियर का कटिंग पढ़ रहा हूं।

"The Minister for Revenue was addressing the Bar Assciation at Main puri. He particularly susported the demand for opening a High Cort Bench at Agra. he said hepreferred it at Agra because of its historical background and of being the only corporation town in western U. P."

श्री अध्यक्ष—

यह स्टेटमेंट जो छपा था, आपका ध्यान इस ओर गया है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, पायनियर में जो स्टेटमेंट छपा है वह मुझे देखने को नहीं मिला लेकिन ठीक इसी प्रकार की सूचना जागरण में छपी थी, वह देखने को मिली थी। मैंने उसके बाद पी०टी०आई० के श्री सप्रू को टेलीफोन किया था कि यह सूचना गलत है और इसका खंडन कर दिया जाय। उन्होंने कहा था कि ऐसा कर देंगे।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने अनेक बार यह आश्वासन दिया कि हम पश्चिमी जिलों में किसी भी भाग में बेंच खोलने पर विचार कर रहे हैं। तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह शासन के विचाराधीन है और जल्दी ही निर्णय ले लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं जानना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने मैनपुरी में बार एसोसियेशन को यह बतलाया है कि इस विषय पर महाधिवक्ता को असेम्बली में बुला कर पूछा गया था और उन्होंने भी इसके अन्दर राय दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानना चाहता हूं कि महाधिवक्ता कब यहां पर आये इस विषय पर और यदि यह बात गलत है तो इतनी सदन में बात कैसे हुई?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, लखनऊ बेंच का जो झगड़ा चल रहा था उसके सिलसिले में महाधिवक्ता को बुलाने की कृपा की थी । उस वक्त उन्होंने इस संबंध में कि कोई नयी बेंच खुल सकती है या खोलने का हमको अधिकार है उस पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया था तो यह राय दी थी कि.....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्वाइंट इन ईश्यू ही नहीं था कि मेरठ हो या आगरा हो ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप ट्रायल ले रहे हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इन्होंने गलत-बयानी की । महाधिवक्ता ने यह कहा.....

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा कि महाधिवक्ता ने यह बात यहां कही थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उन्होंने यह थोड़े ही कहा था कि मेरठ में या आगरा में न हो.....

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा था कि कोई और ज्यादा बेंच बढ़ाना.....

श्री नित्यानन्द स्वामी--

लेकिन उन्होंने कोई निगेटिव उत्तर नहीं दिया था मैं विशेषाधिकार का प्रश्न मंत्री जी के खिलाफ उठा रहा हूं । कल नोटिस दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

नोटिस देने से क्या होता है ? मैं थोड़े ही स्वीकार करूंगा । वह ठीक कह रहे हैं ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, यह तो बात सही है कि मंत्री जी ने यहां इस संबंध में झूठ बोल दिया है लेकिन खैर, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं । यहां बहस हुई थी तो यह कहा गया था कि मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच खुलने के संबंध में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पत्र-व्यवहार हो रहा है । मैं उसके संबंध में जानना चाहता हूं कि वह किस स्टेज पर है ? क्या वहां से कोई जवाब आ गया है या नहीं ? और अगर नहीं, तो क्या मंत्री जी कोई रिमाइंडर भेजेंगे कि इसमें जरा जल्दी की जाय ?

श्री राजबिहारी सिंह--

रिमाइंडर जरूर भेज दिया जायगा ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मेरा निवेदन यह है कि माननीय बलबीर सिंह जी ने जो कहा वह असंसदीय है कि मैंने यहां पर "झूठा बयान" दिया है, झूठ बोला है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह झूठ ही नहीं है, "झूठों का बंडल" है और इंगलैण्ड के.....

श्री अध्यक्ष--

"झूठ" शब्द अनपार्लियामेंटरी है ।

श्री बलबीर सिंह—

यह "पैक आफ लाईज है", दिस इज पार्लियामेंटरी ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

मंत्री जी ने कहा कि अभीतक शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मामला विचाराधीन है और क्या शासन सिद्धांततः मानता है कि पश्चिमी विभाग में एक अलग बेंच खुलनी चाहिये ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैंने निवेदन किया कि मामला विचाराधीन है । अगर सिद्धांततः मानते नहीं तो विचार कैसे होता ?

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था नहीं उत्पन्न होती है । जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो व्यवस्था का प्रश्न कहां से उठा ? आप प्रश्न कीजियेगा ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

प्रश्नों से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के नाम पर इल्लिगली आप प्रश्न पूछते हैं । आप बैठिये ।

श्री कल्याण सिंह—

मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सिद्धांततः वह मानते हैं कि पश्चिमी जिलों में बेंच होनी चाहिये, चाहे किसी जिले में भी हो । उन्होंने कहा कि केंद्र को लिखा भी गया है और स्मृतिपत्र भी दोबारा भेजा है । तो क्या मंत्री जी इस सदन को निश्चित आश्वासन देंगे कि वह कितना समय और लेंगे जिससे इसमें अन्तिम निर्णय हो कर किसी पश्चिमी जिले में हाई कोर्ट की बन्च खोल दी जाय ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यह सम्भव नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकदमों की संख्या, जनता की सुविधा और करीब 76 हजार हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेज को ध्यान में रखते हुये क्या इधर हाई कोर्ट के बेन्च की आवश्यकता और उसके औचित्य को सरकार स्वीकार करती है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

जहां तक औचित्य का सवाल है, जहां तक मुझे स्मरण है इस सदन में हर डिवीजन में हाई कोर्ट की बेन्च खोलने की बात चल रही है । जब आपने कहा कि मेरठ में बेन्च खोली जाय तो उस पर यहां बहस हो चुकी है, जवाब दिया जा चुका है और निर्णय लिया जायगा, विचार हो रहा है । प्रश्न केवल था राजस्व मंत्री की घोषणा के ऊपर । उसका जवाब है 'नहीं' ।

श्री कल्याण सिंह—

सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट की बेन्च खोलने के लिये केन्द्र को पहली बार किस तिथि में पत्र लिखा और रिमाइन्डर किस तिथि में दिया है ?

श्री राज बिहारी सिंह--

पत्र किस तारीख को लिखा गया इसके लिये सूचना की जरूरत है और मैंने जवाब दिया कि रिमाइन्डर दिया जायगा, अभी दिया नहीं गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह चर्चा कई साल से यहां पर चल रही है और अभी पिछले दिनों इसके ऊपर डिबेट हो चुकी है और हर बार इस सवाल को सरकार टालना चाहती है और अभी राजस्व मंत्री जी ने झूठ का पुलिन्दा इस सदन के सामने रख दिया । माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से आज इस सदन के अन्दर आश्वासन दें कि इसी जून-जुलाई तक मेरठ अथवा आगरा में हाई कोर्ट की एक बेन्च स्थापित कर दी जायगी ।

श्री राज बिहारी सिंह--

यह मामला बड़ा पेचीदा और बड़ा गम्भीर है । इसमें समय लगना अनिवार्य है । तुरन्त आश्वासन देना मुश्किल है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा सरकार के विचाराधीन है, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करते वक्त ला कमीशन की 14वीं रिपोर्ट का ध्यान रखेगी जिसमें यह कहा गया है कि सेटिंग अप आफ बेन्चेज आफ दि हाई कोर्ट एट डिफरेन्ट सेन्टर्स इन ए स्टेट इज अनडिजायरेबिल ? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि बार-बार यह प्रश्न उठाया जाता है इसलिये कैटेगोरिक्ली सरकार एक निश्चित स्थिति बनाने के लिये क्या यह एलान करेगी कि अब कोई और दूसरी बेन्च नहीं खोली जायगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरे इस सवाल का निश्चित रूप से उत्तर नहीं दिया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई-कोर्ट की एक बेन्च खोली जायगी । हम लोग सरकार के इस रवैये के खिलाफ दो मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेन्च खोलने से इन्कार कर रहे हैं ।

(श्री नित्यानन्द स्वामी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)---

सरकार द्वारा जनता की मांग की अवहेलना बारबार हो रही है इसलिये हम भी सदन का त्याग करते हैं । (व्यवधान)

(श्री हुकुम सिंह परिहार सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के दबाव में माननीय मंत्री जी आ गये हैं इसलिये हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री चन्द्रभान शर्मा अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(3) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

कुमायूं एवं गढ़वाल वन समिति, नैनीताल द्वारा लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही

*1--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 22 व 23 अक्तूबर सन् 1972 ई0 को कुमायूं एवं गढ़वाल वन समिति, नैनीताल की बैठक में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर समिति ने जो निर्णय किये थे उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री इन्द्र लाल--

क्या माननीय वन मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि अक्तूबर, 1972 में कुमायूं एवं गढ़वाल वन समिति, जो प्रदेशीय सरकार द्वारा गठित की गयी है, ने जो निर्णय लिये उसको वह निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं ? अगर था तो आज 6 महीने तक उस समिति के निर्णयों पर किन अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

कंजरवेटर और डी0 एम0 को फिर से कहा गया है कि जो भी निर्णय लिये गये हों उनको जल्दी से जल्दी भेज दिया जाय ।

श्री इन्द्रलाल--

श्रीमन्, कमिश्नर महोदय इस समिति के अध्यक्ष हैं, कंजरवेटर उसके सेक्रेटरी हैं और जिलास्तर के अधिकारी उसके सदस्य हैं । उसमें विधायक भी हैं । क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि जिन अधिकारियों ने इस समिति के प्रस्तावों के अनुसार कार्यवाही नहीं की है उनको आदेश दिया जायेगा कि वे एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही शुरू कर दें ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

बहुत शीघ्र कार्यवाही शुरू करा दी जायेगी ।

श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समिति को कोई अधिकार भी है या यूं ही लोगों को खुश करने के लिये इस समिति को बना दिया गया है क्योंकि इसकी सिफारिशों को लागू ही नहीं किया जाता है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इस समिति को केवल सलाह देने का ही अधिकार है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

जो यह मीटिंग हुई थी उसमें कौन-कौन से प्रस्ताव पारित हुये थे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इन सलाहकार समितियों का गठन संविधान के अन्तर्गत किया जाता है और उनकी सिफारिशों को अवश्य लागू किया जाना चाहिये जब तक कि वे नियमों तथा संविधान के विरुद्ध न हों । उनकी एडवाइज को मानना इनके लिये कम्पलसरी है । क्या मंत्री जी ऐसा समझते हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--
जो भी सलाह शासन मुनासिब समझता है उसे मानता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--
मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि सूचना एकत्र कर रहे हैं । 22 व 23 अक्तूबर, 1972 को इस समिति की बैठक हुई थी। आज 4 मई, 1973 है। अभी तक उस समिति के प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया । वह प्रस्ताव यहां अभी तक नहीं भेजे गये । ऐसी सूरत में क्या मंत्री जी इस समिति को डिजाल्व करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--
श्रीमन्, डिजाल्व करने का प्रश्न नहीं उठता है, अब उनसे कहा जायगा कि वह जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भेज दें ।

श्री राम धारी शास्त्री (जिला देवरिया)--
जब इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से है कि 22-23 अक्तूबर को समिति ने जो निर्णय लिया उनकी कम्पलायंस हुई या नहीं, और मंत्री जी की तरफ से यह आया कि कंजरवेटर आफ फारेस्ट से कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कम्पलायंस की जाये, किन्तु प्रश्न यह है कि यदि उनको यह नहीं मालूम है कि समिति के सुझाव क्या थे तो किस चीज की कम्पलांएंस करने के लिये यह उनसे कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--
प्रस्ताव को भेजने के लिये यह कह रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--
समिति के जो प्रस्ताव हैं उनके लिये लिखा जा रहा है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
एक साल के बाद भी समिति की सिफारिशें जिन अधिकारियों ने शासन तक नहीं पहुंचाई, क्या इसके बारे में जांच कराकर आप उन अधिकारियों को दंडित करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--
जांच जरूर करवा ली जायगी ।

श्री रामधारी शास्त्री--
मंत्री जी के पास आज कोई सूचना नहीं है तो क्या इस प्रश्न को किसी अन्य दिन के लिये स्थगित करने की क्या मंत्री जी और आप कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

उ० प्र० नर्सिंग असिस्टेन्ट्स एसोसियेशन की मांगों के संबंध में की गई कार्यवाही

*2--श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--
क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० नर्सिंग असिस्टेन्ट्स एसोसियेशन की मांगों से सम्बन्धित पत्रांक 197/(एफ) ए-70, दिनांक 12 फरवरी, 1970 तथा पत्रांक 293 (एफ)/ए-71, दिनांक 17 फरवरी, 1971 पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की, यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

नर्सिंग असिस्टेन्ट्स एसोसियेशन के दिनांक 12 फरवरी, 1970 के पत्र में मुख्य मांगे एसोसियेशन को मान्यता देना, बोर्डिंग एलाउन्स तथा वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में है । एसोसियेशन को मान्यता दी जा चुकी है और बोर्डिंग एलाउन्स तथा वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में वेतन आयोग की संस्तुति पर अन्तिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । एसोसियेशन का दिनांक 17 फरवरी, 1971 का पत्र उपलब्ध नहीं है ।

महादेवा, तरबगंज, गोंडा में सूखा तथा बाढ़ से क्षति एवं सहायतार्थ सुझाव

*3—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि दिनांक 26 सितम्बर, 1972 को फैजाबाद मंडल की बैठक में राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता ने जनता के तथा निर्वाचन क्षेत्र 168 महादेवा, तहसील तरबगंज जनपद गोन्डा में सूखा एवं बाढ़ से पीड़ित जनता के बारे में लिखित प्रार्थना-पत्र तथा सुझाव दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

जी हां, प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । उसमें बांध तथा ऐसी सड़कें जो बांध का भी काम करें बनवाने, गांव का स्तर ऊंचा करने तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 168 महादेवा में खरीफ का लगान सदैव के लिये माफ करने के सुझाव दिये गये थे ।

जहां तक बांध, सड़क के निर्माण का प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण कार्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा होता है अतः इन सुझावों को सिंचाई विभाग को जांच तथा कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

जहां तक गांवों के स्तर को ऊंचा करने का प्रश्न है विगत वर्षों में इस प्रकार जो कार्य कतिपय जगहों पर किये गये थे उसका परिणाम संतोषप्रद नहीं पाया गया अतः उसे करना संभव नही है ।

बाढ़ क्षेत्र में खरीफ का लगान सदैव के लिये माफ करने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि बाढ़ से क्षति होने पर नियमानुसार भू-राजस्व में छूट/स्थगन की सहायता दी जाती है परन्तु सदैव के लिये भू-राजस्व की माफी करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री गंगा प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 16 सितम्बर, 1972 को फैजाबाद मंडल में मंत्री जी को जो प्रार्थना-पत्र दिया गया था, वह क्या था ? क्या उसको पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, उस प्रार्थना-पत्र की जो मुख्य मांगे थीं, उनको पढ़कर सुना रहा हूं—"महोदय, निवेदन है कि निर्वाचन क्षेत्र 168 महादेवा तहसील तरबगंज जनपद गोन्डा में नदियों का बहुतायत है खासकर टेढ़ी नदी, सरजू नदी, घाघरा नदी, नवाबगंज से घाघरा नदी तक के काश्तकार सदैव बाढ़ से पीड़ित रहते हैं । जब भी पहाड़ों पर बर्फ से एवं पानी बरसने के कारण उन नदियों में बाढ़ आ जाती है जिसके कारण से इस क्षेत्र की खरीफ की सारी फसल बरबाद हो जाती है एवं इस क्षेत्र के काश्तकार खरीफ की फसल न होने के कारण सदैव दुखी रहते हैं । जब से करनैलगंज चौरहा पर घाघरा बांध बना है तब से इस क्षेत्र में एक टापू सा (जलडमरूमध्य) सभी गांव दिखलाई देते हैं । इस क्षेत्र के विकास के लिये नीचे लिखे सुझावों पर ध्यान दिया जाये तो इस क्षेत्र की जनता एवं काश्तकारों का दुख दूर हो जायगा—

(1) लकड़मंडी के पुल से ब्योंदा ग्राम तक बांध बना दिया जाय ।

(2) इस क्षेत्र के ग्रामों को ऊंचा कराने का कार्य शुरू कर दिया जाय ।

(3) मांझां राठ से जबाबगंज तक एक ऊंचा बांध बना दिया जाय ।

(4) दगागंज मांझा से ताकौली ग्राम एवं फैजाबाद सड़क से एक बन्धा बना दिया जाय । इन दोनों बांधों के बन जाने से जनधन तथा पशु की सुरक्षा हो जायगी ।

(5) बाढ़ क्षेत्र से खरीफ की पूरी फसल का लगान पूरा सदैव के लिये माफ कर दिया जाय ।

(6) डमवा घाट के अन्तर्गत बनगांव तथा बन्धा तक एक सड़क बना दी जाय ।

अतः मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सम्पूर्ण विषयों पर ध्यान देने तथा बाढ़ से इस क्षेत्र की जनता के धन जन के बचाने में सहायक होंगे । उपर्युक्त कार्यों के लिये मैं आपका आभारी रहूंगा ।''

किन जगहों के लिये छूट और माफी के आदेश दिये गये हैं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गंगा प्रसाद—

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस क्षेत्र की खरीफ की फसल सदैव के लिये बरबाद हो जाती है तो उसमें छूट देने में उनको क्या अड़चन है ? भूतपूर्व राजस्व मंत्री चतुर्भुज शर्मा ने एग्री किया था कि इस क्षेत्र का खरीफ का लगान माफ कर दिया जायगा । तो क्या वर्तमान मंत्री जी भी वैसा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह संभव नहीं है कि सदैव के लिये किसी क्षेत्र का लगान माफ कर दिया जाय । जब कभी फसल न हो तो क्षति के अनुसार लगान माफ किया जाता है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वहां फसल होने ही न पाये ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

बाढ़ से रोक-थाम के लिये और फसल को खराब होने से बचाने के लिये सरकार की पुरानी योजना थी कि गांवों को ऊंचा किया जाय और दूसरे जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है वहां पर बांध बनाया जाय, तो क्या सरकार ऐसा कोई ठोस कदम उठायेगी जिससे वहां के निवासियों और फसल की रक्षा हो सके ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जहां तक बाढ़ से सुरक्षा के लिये बांध बनाने का सवाल है वह समस्या सरकार के विचाराधीन है और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड उसे देख रहा है । जहां तक गांव को ऊंचा करने का प्रश्न है गत वर्षों में उसका प्रयोग कुछ गांवों में किया गया लेकिन वह सफल नहीं हुआ, इसलिये इस प्रयोग को आगे नहीं बढ़ाया गया ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

फैजाबाद मंडल के उत्तरी हिस्से के बहुत से विधायकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि सरयू तथा टोंस नदी के कारण खरीफ की फसल को बहुत बड़ी क्षति हुई है, तो क्या किसी भी क्षेत्र से आपको यह रिपोर्ट मिली कि वहां छूट दीजाय फिर भी बकिया लगान की वसूली के लिये आपने आदेश दिये ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आपका प्रश्न महादेवा क्षेत्र से सम्बन्धित है ?

श्री जगदम्बा प्रसाद—

माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा था कि जहां कहीं क्षति होती है उस क्षति को ध्यान में रख कर उसकी पूर्ति की जाती है तो मैंने यह प्रश्न किया है कि फैजाबाद मंडल में खरीफ की फसल में जहां क्षति हुई है वहां पर सरकार ने छूट दी है अथवा नहीं क्योंकि बकिया लगान की वसूली के आदेश जारी हो गये हैं ?

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चूंकि महादेवा जिला गोन्डा में बाढ़ से काफी क्षति होती है और वहां पर घाघरा से कटाव भी होता रहता है इसलिये उसे नियंत्रित करने हेतु क्या सरकार कोई बांध या ठोकर लगाने की व्यवस्था करेगी जिससे वहां के किसानों की जो लाखों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है वह न होने पाये और किसानों को राहत मिल सके ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इस समस्या को हल करने के लिये बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को दे दिया गया है जो कि परीक्षण कर रहा है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)

मान्यवर,अभी माननीय शास्त्री जी के प्रश्न केउत्तर में मंत्री जी ने बताया कि इस समस्या को सुलझाने के लिये गांवों को ऊंचा करने की स्कीम बनाई गई थी और उससे तजुर्बा हासिल किया गया था किन्तु वह स्कीम सफल नहीं हो पायी । मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से यह योजना कामयाब न हो सकी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, इसके वास्तविक कारण तो टेक्निकल लोग ही बता पायेंगे लेकिन जहां तक मुझे मालूम है और मुझे बताया गया है कि गांवों के धरातल को ऊंचा करने की कोशिश की जाती है लेकिन मकान जो बने होते हैं वे नीचे पड़ जाते हैं, दरवाजे छोटे हो जाते हैं । यदि उनको ऊंचा नहीं किया जाता तो घरों के अन्दर पानी आ जाता है क्यों कि आस पास की जमीन ऊंची हो जाती है और वे नीचे पड जाते हैं । यही दो तीन बातें मुझे बताई गई है जिनसे वह योजना सफल नहीं हो पायी । वैसे टेक्निकल कारण और भी हो सकते हैं ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो रिपोर्ट आपको दी गई है वह किस गांव को ऊंचा करने के लिये दी गई है ? क्या उनके पास उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों की शिकायत भी मिली है कि उनके गांवों को ऊंचा न किया जाय ? क्यों कि ऊंचा उन गांवों को किया जाता है जो कच्चे बने होते हैं और ऊंचा करने पर उनको पक्का बना दिया जाता है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिसने आपको यह झूठी रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और इस स्थान की पुनः जांच करवायेंगे और विचार करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

पिछली बाढ़ के वक्त में इन गांवों को देखने के बाद मैंने यह आदेश दिये थे कि उनकी जमीनों को ऊंचा किया जाय और उसके मातहत ही वह कार्य शुरू कराया गया । यदि माननीय गंगा प्रसाद जी कहते हैं तो मैं पुनः इन्जीनियर्स को बुलाकर बात करके जांच करवा लूंगा कि क्या दिक्कत है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें कोई तथ्य नहीं रह गया है । आप मंत्री जी से बात कर लें ।

रिजर्व फारेस्ट के बाहर वन विभाग की जमीन पर प्लान्टेशन बन्द करने से क्षति

*4—श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन के आदेशानुसार रिजर्व फारेस्ट के बाहर वन विभाग की जमीन पर प्लान्टेशन बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इससे वन विभाग को प्रतिवर्ष कितना नुकसान होगा ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं । रिजर्व फारेस्ट के बाहर वन विभाग की जमीन पर वृक्षारोपण (प्लान्टेशन) बन्द करने का कोई शासकीय आदेश नहीं हुआ है । अतः इससे वन विभाग को प्रतिवर्ष कोई नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को ऐसे सुझाव मिले हैं कि रिजर्व फारेस्ट के बाहर वन विभाग की जमीन पर प्लान्टेशन बन्द किया जाय ? क्या इस पर वे पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मंत्री जी यह भी बतला दें कि रिजर्व फारेस्ट की जमीन के अलावा कितने एकड़ में प्लान्टेशन हो रहा है और उससे कितनी आमदनी होगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बात को देखते हुये कि वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन अधिकारियों की साजिश से लोगों ने अपने कब्जे में की हुई है क्या उस जमीन को लेकर उस पर प्लान्टेशन करायेंगे ? मैं आपसे पूछता हूं कि जितना रिजर्व्ड फारेस्ट है, उसमें तो प्लान्टेशन करायेंगे ही, लेकिन जितनी जंगल विभाग की जमीन है, जिसमें लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है और जिसको सरकार ने जायज तरीके से किसी को पट्टे पर नहीं दिया है, उन सब जमीनों पर कब्जा करके प्लान्टेशन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसी कोई साजिश है, जैसा कि माननीय सदस्य बतला रहे हैं तो उसकी जांच जरूर करा लेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

साजिश तो है ही । जो प्लान्टेशन के बाहर की जमीन है और जिसे सरकार की ओर से विधिवत पट्टे पर नहीं दिया गया है, वह जमीन अगर किसी आदमी ने एनक्रोचमेंट करके अपने कब्जे में कर लिया है, तो उसे वापस लेकर उसमें प्लान्टेशन करायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अगर किसी का कब्जा है और बहुत दिनों से कब्जा है तो उसमें प्लान्टेशन का प्रश्न कैसे उठ सकता है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, यहीं पर व्यवस्था का प्रश्न उठता है कि अधिकारियों की जो साजिश थी वहीं मंत्री जी बोल रहे हैं । मैं डेफिनिट तौर से कहता हूं कि वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन आपके अधिकारियों ने साजिश करके नाजायज तौर से कब्जा कराया है । मैं अपने जिले की बात

कहता हूं कि जहां पंडित कमलापति जी की कांस्टीटुएन्सी है, चकिया, वहां पर अधिकारियों ने नाजायज तौर से कब्जा कराया है और जंगल कटवाते रहे हैं । इसमें अधिकारियों की साजिश थी तो नेशनल इन्टरेस्ट में जिस जमीन का सरकार ने विधिवत पट्टा करने की आज्ञा दे दी, उसके लिये तो मैं नहीं कहता लेकिन जिस जमीन के लिये सरकार ने आज्ञा नहीं दी और उस पर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस कब्जे से उसको हटायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--
मैंने पहले ही कहा कि अगर ऐसी कोई बात हमें बतलायेंगे तो जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--
क्या माननीय मंत्री जी समस्त प्रदेश में अधिकारियों को आदेश देकर इसका सर्वे करायेंगे कि नाजायज तौर से कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--
इसका सर्वे हो रहा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--
माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ होता है । तो वन विभाग के बाहर जो जमीन पड़ती है उसके लिये पटवारियों ने अपने कागजात में यह भी लिखा है "कृषि योग्य भूमि" और मेरे जिले गोरखपुर में भी अधिकारियोंने साजिश करके वह भूमि दूसरों को दे रखी है तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि कृषि योग्य भूमि पर कितने लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--
इसकी जांच करायेंगे अगर माननीय सदस्य हमें बतलायेंगें, तो ।

श्री बंशीधर पांडेय--
उत्तर प्रदेश में जंगल विभाग की जिन जमीनों पर लोगों ने अनाधिकार कब्जा कर लिया है, क्या सरकार उनके अनधिकार कब्जे को बहाल रखने का इरादा रखती है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--
जी नहीं ।

चंवरताल ग्राम सभा हिदायत नगर, बांसी, जिला बस्ती में मछली के शिकार के ठेके का नीलामी विवरण

*5--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बांसी अन्तर्गत ग्राम सभा हिदायत नगर में चंवरताल के शिकार माही (मछली) का ठेका नीलाम द्वारा वर्ष 1967 से वर्ष 1973 तक किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने रुपये पर किन-किन वर्षों के लिये दिया गया उसमें कितना-कितना रुपया वसूल हो चुका था, किन-किन ठेकेदारों के यहां कितना-कितना रुपया बाकी है वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

प्रश्नगत ग्राम सभा में चंवरताल के शिकार माही (मछली) के प्रश्नगत अवधि के ठेके के नीलाम का ब्योरा इस प्रकार है :—

ठेके का वर्ष	व्यक्ति का नाम जिसे ठेका दिया गया	ठेके की धनराशि	वसूल धनराशि	अवशेष धनराशि
1967	श्री जगनरायन ..	.. 7500–00	3950–00	3550–00
1968	सर्वश्री बेचन एवं बद्री	.. 2500–00	2500–00	..
1969	श्री गेदर ..	.. 3000–00	3000–00	..
1970	श्री लोकार ..	.. 3000–00	3000–00	..
1971	श्री गेदर ..	.. 4250–00	4250–00	.
1972	श्री गेदर ..	.. 4050–00	4050–00	..
1973	सर्वश्री गेदर एवं मिठाई	.. 4250–00	1562–50	2687–50

वर्ष 1967 की अवशेष धनराशि वसूल न होने का कारण ग्राम प्रधान की असावधानी मालूम होती है । दूसरी बकाया 1973 की है और यदि वह बकाया अब तक जमा न हुई होगी तो उसकी वसूली नियमानुसार की जावेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, 1967 को 3550 रुपया बकाया और 1973 में 2687 रुपया बकाया है । इन बकाया रकमों को देखने के लिये कोई सरकारी अधिकारी है या नहीं और पहली बार उसको कब पता चला कि 3550 रुपया बाकी है और उसको वसूल करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, इसका आडिट हो रहा है वसूली न होने का कारण यह है कि ग्राम समाज के प्रधान को यह आवश्यक होता है कि वह एक निश्चित प्रारूप को भर कर राजस्व विभाग से मांग करता है कि यह रकम वसूल करा दी जाये । लेकिन उसने प्रारूप नही भेजा । हमने उससे प्रारूप भर कर भेजने को कहा है । अगर दो हफ्ते से ज्यादा हो गये तो हम उसको रिमाइन्डर भेजेंगे कि अगर जल्दी प्रारूप नहीं भेजा गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आडिट किस वर्ष में हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आडिट अभी हो रहा है । किस तारीख से आरम्भ हुआ, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जिस समय जबाब दिया गया क्या उस दिन तक वसूली नहीं हुई थी ? अगर नहीं तो 6 साल से रकम बकाया है इसके लिये कोई अवधि निश्चित करेंगे कि उस अवधि तक वसूली न हुई तो कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर हमने प्रधान को विशेष आदेश दे रखे हैं कि वह प्रारूप भर कर राजस्व विभाग को भेज दे । इसको दो सप्ताह हो गये हैं अगर जवाब नही आया तो प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी और जो दूसरा आदमी आयेगा वह इस काय को करेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपके प्रारूप की कब तक की अवधि है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, एक महीने से ज्यादा नहीं ठहरेंगे ।

श्री राम कुमार शास्त्री—

क्या मंत्री जी को पता है कि चंवरताल बांसी तहसील में पड़ता है और उसका बहुत सा रकबा ऐसा है जहां सिवाय शिकार के कुछ नहीं होता और बहुत से हिस्से पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है इसी लिये बकाया की रकम वसूल नही हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चंवरताल की मछलियों को पकड़ने के लिये सहकारी समिति बनी थी और उसी को ठेका दिया जाता था और जब से वह बन्द हो गई और निजी लोगों ने ठेका लेना शुरू कर दिया है तभी से यह कठिनाई हो गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, सहकारी समिति को कब ठेका दिया गया था इसकी सूचना नहीं है । लेकिन गांव के रहने वाले जो मल्लाह हैं उनको ही ठेका दिये जाने की कोशिश की जाती है ।

श्री राजबहादुर चन्द—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब से उनका ठेका खत्म कर दिया गया और बड़े लोगों ने ठेका लेना शुरू कर दिया है तब से गरीबों को हिस्सा नहीं मिलता है । इसलिये क्या मंत्री जी जल्दी ही सहकारी समिति बनायेंगे और उसी को ठेका देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

नियम यह है कि यह मछली का ठेका नीलाम किया जाता है और उस में मछुओं व मल्लाहों की एक विशेष सुविधा यह दी जाती है कि व्यक्तिगत रूप से या सहकारी समिति के रूप में यदि नियमों के अनुसार अन्तिम बोली किसी की होती है तो उसे पहले वाले ' छुयें या मल्लाह को या उनकी सहकारी समिति को 25 प्रतिशत कम पर ठेका लेने का आप्शन रहता है और कोई चाहता है तो दे दिया जाता है ।

अवयस्क छात्र की नसबन्दी के कारण परिवार नियोजन केन्द्र, जगदीशपुर, सुल्तानपुर पर प्रदर्शन

*6 श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, 1973 में जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर के परिवार नियोजन केन्द्र पर छात्रों ने प्रदर्शन किया–क्योंकि एक 18 वर्षीय छात्र की नसबन्दी, नसबन्दी कर्मचारियों ने बहकाकर कर दी ? यदि हां, तो सरकार न उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मार्च, 1973 में जगदीशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला सुल्तानपुर पर किसी भी 18 वर्षीय अविवाहित छात्र की नसबन्दी नही की गयी और न ही इस कारण छात्रों ने कोई प्रदर्शन किया । एक व्यक्ति श्री फयानाथ सिंह सुत श्री शिव नारायण सिंह जिन्होंने अपनी आयु 35 वर्ष, पत्नी की आयु 30 वर्ष तथा अपन 2 पुत्र एवं एक पुत्री होने का आवेदन पत्र में उल्लेख

किया था की नसबन्दी की गयी । उनके भाई ने इस आधार पर कि श्री फयानाथ सिंह अविवाहित हैं और श्री राम पदारथ गोसाई ने बहका कर उनकी नसबन्दी करा दी, कुछ अनुशासनहीन छात्रों की भीड़ के साथ जगदीशपुर चिकित्सालय पर श्री राम पदारथ गोसाई को मारने की धमकी दी ।

बढ़नी ब्लाक, नौगढ़, बस्ती में श्रमिकों को मजदूरी न देने से टेस्ट वर्क बन्द होना

*7--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में ब्लाक बढ़नी में कितनी जगह टेस्ट वर्क हो रहा है और क्या यह सच है कि उन स्थानों पर काम करने वाले सब मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं मिली, जिसके कारण टेस्ट वर्क पर काम बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

गत वर्ष 1972-73 में नौगढ़ तहसील के बढ़नी ब्लाक में 16 स्थानों पर टेस्ट वर्क चलाये गये जो 15 मार्च, 1973 को बन्द हो गये । यह सही नही है कि इन स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने के कारण काम बन्द हो गया था । समस्त मजदूरों का भुगतान कर दिया गया था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो मजदूरी देने की बात कही है कि काम बन्द नहीं हुआ तो मजदूरी कब दी, मेरे प्रश्न के बाद दी या मार्च, में ही अदा कर दी थी ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

मैं स्वयं नौगढ़ गया था, वहां काफी पैसा बाकी होने की शिकायत की गई । उसपर मैंने आदेश दिया था कि तुरन्त भुगतान किया जाय । उसके 4-5 दिन बाद भुगतान किये जाने की सूचना हमें मिल गई थी । मैं 4 मार्च को वहां गया था ।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या यह टेस्ट वर्क मजदूरी न देने के कारण बन्द हुये थे ? यदि नहीं, तो बन्द होने का कारण क्या था ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

टेस्ट वर्क इसलिये बन्द हुआ कि पिछला वित्तीय वर्ष 30 मार्च को समाप्त हो रहा था और उस से पहले 15 मार्च को हिसाब बन्द कर के लेखाजोखा इकट्ठा कर के भेजना था, इसलिये बन्द कर दिया गया था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो काम 31 मार्च, के पहले बन्द हो गया था और अभी बाकी है उसका कुछ काम फिर आरम्भ हुआ या नहीं ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

जो काम 30 मार्च से पहले आरम्भ किये गये थे उनको फिर से आरम्भ करने के लिये या चलाने के लिय आदेश दिये गये हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से बस्ती म टेस्ट वर्क चल रहे थे उसी तरह से सारे प्रदेश में चल रहे ह तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देंग कि वह जब तक कार्य पूरा न हो चलते रह ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि जो मार्च में टेस्ट वर्क आरम्भ हो गये थे उनको 30 जून तक आगे चलाने के आदेश दिये गये हैं और अपेक्षा की गई है कि उन्हें 30 जून तक पूरा कर देना चाहिये ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस ने यह टेस्ट वर्क कराया है वह अस्थायी सर्विस का आदमी और वह बस्ती में काफी गड़बड़ी कर चुका है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

शास्त्री जी ने एक नायब तहसीलदार को शिकायत की थी और उसे हम ने वहां से हटा दिया था ।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

जहां भी राजस्व विभाग की ओर से टेस्ट चल रहे हैं, इलाहाबाद में भी ऐसी ही शिकयात है कि वहां भी समय पर मजदूरी नहीं दी जाती है, होता यह है कि राजस्व विभाग काम कराता है और पैमायश वगैरा सार्वजनिक निर्माण विभाग से करायी जाती है जिस की वजह से मजदूरी देर में मिलती है और इसी कारण से राजस्व विभाग टेस्ट वर्क्स कराने मे सफल नहीं हो रहा है । तो क्या इस बात का मंत्री जी प्रबन्ध करेंगे कि टेस्ट वर्क का काम राजस्व विभाग से न कराकर जिला परिषदों से कराया जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

राजस्व विभाग द्वारा कुछ टेस्ट वर्क जिला परिषदों द्वारा, कुछ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा और कुछ काम सिंचाई विभाग से भी कराये जा रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि टेस्ट वर्क का काम विभिन्न विभागों से कराया गया है और राजस्व विभाग से भी कराया जा रहा है ।

श्री राज बहादुर चन्द—

जब माननीय मंत्री जी नौगढ़ गये थे तो क्या वहां पर जनता ने उनसे शिकायत की थी कि टेस्ट वर्क में धांधली हो रही है ? यदि हां, तो क्या कोई जांच कराने का आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जांच कराने के लिये जिलाधिकारी को आदेश दे दिये हैं ।

श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

राजस्व विभाग द्वारा जो टेस्ट वर्क चलाये गये हैं और जिनकी अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गयी है, ये सड़कें वे हीं हैं जो, पहले ली गयीं थी ? और यदि उनके पास कुछ पैसा बचा है तो दूसरी सड़कें भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ली जा सकती है, क्या वे ऐसा प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

फिलहाल तो ऐसी कोई योजना नहीं है क्योंकि हमारे यहां केन्द्र का दल आने वाला है जो इस बात की आवश्यकता के ऊपर परीक्षण करेगा कि आइन्दा ऐसे टेस्ट वर्क चलाने की आवश्यकता है और यदि हुयी और इसके लिये धन मिला तो फिर विचार किया जायगा ।

प्रदेश की कुष्ठ रोग संस्थाओं पर व्यय एवं उनका उपयोग

*8—श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर) तथा श्री जगदीश प्रसाद (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुष्ठ रोग की कुल कितनी संस्थायें हैं और उसमें कितने रोगी हैं तथा प्रत्येक को वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 में क्या अनुदान मिला ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)--

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग के कुल 25 चिकित्सालय हैं जिनमें 4 राजकीय तथा 21 अराजकीय है । अनुदान केवल अराजकीय संस्थाओं को दिया जाता है । शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में इन्हें जो अनुदान स्वीकृत किया गया है उसकी सूचना तथा इन चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न तालिका 1 एवं 2 में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1222-1224 पर ।)

श्री राम लाल भाई--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ट चिकित्सालयों को मरीजों के आधार पर या किसी अन्य आधार पर सहायता दी जाती है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मरीजों की तादाद भी सहायता देने का एक आधार है ?

श्री राम लाल भाई--

लेप्रोसी मिशन अस्पताल, नैनी , इलाहाबाद जहां पर 40, 184 हजार रुपये की सहायता दी गयी वहां पर 1001 मरीज हैं, काशी कुष्ट सेवाश्रम, वाराणसी में यह साहायता 25,000 रुपया दी गयी है जबकि वहां पर केवल 286 मरीज हैं और इसी प्रकार से कुष्ट सेवाश्रम, गोरखपुर में 21,900 रुपये की सहायता दी गयी है जबकि वहां पर मरीजों की संख्या 1510 है । तो जहां पर मरीजों की तादाद कम है, वहां पर तो सहायता अधिक दी गयी है और जहां पर मरीज ज्यादा हैं वहां पर कम । तो क्या माननीय मंत्री जी जहां पर मरीज ज्यादा हैं, उनकी सहायता को बढ़ाने की कृपा करेंगे, यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

माननीय सदस्य ने जो गोरखपुर की तादाद बतायी है, उस पर सरकार विचार कर लेगी ?

श्री धनुषधारी पांडेय--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मरीजों के आधार पर भी सहायता दी जाती है और सहायता देने के लिये कुछ और भी विशेष बातें हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि विशेष क्या आधार हैं, जिन पर यह सहायता दी जाती है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मरीजों की तादाद के अतिरिक्त उसकी आवश्यकता भी देखी जाती है और यह भी देखा जाता है कि उसकी कितनी आय है और कितना व्यय है । इसके अलावा और कई बातों को देखकर धनराशि निर्धारित की जाती है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

गोरखपुर में मरीजों की संख्या भी अधिक है लेकिन इसके मुकाबले में जहां पर कम हैं, वहां पर अधिक अनुदान दिया गया है । तो गोरखपुर के प्रति ही शासन की उपेक्षापूर्ण नीति क्यों है, वहां पर कम अनुदान क्यों दिया गया है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

मैंने अभी बताया कि गोरखपुर में अभी तक हमको बताया गया है कि वहां पर मरीजों की तादाद ज्यादा है । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हम अनुदान बढ़ाये जाने के बारे में विचार कर लेंगे ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि लक्ष्मन झूला के पास शिवानन्द आश्रम द्वारा कुष्ठ रोगी आश्रम चलता है । लेकिन लक्ष्मनझूला के इधर बहुत बड़ी संख्या में कुष्ठ से पीड़ित लोग बैठे रहते हैं । इस चीज को देखते हुये कि उधर से ही यात्री जाते हैं, क्या शिवानन्द आश्रम के अनुदान को बढाने की कृपा करेंगे ताकि इन कोढ़ियों को भी वहां भर्ती किया जा सके ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

अगर ऐसा कोई आवेदन-पत्र आयेगा, तो अवश्य सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मरीजों की संख्या क्या है और कितनों को सहायता दी गयी है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

वह तो सूची संलग्न कर दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

वह तो बहुत बड़ी संख्या है । उसमें समय बहुत नष्ट होगा । आप पढ़ लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, मैं प्रश्न के रूप में सुझाव देना चाहता हूं । कुष्ठ रोगियों के जगह-जगह आवास बन रहे हैं । उसमें उनकी देखरेख भली प्रकार नहीं हो रही है और वे जगह-जगह खराब हालत के अन्दर रह रहे हैं । क्या मंत्री ऐसी कोई समिति गठित कराने की कृपा करेंगे, जिसमें विधायक भी हों और अधिकारी भी हों जो इनके देख-रेख के बारे में पूर्णरूप से विचार कर सके ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, राष्ट्र-कुष्ठ-नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत यह योजना चल रही है । इस योजना में ज्यादातर गैर सरकारी संस्थायें कार्य कर रही हैं और हमारी तो केवल 4 संस्थायें हैं । लेकिन फिर भी इनकी देखरेख रखी जाती है और यदि माननीय सदस्य उसमें कोई सुझाव देंगे, तो विचार कर लेंगे ।

श्री शिव कुमार पांडेय---

माननीय मंत्री जी को क्या जानकारी है कि गोरखपुर कुष्ठ आश्रम जो है, उसमें कुछ लोगों के प्रति पैसे की गडबड़ी के बारे में शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नही है । अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे, तो हम जांच करा लेंगे ।

श्री राम किशोर शुक्ल---

इलाहाबाद जिले में नैनी कुष्ठ आश्रम के 40 हजार के करीब सहायता सरकार देती है क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई समिति बनायेंगे जो समय-समय पर इसकी देखरेख के लिये जांच करती रहे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, वह नैनी मिशन हास्पिटल, नैनी, इलाहाबाद है । उसको पिछले 71-72 में 40,184 और 72-73 में 39,536 अनुदान दिया गया है । अभी तक कोई ऐसा विचार नहीं है कि वहां कोई कमेटी बनाई जाय । अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो विचार कर लिया जायेगा ।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

जिला बरेली में कोढ़ियों की देखरेख, रखने आदि के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान देने को तैयार हैं ? (उत्तर न मिलने पर) मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न समझ में नहीं आया, शोर हो रहा था ।

श्री अध्यक्ष--

वह चाहते हैं कि बरेली में कुछ कुष्ठ रोगी हैं उनकी क्या आप व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मान्यवर, बरेली के आस पास बहुत से आश्रम हैं, उसमें दाखिल हो जायेंगे । वैसे ज्यादातर वह जाना नहीं चाहते और छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं । अगर कोई ऐसे कुष्ठ रोगी हैं तो आप उनको भिजवा दें उनकी व्यवस्था की जायेगी ।

(शुक्रवार 4 मई, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*1--श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री भाभी यादव तथा श्री त्रिवेणी राय--

[न्यायायिक कार्य से सम्बन्धित--निरस्त ।]

ग्राम खरौनी, बांसडीह, बलिया के ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के प्रति जनता की शिकायतों पर कार्यवाही

*2--श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेगें कि ग्राम खरौनी तहसील बांसडीह जिला बलिया में ग्राम सभा की भूमि बागीचा आदि पर गलत ढंग से कब्जा करने पर बार-बार जनता द्वारा प्रार्थना करने के पश्चात् भी राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि बागीचों आदि पर से अतिक्रमण न हटाने की जनता की कितनी शिकायतें जून, 1971 से नवम्बर, 1971 तक सरकार को प्राप्त हुई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्रश्नगत अवधि में केवल एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसप र जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गई । शिकायती-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन था । गांव सभा भूमि पर अनधिकृत कब्जे के बारे में बेदखली की कार्यवाही जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 115 सी के अन्तर्गत शिकायती-पत्र मिलने के पहले ही की गई थी जिसका निस्तारण 16, दिसम्बर, 1972 को हो गया । इस बात में स्वत्व का प्रश्न विवादास्पद था अतः नोटिस 115 सी निरस्त करके वापस ले ली गई । इस आदेश के विरुद्ध गांव सभा न तजवीजसानी दाखिल की है जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

वर्ष 1973 में ओलावृष्टि व पाला से रबी की फसल को क्षति

*3—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1973 में राज्य के विभिन्न जनपदों में ओला तथा पाला पड़ने से रबी की फसल को गहरी क्षति पंहुची है ? यदि हां, तो कितनी और इस क्षति के लिये सरकार ने अब तक राहत का कार्य कौन सा प्रारम्भ किया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वर्ष 1973 में राज्य के 22 जिलों में रबी की फसल को ओला से हानि पंहुची जिनमें से 5 जिलों में क्षति नगण्य थी तथा शेष जिलों के प्रभावित क्षेत्रों में 5 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हानि का अनुमान किया गया है । पाला से फसल को कोई उल्लेखनीय हानि नही हुई । जहां तक प्रभावित किसानों को सहायता देने का प्रश्न है, मालगुजारी में छूट/स्थगन नियमानुसार दी जायेगी । विशेष क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में आपदा तकावी वितरित करने का प्रबन्ध किया गया तथा टेस्ट वर्क के चलाये जा रहे हैं ।

सिविल सर्जन आफिस, आगरा के सीनियर क्लर्क का स्थानान्तरण

*4—चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा सिविल सर्जन कार्यालय में कौन-कौन सीनियर क्लर्क हैं और वह यहां पर कब से कब तक कितने वर्षों से हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सिविल सर्जन आगरा के कार्यालय में एक सीनियर क्लर्क, श्री आर० डी० वर्मा नवम्बर, 1972 से तैनात हैं ।

*5—चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या यह सही है कि यहां के सीनियर क्लर्क 1956 से हैं, यदि हां, तो अधिक समय से वहां पर कार्य करने वाले सीनियर क्लर्कों का स्थानान्तरण किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

उपर्युक्त कार्यालय में कोई सीनियर क्लर्क 1956 से तैनात नहीं है । अतः किसी के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर के कार्यरत नायब तहसीलदार व तहसीलदार को वेतन न मिलना

*6—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में कितने ऐसे कार्यरत तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं जिन्हें छः माह या अधिक समय से वेतन नहीं मिल रहा है और क्यों तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला शाहजहांपुर में केवल एक ऐसे कार्यरत तहसीलदार है जिन्हें छः माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिल रहा है । अपने एक पिछली नियुक्ति स्थान से निलम्बित होने पर वह बिना अपने पद का चार्ज दिये ही चले गय थे । अभी तक उन्होंने नियमानुसार चार्ज दे कर चार्ज सर्टिफिकेट नही भरा है । अतः उन्हें वहां के कोषाधिकारी द्वारा अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र नही जारी किया जा सका है जिसके अभाव में उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है । इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार हैं ।

*7—श्री राम गोपाल संड—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त ।]

प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार व डिप्टी कलेक्टरों की संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति का कोटा

*3—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि राज्य में कुल कितने तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा डिप्टी कलेक्टर दिनांक 31 मार्च, 1972 तक राज्याधीन सेवाओं में हैं और उनमें हरिजन (अनुसूचित जाति) तथा अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या अलग-अलग क्या है ? और इन पदों पर हरिजनों का कोटा पूरा करने में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

राज्य में 31 मार्च, 1972 तक तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा डिप्टी कलेक्टर की संख्या निम्न प्रकार थी:—

पद			अनुसूचित जाति की संख्या	अन्य संख्या	योग
तहसीलदार	..	..	4	290	294
नायब तहसीलदार	..	..	66	1101	1167
डिप्टी कलेक्टर	..	..	75	655	730

उपरोक्त आंकड़ों में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति दोनों के द्वारा भरे गये पदों की संख्या सम्मिलित है । उक्त पदों में से जो पद केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे गये उनमें से अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये नियमानुसार 8 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण रखा गया जो पिछले छः वर्षों में पूरा होता रहा है । जो पद प्रोन्नति द्वारा भरे गये उनमें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये कोई आरक्षण का प्राविधान न होने के कारण कोई कोटा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़े वर्ग के विषय में ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है और न अब अधिकारियों की जाति का अभिलेख रखा जाता है ।

ग्राम भावनपुर, कुन्डा, प्रतापगढ़ के लेखपाल के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की शिकायतें

*9—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहम्मद अमीन, लेखपाल, ग्राम भावनपुर, तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध जनता द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 1968 से 3 फरवरी, 1973 तक भ्रष्टाचार व अन्य तमाम आरोपों के प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारियों को व शासन को दिये गये हैं ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्रों में क्या आरोप हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, इस लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे । इन शिकायती-पत्रों में आरोप यह थे कि लेखपाल कागजात में सही व गलत इन्द्राज करने के लिये तथा कागजात की नकल देने के लिये भिन्न-भिन्न धनराशियों की मांग कर के जनता को परेशान किया करता है । इन आरोपों की जांच कराये जाने पर ये निराधार पाये गये । बाद में इस लेखपाल के विरुद्ध पुलिस विभाग में प्राप्त शिकायतों के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 161 तथा प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट की धारा 5(1) व (2) के अन्तर्गत पुलिस केस दर्ज हो गया और

इसे 27 दिसम्बर, 1970 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन से इसे सेवा से निलम्बित भी कर दिया गया । काफी लम्बी अवधि तक इस लेखपाल के निलम्बित रहने पर भी इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया गया तथा इसे 24 अप्रैल, 1972 को सेवा में बहाल कर दिया गया । पुलिस ने मामले को न्यायालय में मुकदमा चलाने योग्य नहीं पाया और विभागीय कार्यवाही की जाने की संस्तुति की है । विभागीय कार्यवाही की जाने के लिये पुलिस से पूर्ण विवरण मांगा गया है ।

चकबन्दी अधिकारी, भाटपार रानी, देवरिया द्वारा निर्णीत वादों का विवरण

*10—श्री हरि वंश सहाय (जिला देवरिया) तथा श्री राम रतन प्रसाद (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि चकबन्दी अधिकारी भाटपार रानी, जिला देवरिया द्वारा 1 जनवरी, 1972 से 28 फरवरी, 1973 तक कितने मुकदमें का निस्तारण किया गया जिसमें कितने मुकदमें में रिट के आधार पर निर्णय किये गये तथा कितने मुकदमों में सुलहनामा दाखिल हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

1 जनवरी, 1972 से 28 फरवरी, 1973 तक की अवधि में चकबन्दी अधिकारी, भाटपार रानी, जिला देवरिया के कुल 3442 मुकदमों का निस्तारण किया है, जिसमें से 800 वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर तथा 2630 वादों का निस्तारण सुलहनामा के आधार पर किया गया है ।

*11— श्री हरिवंश सहाय तथा श्री राम रतन प्रसाद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी अधिकारी भाटपार रानी, जिला देवरिया ने जिन मुकदमों में हर्जाना दिनांक 9 सितम्बर, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक लगाया है उसकी रकम कितनी है तथा हर्जाने की औसतन रकम प्रति मुकदमें में कितनी है ? क्या शासन को शिकायत मिली है कि उक्त सी० ओ० हर्जाने के रकम में हिस्सेदारी बंटाता है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

चकबन्दी अधिकारी, भाटपार रानी, जिला देवरिया द्वारा 9 सितम्बर, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि में निर्णीत वादों में से किसी भी वाद में हर्जाना नहीं लगाया गया है जिससे अन्य प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है । सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शासन को कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है । अतः इस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की वैद्य विशारद परीक्षा तथा कम्पाउन्डर परीक्षा में असमानता का प्रश्न

*12—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की वैद्य विशारद परीक्षा उत्तीर्ण आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षित कम्पाउन्डर नहीं माना गया है जब कि वैद्यविशारद परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रशिक्षित कम्पाउन्डर पाठ्यक्रम से कहीं अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार वैद्य विशारद परीक्षा उत्तीर्ण कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षित माने जाने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं । वैद्य विशारद परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रशिक्षित कम्पाउन्डर के पाठ्यक्रम से भिन्न है । तथा वैद्य विशारद के पाठ्यक्रम में नियमित अध्यापन संस्थागत नहीं होता और न ही उसमें क्रियात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था है जब कि प्रशिक्षित कम्पाउन्डर की स्थिति इसके विपरीत है ।

*13—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[13वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

*14—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

[13वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

फील्ड स्टाफ, चकबन्दी विभाग, आजमगढ़ की होम डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति

*15—श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में चकबन्दी विभाग के फील्ड स्टाफ, जिसमें सी0ओ0, ए0सी0ओ0, लेखपाल, कानूनगो तथा चकबन्दी कर्ता शामिल हैं, में से कितने ऐसे हैं जो उसी जिले के निवासी हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग के फील्ड स्टाफ में कार्यरत केवल 16 चकबन्दी कर्ता तथा 460 चकबन्दी लेखपाल ऐसे हैं जो इसी जिले के निवासी हैं ।

जिला आजमगढ़ में एक ए०सी०ओ० की अपने स्थायी निवास के क्षेत्र में नियुक्ति के विरुद्ध शिकायत

*16—श्री छांगुर राम, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री हरिवंश सहाय तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री को गत 20—21 जनवरी को आजमगढ़ जिले के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से कोई प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत किया था कि नियमों के विरुद्ध एक ए0सी0ओ0 उसी जिले के उसी तहसील का निवासी है, जहां वह कार्यरत है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था । इस पर जांच के फलस्वरूप यह विदित हुआ कि श्री राम अवध यादव एक चकबन्दी कर्ता था जो कि एक अल्पकालीन अवकाश अवधि की रिक्ति में सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद पर काम कर रहा था और दिनांक 10 मार्च, 1973 को प्रत्यावर्तित हो गया । अतः किसी अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उन्नाव के सेनेटरी इन्सपेक्टरों का निलम्बन

*17—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला उन्नाव के कितने सेनेटरी इन्स्पेक्टर सन् 1971 में निलम्बित किये गये थे ? उक्त सेनेटरी इन्सपेटरों को निलम्बित करने की संस्तुति कब और किसने की थी और उन पर क्या आरोप लगाये गये थे ? यदि आरोप सिद्ध हुये थे, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि सत्य नहीं पाये गये तो उनको कब तक बेबारत किया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

केवल दो सेनेटरी इन्सपेक्टर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, उन्नाव को दिनांक 26 अगस्त, 1971 की संस्तुति के आधार पर निलम्बित किये गये थे उनके विरुद्ध बाढ़ से उत्पन्न आपत्ति-कालीन अवधि में ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है। आरोप की सत्यता के विषय में जांच अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं।

श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्ट्रेट, बांदा की नियुक्ति के सम्बन्ध में राजस्व परिषद्, लखनऊ का निर्देश

*18— श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं), श्री राम जियावन (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ सदस्य प्रशासकीय, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अर्द्ध शासकीय-पत्र संख्या 843, दिनांक 28 दिसम्बर, 1954 जिसमें कलेक्टरेट बांदा के एक कर्मचारी श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्ति न्यायालयों में तथा पब्लिक डीलिंग्स के पदों पर वंचित करने का स्थायी निर्देश निहित था उसका पालन जिलाधिकारी, बांदा ने किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

परिषद् के कथित निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने इस कर्मचारी को लगभग अठारह वर्ष तक न्यायालय के पदों पर नियुक्ति से वंचित रखा। इस लम्बी अवधि में सराहनीय कार्य को ध्यान में रखकर कर्मचारी को पेशकार के पद पर नियुक्ति की गयी।

मोहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़ में महिला चिकित्सालय खोलने की योजना

*19—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे में महिला चिकित्सालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। अस्पतालों की स्थापना हेतु स्थानों के चयन के समय इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जायगा।

ग्राम भटपुरम, चन्दू, पुवायां, शाहजहांपुर के निवासियों द्वारा चकरोड पर कब्जा

*20—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या राज्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ग्राम भटपुरम-चन्दू परगना बड़ागांव तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर के कुछ लोगों ने अपने चक के नजदीक चकरोड पर लगभग 3 साल से अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सम्बंधित ग्राम में जांच के उपरान्त केवल एक व्यक्ति द्वारा चकरोड पर अनधिकृत कब्जा पाया गया था। उनके विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 ख के अन्तर्गत तहसीलदार पुवायां के न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही की गई।

*21—श्री सजीवन लाल—

क्या यह सही है कि उक्त अवैध कब्जा करने वालों को अदालत से जुर्माना हो चुका है और चक रोड खाली करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उसका पालन न करने का क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। उक्त आदेशों का पालन किया जा चुका है और दिनांक 5—4—73 को अनधिकृत कब्जा हटा लिया गया है।

ग्राम प्रधान, ग्राम सभा औधन, चायल, इलाहाबाद के विरुद्ध ग्राम समाज की जमीन हड़पने की शिकायत

*22—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1 मई, 1972 को मुख्य मंत्री को व उनको तथा 7 मार्च, 1972 व 27 जुलाई, 1972 को जिलाधिकारी, इलाहाबाद को श्री संगमलाल सिंह, ग्राम औधन परगना व तहसील चायल, जिला इलाहाबाद का शिकायती-पत्र इस आशय का कि इस ग्राम के प्रधान ने सात सौ एकड़ भूमि का वितरण भूमिहीन तथा हरिजनों को नहीं किया और स्वयं नाजायज तौर पर ग्राम सम्पत्ति को हड़पे हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या अब तक प्रधान को निलम्बित कराने की कार्यवाही की और यह सात सौ एकड़ भूमि कब तक हरिजनों को पट्टे पर दे दी जायगी।

श्री उदित नारायण शर्मा—

1 मई, 1972 के उल्लिखित शिकायती-पत्र की तलाश कराई गई पर उसका पता नहीं लग सका। प्रश्नगत ग्राम सभा के प्रधान के विरुद्ध श्री संगम लाल सिंह के शिकायती-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुये थे। जांच कराने पर उसमें लगाये गये आरोप निराधार पाये गये। अतः प्रधान को निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता।

यह सही नहीं है कि गांव सभा प्रधान ने 700 एकड़ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। प्रश्नगत ग्राम सभा में केवल 70 बीघा भूमि ऐसी है जो ऊबड़-खाबड़ है और केवल 12 बीघा भूमि कृषि योग्य है जो छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी है। भूमिहीन इन छोटे टुकड़ों को लेने को तैयार नहीं हैं फिर भी आवंटन का प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें से अधिकतर भूमि माह मई तक आवंटित हो जाने की आशा है।

जिला अस्पताल, गोरखपुर के विस्तार की योजना

*23—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला अस्पताल के विस्तार की कोई योजना 1973—74 के वित्तीय वर्ष में सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा एवं अस्पताल विस्तार के लिये कितनी धनराशि शासन की ओर से स्वीकृत की जा चुकी है ? निर्माण कार्य में बिलम्ब का क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

गोरखपुर जिला अस्पताल के विस्तार की कोई योजना 1973—74 के वित्तीय वर्षों में अनुमोदित नहीं हुई है। उक्त स्थिति में कार्य प्रारम्भ कराने का, धनराशि स्वीकृत करने का तथा कार्य में विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

*24—श्री सन्तराम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सदर तहसील, फर्रुखाबाद के कुछ अमीनों के बकाया वेतन का भुगतान

*23—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में राजस्व विभाग में कार्य करने वाले कुछ अमीनों को सन् 67 में निलम्बित किया गया था और सितम्बर, 1971 में बहाल कर दिया गया फिर भी उन्हें पिछला वेतन अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या इस सम्बन्ध में सरकार तुरन्त राजस्व परिषद् तथा सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त प्रकार से अमीनों के बकाया वेतन के भुगतान करने के आदेश देगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में ऐसा कोई अमीन नहीं है जिसे सन्, 1967 में निलम्बित किया गया हो तथा सितम्बर, 1971 में बहाल किया गया हो। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बस्ती से भेजी गयी स्वास्थ्य निरीक्षिका प्रशिक्षार्थियों को अवकाशकाल के वेतन का भुगतान

*24—श्री सन्तूराम (जिला बस्ती) तथा श्री वासुदेव सिंह बैस (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971 में जिला बस्ती से कितनी ए० एन० एम० को स्वास्थ्य निरीक्षिका के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और ऐसे प्रशिक्षार्थियों को किस किस प्रकार की छुट्टियां स्वीकार की गईं ? क्या यह सही है कि इनमें से कुछ ऐसी भी प्रशिक्षार्थी हैं जिनका प्रशिक्षण काल समाप्त होने वाला है परन्तु उनके स्वीकृत अवकाश के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सन् 1971 में जिला बस्ती से केवल एक ए० एन० एम को स्वास्थ्य निरीक्षिका के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था और उन्हें निम्न प्रकार की छुट्टियां स्वीकृत की गईं :—

(क) 58 दिन का अर्जित अवकाश पूरे वेतन सहित दिनांक 5-10-71 से 1-12-71 तक।

(ख) 60 दिन का अर्जित अवकाश आधे वेतन पर दिनांक 2-12-71 से 30-1-72 तक। यह सही है कि उपरोक्त प्रशिक्षार्थी का प्रशिक्षण काल समाप्त होने वाला है। उन्हें दिनांक 5-10-71 से 1-12-71 तक के अवकाश के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। 60 दिन के आधे औसत वेतन पर स्वीकृत अवकाश का वेतन निकाला जा चुका है और इसका भुगतान उन्हें शीघ्र ही कर दिया जायगा।

*25-28—श्री त्रिवेणी सहाय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

फतेहपुर-गन्धवर्द, रानीसराय, आजमगढ़ मार्ग के टेस्ट वर्क के सम्बन्ध में जनता का पत्र

*29—श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़-फूलपुर), श्री राम गोपाल सिंह तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में फतेहपुर से गन्धवर्द बड़ियाहीते हुये रानी की सराय के मार्ग पर टेस्ट वर्क हो रहा है ? यदि हां, तो क्या वहां की जनता ने कार्य के संबन्ध में सरकार के पास माह फरवरी, 1973 में कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वर्ष 1972–73 में प्रश्नोक्त सड़क पर टेस्ट वर्क हो रहा था परन्तु उसे स्थानीय जनता की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 18–2–73 से बंद कर दिया गया। काम बन्द होने के बाद 23 फरवरी, 1973 को ग्राम अन्हरो-बसही के निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था जिसमें फसल को नुकसान पहुंचाने तथा उक्त सड़क पर जबरदस्ती टेस्ट वर्क चलाने की शिकायत की गयी थी। मामले की जांच से यह शिकायत निराधार पायी गयी।

*30—श्री मंजूर अहमद—

[13 वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*31—श्री हरिनाथ तिवारी—

[13 वें गुरुवार में ता0 प्र0 40 के अन्तर्गत उत्तरित।]

प्रदेश के गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेज एवं अस्पतालों के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा स्वीकृत अनुदान तथा उसकी अदायगी

*32—श्री वंशीधर पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री राम धारी शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972–73 में प्रदेश के गैर सरकारी होम्योपैथिक कालेज एवं अस्पतालों हेतु स्वास्थ्य तथा सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश में सहायक अनुदान हेतु किन-किन मदों पर कितनी-कितनी धनराशि की संस्तुति प्राप्त हुई और कितनी-कितनी धनराशि उक्त कालेज एवं अस्पतालों को सहायक अनुदान के रूप में शासन द्वारा स्वीकृत की गई? क्या वह बकाया धनराशि जो संस्तुति के अनुसार नहीं दी जा सकी, के देने पर शासन कोई विचार कर रहा है? यदि हां, तो बकाया धनराशि संबंधित कालेज को कब तक स्वीकृत हो जायेगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना संलग्न है।

पिछले वर्ष की संस्तुतियों में अब इस वर्ष अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन संस्तुतियों पर सम्यक रूप से विचार करके अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1225 पर)

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, आगरा के विद्यार्थियों की फीस माफी के आदेश का पालन

*33—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या यह सही है कि सरकार ने सन् 1972 में आगरा में आई बाढ़ के क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफ करने के आदेश सरकार ने दिये थे? अगर हां, तो कितने छात्रों की फीस माफ की गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां।

विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के 4,393 छात्रों की फीस माफ की गयी।

*34—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या यह सही है कि सरकारी आदेश के बावजूद बाढ़ पीड़ित छात्रों की फीस माफ नहीं हो पाई है? अगर हां, तो यह क्यों और कैसे हुआ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह सही नहीं है कि सरकारी आदेश के बावजूद बाढ़ पीड़ित छात्रों की फीस माफ नहीं की गयी। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर में नसबन्दी अभियान में फर्जी नसबन्दी से धन के दुरुपयोग की शिकायतें

*35—श्री राम सागर (जिला जौनपुर), श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह बतलायेंगे कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत गत नसबन्दी अभियान में हजारों फर्जी नसबन्दी दिखला कर शासन के पैसे का दुरुपयोग के संबंध में प्रश्नकर्त्ताओं तथा अन्य विधायकों का कोई शिकायती-पत्र मार्च, 1973 के द्वितीय सप्ताह में मंत्री जी को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की? और यदि नहीं की, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां,

शिकायतों की विस्तृत जांच कराई जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

तहसीलदार, बांसी, बस्ती द्वारा 115 सी० जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन एवं निर्णीत वाद

1—श्री राम वचन यादव तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत तहसीलदार, बांसी के द्वारा कितने मुकदमें 115 सी० जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत फैसले अगस्त, 1972 से जनवरी, 1973 के बीच विचाराधीन रहे उनमें से कितने मुकदमों के निर्णय किये गये जो कि सरकार के पक्ष में हुए?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत अवधि में 32 वाद विचाराधीन थे। 31 वाद सरकार के पक्ष में निर्णीत हुए।

बांसगांव तहसील, गोरखपुर में चकबन्दी के कार्य की प्रगति

2—श्रीमती मसाली देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के किन-किन गांवों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो चुका है? कितने ऐसे गांव हैं जहां धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है? उन गांवों के नाम क्या हैं जहां चकबन्दी कार्य अब प्रारम्भ किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने ऐसे गांव हैं जहां हरिजन आबादी गांवों की बस्ती से दूर छोड़े गये हैं? यदि हां, तो उन गांवों के नाम क्या हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के 1379 गांवों में कब्जे की तब्दीली के स्तर तक चकबन्दी कार्य समाप्त हो चुका है। अब तक इन गांवों में से 81 गांवों में धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है। 437 गांवों में चकबन्दी का कार्य अब प्रारम्भ किया गया है। इन गांवों तथा उपरोक्त 1379 गांवों के नाम की सूची अध्यक्ष महोदय के मेज पर रख दी गई है। केवल 4 ग्रामों में हरिजन आबादी गांव की बस्ती से दूर छोड़ी गई है जिनके नाम धोबौली, गहरवार, पखनपुर, बामन भैंसा एवं मोरीपुर है।

3—श्री नारायण दास—

[16 वें गुरुवार में अता० प्र० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के सम्प्रेक्षण हेतु आन्तरिक सम्प्रेक्षा दल का गठन

4—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में प्रदेश के 850 से भी अधिक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की वर्ष में एक बार सम्प्रेक्षण हेतु निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधान सभा प्रथम सत्र, 1972 के 10 वें मंगलवार को पूछे गये प्रश्न के उत्तर के अनुसार निदेशक, स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश से उपरोक्त के संबंध में 18 अन्तरिक सम्प्रेक्षा दलों के बनाने के संबंध में प्रस्ताव आ गया है व शासन ने इन सम्प्रेक्षण दलों के गठन हेतु बजट प्रदान कर दिया है ? यदि हां, तो 18 आन्तरिक सम्प्रेक्षा दल कब से अपना कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

स्वास्थ्य सेवा निदेशक से शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसी परिस्थिति में बजट में व्यवस्था किये जाने तथा अतिरिक्त सम्प्रेक्षा दलों द्वारा कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

5—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[14 वें शुक्रवार के लिये अता० प्र० सं० 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आजमगढ़ के परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों का स्नातक वेतनमान में निर्धारण

6—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जिलाधीश ने 15 जून, 1972 से 29 मार्च, 1973 तक कितने परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के प्रार्थना-पत्र स्नातक वेतन निर्धारण हेतु संस्तुति सहित राज्य परिवार नियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पास भेजे हैं ? उनमें से कितनों को स्नातक वेतन मिल रहा है तथा कितने स्वास्थ्य सहायक ऐसे हैं जिनका वेतन निर्धारण अब तक न हो सका ? यदि हां, तो क्या उनके वेतन निर्धारण करके उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा की जायेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी के कथित अवधि में केवल एक परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक का प्रार्थना-पत्र ही स्नातक वेतनमान में निर्धारण हेतु राज्य परिवार नियोजन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपनी संस्तुति के साथ भेजा था। इनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्य परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा जिले से उनकी सेवा पुस्तिका आदि मंगवाई गई है जिसके प्राप्त होने पर ही इनका स्नातक वेतनमान में वेतन निर्धारण किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

7—श्री सूबेदार प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

ग्राम वैशकांटी व कस्बा कराही, मंझनपुर, इलाहाबाद में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व अस्पताल खोलने का प्रश्न

8—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर, इलाहाबाद में कस्बा कराही जहां की आबादी 5,000 के लगभग है तथा ग्राम वैशकांटी में क्रमशः अस्पताल एवं प्राथमिक

चिकित्सा केन्द्र खोलने का प्रश्न कई वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा, निहालगढ़ व पालपुर, जगदीशपुर, सुल्तानपुर क प्रधानों द्वारा भूमि-वितरण में अनियमिततायें

9—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खंड जगदीशपुर की ग्राम सभा निहालगढ़ व पालपुर के प्रधानों द्वारा अप्रैल, 1972 से 22 मार्च, 1973 तक किन-किन भूमिहीनों को कितनी-कितनी भूमि वितरित की गई ? क्या यह सच है कि उक्त ग्राम प्रधान द्वारा कई सम्पन्न भूमिधरों को उक्त ग्राम समाज की भूमि दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत ग्राम सभाओं के प्रधानों द्वारा प्रश्नगत अवधि में किसी भी व्यक्ति को कोई भूमि कृषि हेतु आवंटित नहीं की गई । ग्रामीण निवास योजना के अन्तर्गत प्रधान ग्राम सभा, पालपुर द्वारा सर्वश्री पल्ली, रामफेर, पचई, सुखराम व श्री पाल, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 4 विस्वा 10 धूर भूमि का आवंटन आवास हेतु किया गया । इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई।

गढ़वाल में अधिकतम जोत सीमा आरोपण कानून के परिणाम स्वरूप प्राप्त भूमि तथा उसका आबंटन

10—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण कानून के लागू होने से जनपद गढ़वाल में कितनी भूमि प्राप्त हुई है ? तथा क्या वह भूमिहीनों एवं हरिजनों में आबंटित कर दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम अभी जनपद गढ़वाल में लागू नहीं हुआ है । अतः अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने और उसके आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

11—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

करछना, इलाहाबाद के कुछ गांवों को गंगा की धारा से हुई क्षति तथा क्षतिपूर्ति का विवरण

12—श्री राम किशोर शुक्ल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1967 से 1972 तक इलाहाबाद जिले में करछना तहसील के ग्राम रामपुर, सेनरहा, खजुरौल गढेला, लकटहा और बबुरा तथा उसके निकटवर्ती ग्रामों की अलग-अलग कितनी-कितनी भूमि और मकान गंगा की धारा में कट कर बह गय हैं तथा इन गांवों को कितनी धनराशि अनुदान या अन्य सहायता के रूप में प्रदान की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सन् 1967 से 1972 तक इलाहाबाद जिले की तहसील करछना के ग्राम सेमरहा, खजुरौल, गड़ेला, लकटहा और बबुरा तथा उसके निकटवर्ती ग्रामों की कोई भूमि और मकान गंगा की धारा में कट कर नहीं बहे।

इन गांवों को अतिवृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के कारण 1967 से 1972 तक 57,300 रु० ऐक्ट 12 के अन्तर्गत तकावी के रूप में दिया गया। इसके अतिरिक्त 1970–71 में गृह अनुदान के रूप में 24,550 रु० की भी सहायता दी गयी।

गंगा नदी के कटाव से ग्राम लकटहा, करछना, इलाहाबाद की भूमि हंडिया तहसील में चले जाने का मामला

13—श्री रामकिशोर शुक्ल—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के लकटहा ग्राम की भूमि कट कर उस पार हंडिया तहसील में चली गई है? क्या सरकार को इस संबंध में कई वर्षों पहले गांव वालों के प्रार्थना-पत्र उक्त भूमि को वापस दिलाने के लिये प्राप्त किये हुए थे? क्या उक्त भूमि की पैमाइश कराकर लकटहा ग्रामवासियों को वापस दिलाने की कृपा करेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम लकटहा की भूमि कई वर्ष पहिले गंगा नदी की बाढ़ के कारण कट गई थी। भूमि कट कर हंडिया तहसील में चली गई अथवा नहीं इसकी स्थिति मौके पर पैमाइश की जाने पर ही ज्ञात हो सकती है। गांव वालों द्वारा यह कटी हुई भूमि उन्हें वापस दिलाई जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने की पुष्टि नहीं हो पा रही है। यह भूमि गंगा की धारा से बरामद हो जाने पर आवश्यक पैमाइश कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

तप्पा चंवर, बस्ती में रतन सेन इन्टर कालेज से तहसील कार्यालय तक सड़क बनाने की योजना

14—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के तप्पा चंवर में रतन सेन इंटर कालेज, ग्राम बसन्तपुर तक कोई सड़क टेस्ट वर्क द्वारा तहसील कार्यालय की ओर से बनाने की योजना है? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू होगा?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वर्ष 1972–73 में सूखाग्रस्त क्षेत्र में चलाये गये टेस्ट वर्क के लिये जो विभिन्न कार्य जिला स्तर पर चुने गये थे उनमें रतन सेन इंटर कालेज से बसन्तपुर तक सड़क बनाने का कार्य भी शामिल था परन्तु उस वर्ष इस पर कार्य आरम्भ न किया जा सका। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जून तक इस कार्य के लिये जाने की संभावना है।

किंग्स इंगलिश अस्पताल, लखनऊ के सहायतार्थ वसीयतनामा तथा उसका उपयोग

15—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग्स इंगलिश अस्पताल, लखनऊ में जो वसीयत हुई थी वह क्या है? तथा क्या सरकार उसके अनुसार अस्पताल में जनहित में उतना धन व्यय करती है? यदि नहीं, तो उस धन को सरकार कहां व्यय कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र की गरीब जनता के हित में औषधि आदि की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

किंग्स इंगलिश अस्पताल, लखनऊ की मूल वसीयत उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनरल चैरिटी कमेटी, लखनऊ के सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना से पता चलता है कि राजा नासिरुद्दीन हैदर द्वारा किंग्स इंगलिश अस्पताल की स्थापना की गयी थी और राजा की मृत्यु के पश्चात् गद्दी के वारिस, श्री मोहम्मद अली शाह ने एक "डीड आफ ट्रस्ट" निष्पादित किया था जिसके अनुसार उन्होंने 3,67,600 रु0 के प्रामीसरी नोट तत्कालीन सरकार को सौंपे थे जिनका सालाना ब्याज लगभग 7,000 रु0 इंगलिश अस्पताल, लखनऊ में दवा व भोजन हेतु दिये जाने की व्यवस्था थी। अस्पताल का प्रबन्ध जनरल चैरिटी कमेटी द्वारा होता रहा और ब्याज की धनराशि को 15 जून, 1948 तक अस्पताल के उपयोग में ही लाया गया तथा शासन द्वारा भी समय-समय पर अनुदान दिये गये परन्तु अस्पताल की दशा उत्तरोत्तर खराब होती गयी और जनरल चैरिटी कमेटी ने 19 नवम्बर, 44 की जनरल मीटिंग में इस अस्पताल के सरकार द्वारा प्रांतीयकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया। तद्नुसार 15 जून, 1948 में किंग्स इंगलिश अस्पताल का प्रांतीयकरण हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार अस्पताल पर समस्त व्यय अपने राजस्व से करती है तथा 1966–67 तक प्राप्त ब्याज को विभागीय प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा कर दिया गया है। वर्ष 1966–67 के बाद प्राप्त ब्याज के आई0पी0ओ0 स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पास रक्खे हुए हैं जिन्हें विभागीय प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा किया जायगा। वर्ष 1972–73 में किंग्स इंगलिश अस्पताल में औषधियों तथा रोगियों के भोजन आदि की व्यवस्था में सरकार द्वारा 83,200 रु0 व्यय किया गया। इस प्रकार सरकार उस क्षेत्र की गरीब जनता के हित में औषधियों आदि की व्यवस्था करती चली आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी।

16—श्री श्यामलाल कनौजिया—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

17—श्री हरिवंश सहाय—

[13 वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

18—श्री मंजूर अहमद—

[11वें सोमवार के लिये अता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

19—श्री मंजूर अहमद—

[11वें सोमवार के लिये अता0प्र0सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

20—श्री हिम्मत सिंह तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[13वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण 1971–72†

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1971–72 को आडिट रिपोर्ट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

सदस्य, विधान सभा, श्री पारसनाथ सिंह की गिरफ्तारी तथा सजा के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक गिरफ्तारी की सूचना देनी है । श्री पारसनाथ सिंह, एम0एल0ए0 अपनी पार्टी की मांगों के समर्थन में और सरकार द्वारा गेहूं के व्यापार को अपने हाथ में लेने के विरुद्ध, कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट के कारण तहसील, नानपारा में गिरफ्तार कर लिया गया और 50 रुपये जुरमाना किया गया तथा 7 दिन की सजा कर दी गई है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

तार अंग्रजी में आया है अथवा हिन्दी में ?

श्री अध्यक्ष--

वायरलेस अंग्रेजी में आया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

यह कब गिरफ्तार हुए ?

श्री अध्यक्ष--

यह कल 3-5-73 को गिरफ्तार हुए हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, यह खाद्यान्न के अभाव में तथा मंहगाई के विरुद्ध कल जनसंघ का प्रदर्शन था बहराइच में और इन्होंने लीड किया जिसके कारण गिरफ्तार हुए हैं, मान्यवर, यह तार गलत है । हम प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे।

जूनियर डाक्टरों तथा इंन्टर्नीज की सम्भावित हड़ताल के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, एक विशेष बात यह कहना है कि आज रात के 12 बजे से जूनियर डाक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं । वे लोग पहले 13-4-73 को, फिर 25-4-1973 को, अन्त में 30-4-1973 को मुख्य मंत्री जी से मिले थे । अन्त में वे सचिव, स्वास्थ्य विभाग, श्री श्रीवास्तव से मिले उन्होंने यह कह दिया कि आजकल मुख्य मंत्री बहुत व्यस्त हैं । अनेक बार आश्वाशन देने के बावजूद भी उनको पूरा नहीं किया जाता, यह सरकार झूठ बोलती है, आश्वासन गलत देती है और अगर यह लोग हड़ताल पर चले गये तो भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी । इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री जी स्पष्टीकरण दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मेरी समझ में अभी तक नहीं अया कि सरकार की नीति डाक्टर्स के प्रति क्या है ? सुबह कुछ बयान होता है तो शाम को दूसरा बयान होता है । कभी कहते हैं कि डाक्टर की प्रेक्टिस बन्द कर रहे हैं कभी कहेंगे कि खोल रहे हैं । कभी 50 प्रतिशत भत्ता देने को कहेंगे कि उसमें कटौती कर देंगे । यह जो इंन्टरनीज हैं इनका सवाल भी साल भर से चल ही रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, यह जो डाक्टरों के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द शर्मा)---
जरा फिर से स्पष्ट करा दें प्रश्न को ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---
जो इंटर्नीज आज रात से फिर से हड़ताल करने वाले हैं इसलिये कि जो आपने आश्वासन दिया था उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं····

श्री सुरेन्द्र विक्रम---
ये लोग आज 12 बजे रात के बाद हड़ताल पर चले जावेंगे और आप कब तक आपने आश्वासनों को पूरा करेंगे यह मालूम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बतलाने तो दीजिये ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---
इस विषय पर इस वक्त भी विचार हो रहा है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---
मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का विषय है ।

श्री अध्यक्ष---
मुझे उनसे पूछने दीजिये, आप कृपा कर बैठिये । इस वक्त कहां पर विचार हो रहा है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसीलिये यहां सदन में नहीं हैं, उनके साथ विचार हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---
अच्छा, तो शाम तक इस बारे में तय कर लीजियेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---
तो क्या शाम को आप उनसे पूछ कर हमको बतावेंगे ?

श्री अध्यक्ष---
आज शाम को जो परिस्थिति होगी वह आप हमको बतावेंगे और फिर मैं सदन में उसकी सूचना दे दूंगा ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को स्वास्थ्य मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा ।

विविध विषय

श्री अध्यक्ष---
श्री सुखपाल पांडेय ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---
मैं एक प्रश्न की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---
श्री सुखपाल पांडेय जी को पहले अपनी बात उठा लेने दीजिये ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, अब आपका यह बजट खत्म होने जा रहा है । हम लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों से वोट से चुनकर आये हैं । आप इस पर व्यवस्था दें । कुछ लोगों को आप बारबार बोलने की अनुमति देते हैं और आपने दिया भी है । हम भी चाहते थे कि हम भी अपने जिले और अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ कहें लेकिन आपने हमको कभी अवसर नहीं दिया । आज कृषि विभाग का बजट चल रहा है । आप हम लोगों को भी अनुमति दें, आप अध्यक्ष हैं · · ·

श्री अध्यक्ष---

आप अपने दल के सचेतक से कहिये ।

श्री सुखपाल पांडेय---

आप अध्यक्ष हैं, हम आपसे न कहें तो किससे कहें ?

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, इनकी हैसियत वहां जाने से घट गयी है और वहां के सचेतक बोलने का मौका नहीं देते हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

श्रीमन्, इनसे कह दीजिये कि ये त्रिवेणी जी को दावत खिलायें तो उनका नम्बर आयेगा, नहीं तो नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, अब श्री सी० पी० एन० सिंह जी अपनी बात कहें ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान जो कल मेरे और आपके बीच में विवाद हुआ उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, जहां आप बैठे हैं, आप हमारे रक्षक हैं । आपने कल कहा कि आप बड़े रईस हैं और अपनी रईसियत मत दिखाइये । उस कुर्सी से ऐसे शब्दों का प्रयोग होना क्या उचित है ? अगर नहीं उचित है, तो मैं निवेदन करूंगा कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

*श्री अध्यक्ष---

मैं निकाल दूंगा । मैंने कल ही कह दिया था कि वह उचित नहीं था । मैं गुस्से में कह गया था । बात यह थी कि आप प्रश्न को बहुत व्यापक बना रहे थे ।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह---

मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हमेशा मैं आपका आदर करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं बताऊं । कई दफा देखने में आता है कि आप लोग प्रश्न पूछते हैं किसी तहसील के बारे में और फिर आप मन्त्री जी से पूछें जिले भर की, तो वह उत्तर नहीं दे सकते हैं । इस तरह की बात कल मेरे सामने आयी । उन्होंने तहसील के बारे में जवाब दिया लेकिन आपने कहा कि पूरे जिले के बारे में नहीं जवाब दिया । आपने इस पर जिद किया तो मैंने कहा कि आप बेकार का समय लेना चाहते हैं । तो वह बात उसी सिलसिले में कही । मुझे गुस्से में नहीं आना चाहिये था, मुझे शांत रहना चाहिये था, लेकिन मैं ऐसा कह गया और उसके लिये आप मुझे क्षमा करें । मैं उसको निकाल दूंगा ।

---

*नोट---3 मई, 1973 की कार्यवाही से अध्यक्ष की आज्ञा से सम्बन्धित अंश निकाल दिया गया ।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह देवरिया के जाने माने रईस हैं। इनको रईसी से नफरत क्यों हो गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यह राजा साहब कहने से बिगड़ गये लेकिन आप देखें कि सरकारी आर्डर हो गया है कि यह लोग सादी प्लेट लगायें लेकिन इनकी कारों पर भी "फलां स्टेट" की प्लेट लगी रहती है। यह तो अपनी रईसी दिखलाते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

बंशीधर पांडेय रियासत चाहते हैं लेकिन वह उन्हें मिल नहीं रही है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न भी उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाय।

भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की 1969-70 की रिपोर्ट पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

मैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 1969–70 की रिपोर्ट पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। उक्त रिपोर्ट तथा तत्सम्बन्धी विनियोजन लेखे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा 19 फरवरी, 1972 को राज्यपाल को प्रस्तुत किये गये और विधान सभा के पटल पर 21 मार्च, 1972 को रखे गये। वर्तमान समिति का गठन 5 अगस्त, 1972 को हुआ था। समिति ने उक्त प्रतिवेदन पर अपनी 15,18,19,20, 26,27,28, तथा 29 सितम्बर, 1972, 5,6,12 तथा 23 अक्तूबर, 1972, 2,10,13,14,15,23,24 तथा 25 नवम्बर, 1972, 23,28,29 तथा 30 दिसम्बर, 1972, 13,23 तथा 24 फरवरी, 1973, 14,15 तथा 16 मार्च, 1973 और 3,4,5 तथा 6 अप्रैल, 1973 की बैठकों में विचार किया तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का साक्ष्य भी लिया।

समिति ने अपनी 2 मई, 1973 की बैठक में प्रतिवेदन के प्रारूप को स्वीकार किया। प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्षों तथा संस्तुतियों को रेखांकित कर दिया गया है और उनका सारांश भाग 2 में दिया गया है। समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का सविस्तार अभिलेख भी अलग से रखा गया है। लोक लेखा समिति ने अपने पूर्व प्रतिवेदनों में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी कि कतिपय विभागीय अधिकारी विचाराधीन विषयों से संबंधित पत्रावलियों को, जिनमें अधीनस्थ कार्यालयों के मूल अभिलेख सम्मिलित हों आदि को भलीभांति अध्ययन करके नहीं आते तथा संबंधित पत्रावलियां भी नहीं लाते। इसके परिणाम स्वरूप वे समिति के समक्ष संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। इस बार भी समिति को ऐसा ही अनुभव हुआ कि कुछ विभागीय अधिकारी समिति के समक्ष तयार होकर उपस्थित नहीं हुए अथवा आपत्तियों से संबंधित पूरे अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। समिति आशा करती है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और विभागीय अधिकारी पूर्ण रूप से तयार होकर समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।

---

† छापा नहीं गया।

समिति ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि बकाया लेखा परीक्षा आपत्तियों तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु शासन द्वारा सक्रिय कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप इन आपत्तियों की संख्या कम होने के बजाय उसमें वृद्धि होती चली जा रही है। इस संबंध में समिति ने रिपोर्ट में यथास्थान सदन तथा शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। समिति आशा करती है कि शासन द्वारा इस दिशा में समुचित सुधार के लिये यथेष्ट कार्यवाही की जायगी।

शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधान सभा की समितियों की संस्तुतियों का निष्ठापूर्वक अनुपालन होना आवश्यक है किन्तु समिति का यह अनुभव है कि इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता और समिति की संस्तुतियों पर यथोचित कार्यवाही विलम्ब से होती है। अतः समिति का यह मत है कि इस प्रतिवेदन पर सदन में विचार किया जाय और विधान सभा के आगामी अधिवेशन में अवसर देने की कृपा की जाय। अन्त में समिति के समक्ष जिन विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित होकर समिति की सहायता की, मैं उनका आभारी हूं। समिति की ओर से वित्त सचिव, महालेखाकार और विधान सभा के सचिव, श्री देवकी नन्दन मित्थल तथा श्री कैलाश नाथ मेहरोत्रा, अनुसचिव का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिनके सहयोग से समिति का कार्य सुचारु रूप से चल सका। समिति लोक लेखा समिति के कर्मचारियों के प्रति भी उनके परिश्रम के लिये धन्यवाद प्रकट करती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)––
यह जो प्रतिवेदन आया है इसके लिये आप कौन सी तारीख तय कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष––
यह कार्यमंत्रणा समिति में तय कर रहे थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी––
आप उठने से पहले तय कर लें।

श्री अध्यक्ष––
हमको छांटने पड़ेंगे और उनकी मदद हमारे सेक्रेटरी साहब करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी––
उस लिस्ट में वेतन आयोग की रिपोर्ट भी लिख लीजिये गा।

श्री अध्यक्ष––
आप हमारे दफ्तर को लिख दीजियेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)––
लोक लेखा समिति की रिपोर्ट सदन के सामने पेश हुई। उसमें लिखा है कि समिति के समक्ष अधिकारी लोग साक्ष्य के लिये आना पसन्द नहीं करते। वह समिति इस सदन की समिति है। अगर वे समिति की आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो वे सदन के अवमान के दोषी हो जाते हैं।

रिपोर्ट के आधार पर सदन में छानबीन करायें कि कौन से अधिकारी ऐसे हैं जो समिति के समक्ष साक्ष्य के लिये प्रस्तुत नहीं हुए और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव आए।

श्री अध्यक्ष––
विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं आता।

विविध विषय--(क्रमागत)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

एस0 पी0, बस्ती के खिलाफ इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है। माननीय सुखपाल पांडेय ने शिकायत की थी जिस पर जांच कमीशन बैठ गया था। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप मुख्य मन्त्री को आदेश करें कि वे जांच समिति की रिपोर्ट सदन के सामने पेश करें। वे यह रिपोर्ट सदन में उठने से पहले रख दें।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मन्त्री तो मौजूद हैं।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

अभी रिपोर्ट के आने की सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप जानकारी हासिल कर लें।

श्री बंशीधर पांडेय--

ये तो प्रश्न की तरह जवाब दे रहे हैं। मेरी डेफनिट इन्फार्मेशन है कि वह रिपोर्ट आ गयी है। मन्त्री जी को न मालूम होगा।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं सूचना प्राप्त कर लूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

आप सदन में रखें उठने से पहले।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

प्रधान मन्त्री जी के आगमन पर काले झण्डे दिखाने के नाते जिन लोगों की गिरफ्तारी गोरखपुर में हुयी थी उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में इस सदन में वक्तव्य होने वाला था। एजेन्डा जब देखा तो वह आइटम गायब है। तारीख आज की मुकर्रर हुई थी वक्तव्य के लिये।

श्री अध्यक्ष--

वह 10 तारीख के लिये पोस्टपोन हो गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

किन परिस्थितिवश वह 10 तारीख के लिये मुल्तवी किया जा रहा है? उसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी को इस बीच में वक्तव्य देने में कठिनाई है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उन्हीं कठिनाइयों की तो सदन जानकारी चाहता है।

श्री अध्यक्ष--

इसी सत्र में देना पड़ेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरी सूचना नियम 52 के अन्तर्गत पेंडिंग है। मैंने उस दिन भी कहा था कि पंडित आनन्द नारायण मुल्ला की "कि स्याही की बूंद के कपलेट" के सिलसिले में यह सदन चर्चा

करना चाहता है। मैंने 2 1/2 घन्टे की चर्चा मांगी है। रिपोर्ट आ जाने के बाद चर्चा हो इस सदन में ।

श्रीमन्, इस पर वक्तव्य दिलाया जावेगा, तो ढाई घंटे की चर्चा किस दिन होगी, यह स्पष्ट हो जाय। यह सदन मुख्य मन्त्री के वक्तव्य से क्षुब्ध है कि इससे शहीदों का कोई अपमान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

यह अपूर्ण दिया है .....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं यह कह रहा हूं कि जो कल्पनाथ सिंह जी ने कहा है वह वक्तव्य विशेष की बात नहीं है, यह सारे देश के शहीदों का अपमान हुआ है और जो व्याख्या यहां आई है वह अपमान में वृद्धि कर रही है। यह कहना कि यह तो उनकी शायरी का ढंग है ठीक बात नहीं है। आपका जीवन स्वतन्त्रता संग्राम में बीता है तो आपके होते हुए अगर चर्चा नहीं होगी, तो कब होगी ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मैं निवदन करना चाहता हूं 'कि नींम हकीम खतरे जान, नींम मुल्ला खतरे ईमान'। मुल्ला ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि प्रदेश में ही नहीं.....

श्री अध्यक्ष---

आप व्यक्ति विशेष पर हमला कर रहे हैं।

श्री बलवीर सिंह---

उसके बाद जो मुख्य मन्त्री जी का जवाब आया है उससे और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। तो यह मांग बिलकुल वाजिब है कि इस पर ढाई घंटे का नहीं बल्कि सारे दिन चर्चा करने का समय हम लोगों को मिलना चाहिये ताकि हम अपना प्वाइन्ट आफ व्यू रख सकें और बतला सकें कि "फनकार की कलम की स्याही की बूंद शहीद के खून से ज्यादा नहीं होती है। इसलिये आप समय निर्धारित करें। अगर यह 11 को न हो सके तो 12 को रख दें और सदन एक दिन के लिये बढ़ा दें।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, स्याही की बूंद के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने उस दिन बतलाया था कि उर्दू के विद्वानों से शेर का उन्होंने तरजुमा कराया है और उन्होंने बतलाया कि शेर में कोई बात नहीं है। तो मुख्य मन्त्री जी तक आप मेरा भी यह शेर पहुंचा दें कि इसके भी वह अर्थ करा लें :

पैदा हुआ जो मुल्ला तो शैतान ने कहा,
लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गये।

श्री अध्यक्ष---

यह आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं।

श्री अवधेश कुमार---

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके भी अर्थ करवा लें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)---

मुझे कहना है कि आप ढाई घंटे की चर्चा मंजूर करने जा रहे हैं तो उसमें मुझे भी बोलने का मौका दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं व्यवस्था चाहता हूं.... (व्यवधान) जो शेर डा० अवधेश सिन्हा ने सुनाया है वह जिस डेरोगेटरी तरीके से पढ़ा गया है....

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

यह बिलकुल उचित है।

श्री रियासत हुसैन---

यह एक पटिकुलर तरीके से मुल्ला लोगों के ऊपर ऐस्पर्शन है, इसको आप प्रोसीडिंग से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष---

अगर वह व्यक्तिगत होगा तो हटा दूंगा।

श्री रियासत हुसैन---

यह कोई मुशायरे की जगह नहीं है, यह विधान सभा है। ये कौन होते हैं....

श्री बांकेलाल---

ये कौन होते हैं इस तरह बोलने वाले ?

राजस्व मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय नित्यानन्द स्वामी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसके ऊपर मैं फैसला दे रहा हूं। उसमें उन्होंने किसी जिलाधिकारी की भी रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी, अलीगंज, एटा के आदेश दिनांक अमुक-अमुक से यह स्पष्ट होगा कि श्री साहिब सिंह व श्री बाबूराम, पंचायत मन्त्री को उनके परिवार नियोजन के कार्य में शिथिलता के कारण निलंबित किया गया तथा दंडित किया गया और इसके बारे में राजस्व मन्त्री जी ने शायद यह कहा था कि उसके ऊपर कोई सजा नहीं दी जाती। तो इसीलिये मैंने उनसे एक्स-प्लेनेशन काल करने के लिये कहा है कि आप इसका स्पष्टीकरण दें यहां पर। क्योंकि यह...

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

तारीख लगा दीजिए आज नहीं तो यह टल जायगा।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, मंगल को आ जायगा।

विविध विषय---(क्रमागत)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दे दें। कल भी टाइम नहीं दिया। एक निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

मैं व्यक्तिगत हमला नहीं होने दूंगा, मैं काट दूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी---

अध्यक्ष महोदय, 16 मार्च को प्रधान मन्त्री जी लखनऊ में आयी थीं और हमने 22 मार्च को 2 प्रश्न दिये थे---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न। उसमें हमने सरकार से यह जानना चाहा था कि प्रधान मन्त्री पर कितने सादे वर्दी में और कितने वर्दी में पुलिस लगायी गयी और उनकी व्यवस्था पर कुल कितना खर्चा हुआ। तो मान्यवर, कल लगभग पौन दो महीने

बाद हमको मुख्य मन्त्री जी का जवाब मिला कि इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि यह जनहित में नहीं है। पौने दो महीने बाद ! मान्यवर, प्रधान मन्त्री जी बराबर उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और मेरा खयाल है कि उनके एक दौरे पर, एक कार्यक्रम पर कम से कम 50 लाख रुपया खर्च हो रहा है। जबकि जनता भूखों मर रही है, राशन नहीं मिल रहा है, शकर नहीं मिल रही है, तेल नहीं मिल रहा है.....

श्री अध्यक्ष---

लिख कर भेजिये कि क्या जवाब मिला है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

दो प्रश्न हैं। जैसा मोतीलाल जी ने कहा। एक में सादी वर्दी में गुप्तचर विभाग के कितने व्यक्ति प्रबन्ध के लिये लगाये गये और कितने राज्य सरकार के धन का खर्चा हुआ।

दूसरा सवाल यह है कि दिनांक 16 मार्च, 1973 को भारत के प्रधान मन्त्री का लखनऊ आगमन पर उनके सभी कार्यक्रमों में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश का कुल कितना धन खर्च हुआ। इन दोनों का जवाब है कि जनहित में नहीं है उत्तर देना। तो पहले का तो हो सकता था कि कितनी सी० आई० डी० थी यह न बतायें, लेकिन दूसरे का कैसे हो सकता है? (व्यवधान) (शोर) लाखों रुपये खर्च होते हैं और सारे प्रदेश से लोग इकट्ठा किये जाते हैं और उस पर ये लोग चिल्लाते हैं क्योंकि शर्म आती है। (शोर)

श्री अध्यक्ष---

ऐसी चीजें हों तो मेरे कमरे में लिखकर भेजें तो मैं जांच कर लूं।

(शोर)

श्री रामधारी शास्त्री---

आजकल कुछ लोगों को सरकार की ओर से कुत्ते की बोली बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। (शोर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों को कार्य सूची में रखने के क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री शम्भूनाथ चौधरी ने कामरोको प्रस्ताव के बारे में यह कहा था कि मैं नामंजूर करता हूं और बाद में जब उपाध्यक्ष बैठते हैं तो वह फैसला सुनाते हैं। तो मैंने उलट दिया है उस मामले को ताकि यह मेरे सामने ही आ जाया करे। इसलिये उसका स्थान विशेषाधिकार के बाद ही नियम 315, यानी मुझे कोई वक्तव्य देना हो तो दूंगा और उसके बाद कार्यस्थगन प्रस्ताव आ जायेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

जो कार्यस्थगन प्रस्ताव आज आये हैं उनके ऊपर जो फैसला मैंने किया है वह सुनाये देता हूं।

एक शम्भूनाथ जी चौधरी और शफीक अहमद खां साहब का है बलिया जनपद में अनेकों गांव सभाओं में गांव पंचायत के सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव अब तक न कराये जाने के बारे में। इसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। मैंने इसको अस्वीकृत किया है।

[श्री अध्यक्ष]

एक रामधारी शास्त्री जी और बांकेलाल जी का है कि देवरिया जिले में पिछली गेहूं की फसल पैरिल्ला कीड़ों के प्रकोप से 80 प्रतिशत से अधिक नष्ट हो जाने के बावजूद भी सरकार उनसे मालगुजारी वसूल कर रही है·····

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मेरे जिले में गेहूं की फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी है।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो उसके लिये समय ज्यादा दे चुका हूं। 11 तारीख को आप यह सब चीजें कह सकते हैं। कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

एक हुकुम सिंह परिहार का है आगरा में मार्टिन बर्न ऐंड कम्पनी बिजली सप्लाई नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास कोयला नहीं है। कोयला सेन्ट्रल गवर्नमेंट सप्लाई कराती है।

श्री बांकेलाल---

देवरिया जिले में सारी फसल नष्ट हो गयी है और मालगुजारी वसूल की जा रही है। तो मालगुजारी की वसूली स्थगित की जाय। (व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)---

एक व्यवस्था का छोटा सा प्रश्न है। (व्यवधान)

हुसैनाबाद ट्रस्ट के लिये विधान मण्डल के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री (श्री वीरबहादुर सिंह)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "हुसैनाबाद इन्डाउमेन्ट ऐक्ट (1878 का ऐक्ट नं0 15) के अन्तर्गत हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु निर्धारित स्कीम की धारा 2 (ए) के साथ पठित धारा 13 (3) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष विधान सभा तथा श्री सभापति, विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु समिति के लिये विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें, करें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

प्वाइंट आफ आर्डर। यह वक्फ के मिनिस्टर नहीं हैं। औसाफ के मिनिस्टर को रखना चाहिये।

(शोर व्यवधान के बीच)

श्री राम कृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...(शोर)

श्री अध्यक्ष---

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठिये।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई सदस्य एक साथ व्यवधान करते रहे ।)

श्री अध्यक्ष---

कोई मंत्री नहीं है क्या ? मंत्री जी, आप कृपा कर इनको रोकिये ।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

मेरा निश्चित प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें ।

प्रश्न यह है कि हुसैनाबाद इन्डाऊमेंट ऐक्ट (1878 का ऐक्ट नं0 15) के अन्तर्गत हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु निर्धारित स्कीम की धारा 2 (ए) के साथ पठित धारा 13(3) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष, विधान सभा तथा श्री सभापति, विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु समिति के लिये विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें, करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

(व्यवधान) इस तरह से सदन नहीं चलेगा. . .

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

अभी कुछ देर पहले आप इजाजत दे चुके हैं, आपने कहा था कि मंत्री जी बोल लें, तब मैं बोलूं । (शोर -व्यवधान) ।

मैं व्यवस्था का यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यदि सदन में कोई माननीय सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग करे, घृणित स्तर तक उतर आयें तो उससे सदन की, और आप सब की मर्यादा कुंठित होती है. . . (व्यवधान) इस तरह से न सदन की गरिमा रहेगी न आपकी । अभी माननीय शास्त्री जी ने "कुत्तों की बोली" शब्द का जो प्रयोग किया है, मैं आपके द्वारा उनसे आग्रह करूंगा वह असंसदीय है, उसे वे वापस लें या आप कार्यवाही से निकलवा दें । (शोर)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

प्रतिष्ठा और सम्मान तो उसी दिन चला गया जब आप लोग दल बदल कर उधर चले गये (शोर). . .

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी ने जो कहा वह उनकी मर्यादा के भी अनुरूप नहीं है । हम विधायक लोग यहां होटल या बार में बैठने के लिये नहीं आये हैं । अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जायेगा तो सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी । इसलिये आप इन शब्दों को या तो कार्यवाही से निकलवा दें अथवा माननीय सदस्य से कहें कि वे क्षमा याचना करें और उन शब्दों को वापस लें । (व्यवधान)

और मान्यवर, अच्छा हो यह माननीय सदस्य स्वयं इसे वापस ले लें, क्योंकि मैं जानता हूं यह सम्मानित सदस्य ऐसा जान बूझकर नहीं कहेंगे, आक्रोश में आकर कह गये हैं । मेरा निश्चित विचार है कि सदन की मर्यादा के लिये इनको इस शब्द को वापस ले लेना चाहिये, जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

अभी हमारे माननीय सदस्य ने सदन के सामने एक बड़ा गम्भीर प्रश्न उठा दिया । मालूम होता है कि वह अभी मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं सके हैं । मैं अपने सम्मानित सदस्य को और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब मैं किसी शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसको ध्यान में रखकर करता हूं कि वह संसदीय है या असंसदीय है । मैंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है कि सदन की मर्यादा का कभी उल्लंघन न हो, सदन की ही नहीं किसी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व को ठेस न पंहुचे । जहां तक उन्होंने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा है, मैंने यह कहा है कि लगता है कि कुछ लोगों को कुत्तों की बोली बोलन की ट्रेनिंग दी जा रही है और मेरा यह कथन असंसदीय कभी नहीं है । मेरा मतलब किसी की मर्यादा को चोट पंहुचाना नहीं है । जिस टर्मानालोजी का मैंने प्रयोग किया है, वह असंसदीय नहीं है । आप कहेंगे और मुझे अवसर मिलेगा तो मैं एक नहीं अनेक इस प्रकार के उदाहरण हाउस आफ कामेंश से तथा अन्य जगहों की पुस्तकों से देखकर दे सकूंगा, जिससे स्पष्ट होगा कि यह असंसदीय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके नहीं कहा ?

श्री रामधारी शास्त्री---

नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा मैं देख लूंगा ।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

शास्त्री जी ने परोक्ष रूप से ही सही, एक भूल किया है, मैं समझता हूं कि इसका एहसास उन्हें होने लगा है । अच्छा हो कि शास्त्री जी ऐसे मर्मादित व्यक्ति, ऐसे पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के माहिर व्यक्ति पुनः अपनी भूल को स्वीकार करके इस शब्द को वापस ले लें, तो उनकी बड़ी कृपा होगी । अन्यथा प्रोसीडिंग निकलवाई जाये और देखा जाये कि उन्होंने क्या कहा है । मैं सिद्ध कर सकता हूं कि हाउस आफ कामेंश में यह प्रयोग नहीं हुआ है न देश की विभिन्न पार्लियामेंट्स में ही इसका प्रयोग किया गया है । यह असंसदीय है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था । आज मैंने नियम 301 के अन्तर्गत आपके पास भेजा था । मैं समझता था कि आप अध्यक्ष द्वारा घोषणाओं के अन्तर्गत उस विषय पर अपने निर्णय की घोषणा करेंगे . . .

श्री अध्यक्ष---

मैं इस पर देख कर बताऊंगा । अभी उसे पूरी तरह से पढ़ा नहीं है । मैं कल ले लूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कल सदन नहीं रहेगा ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, मंगल को आयेगा ।

(कृषि राज्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मंत्री जी कल काफी समय ले चुके हैं और आज आपने फिर उनको समय दे दिया । उनको जबाब तो देना ही है, इसलिय हम लोगों को अब मौका दिया जाय, नहीं तो मौका नहीं मिल पायगा, कहन का ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उनसे कहूंगा कि वह संक्षेप में कहें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

यह कल आधा घंटे से ज्यादा बोले हैं ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है आप 5 मिनट में समाप्त करें ।

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)--

नहीं, 10 मिनट ।

(श्री राम कृष्ण द्विवेदी के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बठ जाइये, देखते नहीं आपकी पार्टी के आदमी खड़े हैं और मैंने उनको पहले बुला दिया है ।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

मैं सदन का आ दमी हूं और चुना हुआ आदमी हूं और मुख्य मंत्री को हराकर आया हूं । आप अपनी व्यव स्था दीजिये··· (व्यवधान) ···

1973-74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 21--कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या 22--उपनिवेशन, अनुदान संख्या 23--पशुपालन तथा मत्स्य पालन तथा अनुदान संख्या 45--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय--(क्रमागत)†

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

कल इस सदन में अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उठाया गया कि कृषि पर बोझ बहुत अधिक है, उसे हल्का करना चाहिये और उसके लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । जहां हम एक ओर पूर्वी जिलों का विकास करना चाहते हैं, बुन्देलखंड इलाके का विकास करना चाहते हैं, पहाड़ी इलाके का विकास करना चाहते हैं जो कि गरीब तथा पिछड़े इलाके हैं वहां साथ-साथ इन क्षेत्रों में जो कृषि पर अधिक बोझ पड़ गया है उस बोझ को कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है । इसीलिये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिये पूर्वांचल विकास निगम, बुन्देलखंड विकास निगम तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास निगम की स्थापना हुई और इनमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के जरिये यह प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग खेती के बजाय उद्योग धंधों में लग कर अपनी रोजी रोटी कमा सकें ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो हमारा एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन है वह इस वित्तीय वर्ष में 9 इकाई कायम करेगा । फलसंरक्षण उद्योग शाला कोसी, लखनऊ, तथा हापड़ में पलिपग इकाई कोटद्वार तथा बरकोट में पैकिंग केस फैक्ट्री हल्द्वानी तथा भुवाली में कायम की । पशु संतुलित आहार फैक्ट्री, गोरखपुर तथा मुरादाबाद में कायम किया जायगा । इसी तरह से बुन्देलखंड विकास निगम में कांक्रीट पोल्स बनाने का कारखाना स्थापित करेगा, रोलर फ्लोर मिल खोली, स्पिनिंग मिल तथा साइकिल व टायर ट्यूब का एक कारखाना स्थापित किया जायगा ।

पूर्वांचल विकास निगम चार मिनि शुगर मिल्स की स्थापना की जो गोरखपुर, देवरिया, बस्ती व सुल्तानपुर में चल रही है और अगले वर्ष तीन मिनि शुगर मिल और खोलने का

†3 मार्च, 1973 की कार्यवाही से ।

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय]

निश्चय निगम के जरिये से किया जायगा । पूर्वांचल विकास निगम ईटों के 40 भट्ठे स्थापित करेगा । पर्वतीय विकास निगम के अन्तर्गत सोयाबीन, आलू, फलों का संरक्षण के साथ-साथ रेंजिग फैक्ट्री, टेलिविजन फैक्टरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्टरी, साइडर प्लांट लगाने का प्राविधान किया गया है ।

कल एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठाया गया कि सरकार ने छोटे किसानों के लिये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है । दो सीमान्त कृषक योजना, मथुरा और बलिया में चल रही हैं और चार लघु कृषक विकास योजनायें चल रही हैं जिनसे छोटे किसानों को लाभ पहुंचता है । सीमान्त कृषक योजना में किसान को 33 1/3 प्रतिशत सबसिडी तथा लघु कृषक विकास योजना में 25 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है जिनसे पूरा लाभ छोटे किसान ही उठा पाते हैं ।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के आधार तथा पिछड़ेपन को देखते हुये लघु विकास और सीमान्त कृषक विकास योजना चलाने की और मंजूरी दी जाय जिससे अन्य जिलों में भी इसकी स्थापना की जा सके ।

इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा 32 सेवा केन्द्र चल रहे हैं तथा एग्रो ने 35 सेन्टर्स खोले हैं और जो छोटा काश्तकार ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता उनको ये केन्द्र ट्रैक्टर उपलब्ध करायेंगे ताकि छोटा किसान खेतों की जुताई कर सके । इसके अलावा 135 अन-एम्पलायड ग्रेजुएट्स तथा टेक्निकल पर्सनल्स को जिनको कोई नौकरी न हीं मिलती थी उनको इम्पलिमेंन्ट्स देने हेतु यंत्र उपलब्ध कराये जिससे वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें ।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न भानु प्रताप सिंह जी ने उठाया था कि सरकार ने धरती पर जो हमारा बोझ है उसे सरकार ने हल्का नहीं किया है । बल्कि बोझ बढ़ता ही जा रहा है । इस सिलसिले में जैसा कि अपने भाषण में बताया कि हमने जी पूर्वांचल विकास निगम और पर्वतीय विकास निगम बनाये हैं उनके जरिये से योजनायें चलाई जा रही हैं । हमारे कृषकों और विशेषकर लघु कृषकों के ऊपर खेती का जो बोझ है वह उत्तरोत्तर हल्का हो रहा है । लोगों को इन्डस्ट्रीज की ओर हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ।

एक प्रश्न में यह बताया गया था कि जहां भारत में सम्पूर्ण औसत पैदावार बढ़ी है वहां उत्तर प्रदेश में वह घटी है । इस संबन्ध में म यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1960–61 में सम्पूर्ण भारत की तुलना में जहां उत्तर प्रदेश में खाद्यानों की उपज का औसत 17.66 प्रतिशत रहा, वह सन् 1970–71 में बढ़कर 17.95 प्रतिशत हो गया । केवल पैदावार का औसत ही नहीं बढ़ा बल्कि प्रति हेक्टियर पैदावार में भी निरन्तर बृद्धि हुई है । मान्यवर, आंकड़ों से विदित होता है कि गेंहूं की 1950–51 मे जहां प्रति हेक्टेयर 8.13 क्विन्टल पैदावार थी वहां 1970–71 में 13.29 क्विन्टल प्रति हेक्टियर हो गयी । इसी तरह से धान में जहां सन् 1950–51 में प्रति हेक्टियर पैदावार 4.86 क्विन्टल थी वहां सन् 1970–71 में 8.01 क्विन्टल प्रति हेक्टियर हो गई । इसी तरह से मक्का तथा बाजरे में बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

आदमियों में कितनी वृद्धि हुई है, उसके हिसाब से ही आप बतायें कि कितनी पैदावार बढ़ी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

खेती के विकास के साथ ही साथ हम यह भी कर रहे हैं कि उसका यंत्रीकरण होना चाहिये जिससे लोग खेती में उपकरणों का उपयोग करें । सन् 1970–71 में उत्तर प्रदश की सरकार न 4,896 थ्रेशर का वितरण किया जिनकी लागत 54 लाख रुपया थी । माननीय

माधव प्रसाद जी त्रिपाठी नहीं हैं, अभी पिछले दिनों उन्होंने अपने भाषण में इस बात का चार्ज लगाया था कि किसानों को जो थ्रेशर दिये गये थे वे खराब हो गये। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि हमने 5 हजार थ्रेशर का वितरण किया और उनके खराब होने की शिकायत केवल 167 की ही आई कि 167 थ्रेशर खराब हुये हैं। इन खराब हुये थ्रेशर को हमारे निदेशालय ने बड़ी गम्भीरता और तत्परता से 131 थ्रेशर को बदलवा दिया और बाकी खराब हुये थ्रेशरों को एडजेस्ट किये जाने का प्रयास जारी है। सन् 1971–72 में यंत्रीकरण की तरफ जो रुख हुआ उसके लिये हमारे निदेशालय ने बहुत ही सराहनीय काम किये हैं।

मान्यवर मैं ज्यादा समय न लेकर केवल दो चीजों के बारे में आपका ध्यान दिलाऊंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर करीब 145 कृषि फार्म हैं। बड़ा हल्ला होता है कि उनमें घाटा हो रहा है। इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 145 कृषि फार्मों में से सन् 1970–71 में केवल 59 फार्मों पर घाटा हुआ। कृषि विभाग ने इस ओर बहुत गम्भीर काम किया और इनकी स्थिति को सुधारा जिसका नतीजा यह हुआ कि सन् 1971-72 में केवल 30 फार्मों पर ही घाटा हुआ और 1972–73 में यह आशा की जाती है कि केवल घाटे के कृषि फार्मों की संख्या 20 रह जायेगी।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

आप यह बता दें कि कुल कितने क्षेत्र पर सरकारी खेती हुई और कितना लाभ प्रति एकड़ हुआ ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

अभी बता रहा हूं। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस वर्ष केवल 20 फार्म ही घाटे पर रह जायेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पानी और समतलीकरण की व्यवस्था हो जाय तो कोई भी फार्म घाटे पर नहीं रहेगा। जिसकी व्यवस्था की जा रही है। जहां तक पैदावार का सवाल है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं आंकड़े तो मेरे पास इस समय नहीं हैं ! लेकिन पैदावार के आंकडे हैं। करीब 10.60 लाख क्विन्टल इन फार्म्स में पैदावार हुई थी पहले जो बढ़कर 1971–72 में 28.3 लाख क्विंटल हो गयी और 1972–73 में 30 लाख क्विटल पैदावार हुई।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

लाभ रुपये में प्रति एकड़ मैंने पूछा था।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

वह आपको बाद में बतला दिया जायेगा।

श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़)––

मैं आपको बतला दूं कि जितनी लागत लगती है उसका ब्याज भी नहीं मिलता है। पूरे फार्म्स के आंकड़े आप निकाल लीजिये।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

इसके अलावा मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन माननीय सदस्य अपने सुझाव देना चाहते हैं, सब लोग बोलना चाहते हैं और अभी कृषि मंत्री जी भी बाद में बोलेंगे तो मैं ज्यादा वक्त न लेकर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि व कृषि विकास के सम्बन्ध में अपने अमूल्य सुझाव दें, जो भी सुझाव वे देंगे उन पर विचार किया जायगा और कार्यवाही की जायेगी।

*श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश जिसके बारे में बराबर यह चर्चा होती है कि हमारे देश के पिछड़े प्रदेशों में से एक है । जब स्वयं चाहे इस प्रदेश की सरकार हो, चाहे केन्द्र में बैठी हुई सरकार हो वह यह स्वीकार करती है कि यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है, तो फिर इस पिछड़े प्रदेश की प्रगति को आगे लाने के लिये क्या उपाय किया जाय ।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये ।)

हमें ऐसा लगता है कि केवल एक बात उनके मस्तिष्क में है कि यह प्रदेश पिछडा हुआ है और इस पिछड़े प्रदेश को कैसे दूसरे प्रदेशों की गति से आगे लाया जाय, वह अपना संतुलन खो बैठे हैं और व्यावहारिक दृष्टि से विचार नहीं करते जिससे इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सके जिसका ही यह कारण है कि उत्तरोतर हमारा प्रदेश चाहे वह पर कैपिटा इन्कम की दृष्टि से हो, चाहे उत्पादन की दृष्टि से हो, बराबर पिछड़ता चला जा रहा है आपकी इन चार योजनाओं की समाप्ति के बाद भी । इस चौथी योजना की समाप्ति के बाद जो पांचवीं योजना भी आप चलाने जा रहे हैं उसमें भी आपने उस व्यावहारिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जिससे इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सकता है । दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस प्रदेश के निवासियों का भी कि प्रशासकों ने ऐसे लोगों के हाथों में इस प्रदेश की बागडोर दे रखी है जो इस को दूर करने के लिये व्यावहारिक दृष्टि से नहीं सोच सकते हैं ।

श्रीमन्, हम आपके माध्यम से उस दिशा में इस सरकार के लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । इसके पहले कि मैं उस बात की तरफ जाऊं, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि शायद कदाचित इस प्रदेश की सरकार में किसान के बेटों का प्रतिनिधित्व होता, किसानी में आस्था रखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व होता, या किसानों की खेती की जानकारी रखने वालों का प्रतिनिधित्व होता तो निश्चित रूप से कुछ दिशा में बदलाव होता ।

आज जो कृषि विभाग है, जो कृषि योजना है, जो कृषि कार्य-क्रम है, हमें ऐसा लगता है—क्षमा करेंगे यदि कोई कृषि से सम्बन्ध रखने वाले मंत्री हों, लेकिन मेरी ऐसी धारणा है कि उनमें व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है और किसान की समस्या क्या है, खेती का प्राबलम क्या है, इसके बारे में उनको कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है । उनके पीछे एक लम्बी लाइन आफिसरों, निदेशकों और दूसरे लोगों की है और वे लोग जिस प्रकार अपने तरीके से चीजों को सामने रखते हैं उसी रास्ते पर चलने की दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं जिसका कारण है कि जैसी प्रगति होनी चाहिये खेती की दिशा में वह नहीं हो रही है । हमें चाहिये कि इस तथ्य के ऊपर विचार करें और यदि उचित हो और यह आवश्यक लगता हो कि जानकारी रखने वाले आदमी को उस प्रकार का काम सौंपा जाय तो शायद ज्यादा सही प्रगति हो सकेगी ।

जहां तक इस प्रदेश के पिछड़ेपन का सवाल है यह सब लोग स्वीकार करते हैं कि यह खेतिहर प्रदेश है, खेती ही यहां का मुख्य कार्य है, और खेती करने वाले इस प्रदेश में वे लोग भी हैं जिनके पास एक बीघा खेत है, डेढ़ बीघा खत है । अब तो आपने एक सीमा बांध दी है कि 18 एकड़ से अधिक खेती किसी के पास नहीं हो सकेगी, तो 18 एकड़ से लेकर एक, आधे और चौथाई एकड़ तक के काश्तकार इस प्रदेश में हैं । और 18 एकड़ तक काश्त करने वाले काश्तकारों की संख्या इस प्रदेश में कितनी है ?

इस प्रदेश में जो काश्त करने वाले काश्तकार हैं उनमें से 18 एकड़ तक काश्त करने वालों की संख्या कुल काश्तकारों की संख्या का केवल 17.00 कुछ डिसमिल है । शेष ऐसे काश्तकार हैं जो 18 एकड़ से नीचे की श्रेणी में आत हैं और सवा तीन एकड़, साढ़े तीन एकड़ के जो काश्तकार हैं उनकी संख्या, खती करने वाले काश्तकारों के मुकाबले में 75 प्रतिशत है । इस व्यावहारिक दृष्टि की ओर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है कि आज 75 प्रतिशत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसान अनइकोनोमिक होल्डिंग्स में है जो आर्थिक दृष्टि से अलाभकर है। अगर आप उसको इसी तरह की अनइकोनामिक होल्डिंग्स में लगाये रखेंगे तो प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने की बात निरर्थक सिद्ध होगी।

इसलिये आवश्यकता है कि बुनियादी सवाल पर विचार करें और प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना है तो ऐसे लोग जो खेती में लगे हुए हैं जिसको आप अनइकोनोमिक मानते है और वे अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं और प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिये उपाय करना होगा। जमीन बांटने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अगर आप किसान को 3 एकड़ जमीन दे देंगे तो क्या उस पर खेती इकोनोमिक होगी। वह इकोनोमिक नहीं होगी। इसलिये हम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि प्रदेश में खेती की प्रगति हो तो इस बुनियादी सवाल पर विचार करना होगा कि जो लोग अनइकोनोमिक खेती पर लगे हुए हैं उनको इतनी भूमि दी जाय जिससे उस पर खेती लाभकर हो जाय तो आप कह सकते हैं कि जो किसान खेती पर लगे हुए हैं वह प्रदेश की प्रगति में सहायक होंगे।

श्रीमन्, यह बुनियादी सवाल है और इस पर हम आशा करते हैं कि शासन का ध्यान इधर जायेगा। जहां तक इस प्रदेश की प्रगति की दूसरी बातें है जिसकी चर्चा राज्य मंत्री कर रहे कि हमने बुंदेलखण्ड और पर्वतीय विकास निगम बना दिये हैं और सीमांत विकास योजनायें आदि चालू कर देना मृग मरीचिका सिद्ध होगी। इससे काम बनने वाला नहीं है। चार पंच-वर्षीय योजनायें चल चुकी हैं लेकिन प्रदेश प्रगति नहीं कर सका। आज भी इस देश के अन्य प्रदेशों से हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अगर आप इस प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से विचार करना होगा। केवल योजनायें बना कर चलाने से काम नहीं चलेगा।

आज बहुत लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं कि प्रदेश में बड़ी प्रगति हुई है। लेकिन आपकी योजनाओं से प्रगति नहीं हुई है बल्कि पैदावार बढ़ने के जो-जो मुख्य तत्व हैं वह तकनीकी शोध है। उनसे हमको अच्छे बीज मिले और उनको आपने किसानों में प्रसारित किया और प्रदेश के किसानों ने उसको ग्रहण किया। इसलिये तकनींकी शोध से प्रगति हुई है। दूसरे किसानों ने साहस और हिम्मत से काम किया और अपने को जोखम में डाला। मैं जोखम शब्द का इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आज 85 प्रतिशत किसान कर्जदार है, बैंक का कर्जदार है खाद का कर्जदार है और महाजन का कर्जदार है, कहने का मतलब यह है कि आज वह कर्जे के बोझ से बुरी तरह लदा हुआ है, उसने इस जोखम को बरदास्त किया है। चाहे किसी से कर्जा लेना पड़े, वह कर्जा लेकर खेती का विकास करेगा। उसके साहस, हिम्मत और जोखम में डालने की प्रशंसा करनी चाहिये। इसी के कारण हमारे यहां खेती का विकास हो पाया है। तकनींकी शोध और किसान की हिम्मत और साहस इन दोनों ने मिलकर प्रदेश में खेती की प्रगति की है। दुर्भाग्य यह रहा कि आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया। अगर आप अपने हिस्से का काम कर देते तो निश्चित रूप से प्रदेश की प्रगति हो जाती। किसानों को जिन चीजों की आवश्यकता थी उनको आप उपलब्ध नहीं करा सके।

मैं मोटे तौर पर दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कृषि के लिये अच्छे बीज की, अच्छी खाद की और अच्छी भूमि की आवश्यकता होती है और साथ ही पानी का प्रबन्ध उसके लिये होना चाहिये। बीज खाद और पानी यह तीन बहुत ही आवश्यक चीजें हैं जो खती के लिये आवश्यक हैं। इनकी समुचित व्यवस्था यदि नहीं होगी तो उत्तम खती संभव नहीं है। अगर इन दो चीजों के साथ-साथ जो मैंने बतायीं इन तीनों

[श्री रामकुमार दीक्षित]

आवश्यकताओं की भीपूर्ति हो जाय तो हमारे यहां भी पंजाब और हरियाणा की तरह प्रति हैक्टेयर उपज हो सकती है, हम जापान और अन्य किसी भी देश या प्रदेश से पीछे नहीं रह सकते और हम उसी श्रेणीं में अपने प्रदेश को उपज के मामले में लाकर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दुख है कि आपने वह नही किया, आपकी योजनायें बनीं, खाद के कारखाने लगाये गये, आप ने लाखों रुपये के फर्टिलाइजर किसानों को बांटे लेकिन इन जरूरी बातों की तरफ आपने ध्यान न देकर इस स्थिति को ला दिया जो इस साल हुई है।

आपने कहा कि हमने 42 लाख टन फर्टिलाइजर बांटा और पिछले साल सात लाखकुछ हजार टन बांटा था। इस साल औसत में आप स्वयं कहते हैं कि हमने कम बांटा लेकिन दूसरा विचारणीय पहलू यह है कि कितने हेक्टेयर भूमि में अब खेती होने लगी है, एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती बढ़ी है और आपने यह भी स्वीकार किया है कि रबी की बुवाई 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ज्यादा हो गयी। आप का फर्टिलाइजर अनुपात में पिछले साल से कम हुआ ब्लैक से चोर बाजारी से जहां से भी किसान को मिला, उसे खाद की जरूरत थी उसने खरीदा, जिस किसान की जीविका का एक मात्र साधन खेती है और जिसका परिवारऔर जो स्वयं उसी पर आश्रित है उसको आप आश्वस्त करते कि उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित मूल्य पर फर्टिलाइजर मिलेगा तो शायद किसान अपनीं उपज को कई गुना बढ़ा सकता था। लेकिन जो आंकड़े आपके फर्टिलाइजर के हैं और जितनीं किसान की जरूरत थी उसे आप पूरा न कर सके आज आपको इस दृष्टि से किसान को स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है कि वह फर्टिलाइजर के मामले में परामुखी न हो।

आपने बजट में बताया कि कुछ रुपया कम्पोस्ट खाद के लिये भी खर्च किया जायगा। लेकिन देखने की बात यह है कि आज उसका उपयोग हो कहां रहा है, वह कहीं व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है? आज किसान की आस्था रासायनिक खाद पर ज्यादा हो चुकी है और अब उसका ध्यान कम्पोस्ट खाद की ओर नहीं जा रहा है। जिस कम्पोस्ट के लिये मंत्री जी रुपया खर्च करना चाहते हैं उसका प्रयोग ही अब कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए अब हरी खाद या कम्पोस्ट खाद का प्रयोग होगा यह समझ में नहीं आता।

इधर किसान की रुचि रासायनिक खाद की ओर बढ़ी है। या तो आप पुनः उसकी रुचि हरी खाद और कम्पोस्ट खाद में पैदा करें, उसका ध्यान रासायनिक खाद की ओर से हटायें जिस तरह से कि आज से दस साल पहले की स्थिति थी कि आप का विभाग किसान को रासायनिक खाद प्रयोग करने के लिये कहता था और किसान उससे दूर भागता था और आप उसको जबरन खाद देने का प्रयत्न करते थे। जो किसान ब्लाक से खाद खरीदता है और अपनी जीविका का एक मात्र अवलम्ब खेती को ही समझता है उसे आप खाद की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाय, चाहे आप किसी भी प्रदेश या अन्य देश से खाद मगायें। आपको तो फर्टिलाइजर की चिन्ता रबी की बुआई के बाद होती है जब किसान खाद के लिये तरसता है। अब से दो मास के बाद खरीफ की बुआई होगी लेकिन आप अभी से क्यों नहीं खाद की जरूरत को देख कर अपना स्टाक बनाते और किसान को आश्वस्त करते कि हमारे गोदामों में, हमारे सेन्टर्स पर खाद है और पूरी मात्रा में दिया जायगा। आप के विभाग के बड़े बड़ें अफसर सारे के सारे दफ्तरों में बैठकर कागजी योजना बनाते हैं। आप निश्चित रूप से फसल की बुआई के दो मास पहले से खाद की व्यवस्था किसान के लिये करें और उसे आश्वस्त करे कि उसे जितनी खादकी जरूरत होगी वह पूरी मात्रा में दिया जायगा और कही कमीं महसूस नहीं होने दी जायेगी।

दूसरा पहलू बीज का है। मैं मानता हूं कि रबी के बीजों के सम्बन्ध में जो आपका शोध कार्य हुआ है वह अच्छा हुआ है। उसके प्रयोग से उपज बढ़ी है लेकिन आपका यह बीज इतना मंहगा है कि छोटे तबक का किसान जो चौथाई, आध, एक या 2 एकड़ भूमि रखता है उसके लिये भार स्वरूप होता है। वह उसे अपना नहीं पा रहा है।

गांव में बराबर बीज बिकते हैं और उसे खरीद कर किसान बोते हैं जिससे पूरी मात्रा में उसे उत्पादन नहीं मिल पाता है। आप सबसिडी देकर, बीज के दाम करके उसको दीजिए। जहां आप लाखों करोड़ों रुपया विभिन्न योजनाओं में खर्च करते हैं और उनसे कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है वहां आप किसानों को सस्ते और शुद्ध बीज देने की व्यवस्था करें। जो बीज पंतनगर से किसान को 3–50 रुपये प्रति क्विन्टल मिलता है उसे आप 1 रुपया प्रति किलो दिलवाइये। आप हिम्मत करके क्यों नहीं कहते है। आप यों तो खेती का विकास करना चाहते हैं लेकिन किसान को बीज देंगे साढ़े 3 रुपये प्रति किलो। इससे साधारण किसान तो कोई लाभ नहीं उठा सकता लेकिन बड़े–बड़े लोगों ने अवश्य इसका फायदा उठाया है। आपका जो सीड कारपोरेशन है और जो उन्नतिशील बीच है उससे बड़े–बड़े काश्तकारों में बड़े-बड़े फार्म वालों ने फायदा उठाया। आपको मंहगे भाव पर बेचा और आपने उसको हमें मंहगे भाव पर दिया, हमसे भी मुनाफा लेकर आपने हमें बेचा। तो यह जो आपका प्रोसेस है यह बहुत ही डिफैक्टिव है।

आप बीज उत्पादन के लिये अपने सैन्टर्स कायम कीजिए। जो प्राइवेट फार्मस हैं, जहां से आप उन्नतिशील बीज लेते हैं, देखा गया है कि उन बीजों में भी बहुत मिलावट होती है। मैं सैकड़ों मिसालें आपको दे सकता हूं जहां पर उनसे जर्मिनेशन ही नहीं हुआ है। कई जगहों पर तो देखा गया कि जो गेहूं बोया गया उसमें 50 प्रतिशत जर्मिनेशन ही नहीं हुआ। जब शिकायत की गई तो कहा गया कि हमारा बीज का जर्मिनेशन बिल्कुल ठीक था। प्रयोग से 99.9 प्रतिशत जर्मिनेशन पाया गया था। आज किसान से ज्यादा कौन इस बात को जान सकता है कि जो बीज उसने बोया उसमें कितना जर्मिनेशन है लेकिन आपका विभाग कहता है कि नहीं वह बिल्कुल ठीक था, उसमें 99.9 प्रतिशत जर्मिनेशन पाया गया था। यदि आप बीज उन्नतिशील नहीं देंगे, सस्ता नहीं देंगे, किसानों को सरलता से और सुगमता से नहीं मिलेगा तो गेहूं का उत्पादन प्रदेश में बढ़ने वाला नहीं है। मैं सरकार से यह भी चाहूंगा कि गेहूं के बीज का उत्पादन सरकारी फार्मों में होना चाहिये, न कि प्राइवेट फार्मों में। इस पहलू पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

तीसरी चीज किसान के लिये पानी है। आपकी जो योजनाएं हैं, उन सबको आप एक ओर रख दीजिए। एक बात आप स्वीकार करते हैं कि पानी के लिये बिजली की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप इस प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करें, मैं मानता हूं कि आज इस प्रदेश के सामने बिजली का संकट है, आपको कठिनाई भी होगी, कि हम किसानों को पानी के लिये पूरी मात्रा में बिजली देंगे तो प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सकेगा। आप को हिन्डैल्को और बड़े-बड़े पूंजीपतियों की बिजली काटकर किसानों को देनी पड़ेगी और बिजली का आपको प्रसार भी करना पड़ेगा जब तक आप बिजली का प्रसार नहीं करेंगे तब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है, भले ही आप लाखों योजनाएं चलाते रहें।

पानी के मामले में हमारे किसान स्वावलम्बी हो सकते हैं। आपके साधनों में चोरबाजारी है, भ्रष्टाचार है इसलिये बजाये आपके साधनों पर आश्रित होने के वह अपने साधनों पर खड़ा होना चाहता है लेकिन उसके लिये आपकी बिजली का सहारा है और डीजल इंजिन का सहारा है। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय में बिजली की उतनी मात्रा म आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस समय केवल गन्ने और जायद की फसलों को ही सिंचाई की आवश्यकता है लेकिन अगर यह हालत आपके डीजल की 2 महीने पहले हुई होती तो किसान बहुत मुश्किल में पड़ जाता।

[श्री रामकुमार दीक्षित]

इसलिये खेती के लिये पानी की जो आवश्यकता है, उसके लिये आप बिजली का प्रसार करने की तुरन्त व्यवस्था करें। जो प्रायवेट लोग नलकूप और डीजल इंजन लगाना चाहते हैं उनको भी इस प्रकार की सुविधा दें ताकि वे निश्चित रूप से स्वावलम्बी हो सकें। तब आप देखेंगे कि किसान कितनी तेजी से प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में सहयोग करता है। अन्यथा आप इस तरह की योजनाओं से, सीमान्त विकास, लघु-कृषक योजनाओं से प्रदेश का विकास नहीं कर सके।

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि तकनीकी ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता है। अगर टेक्निकल जानकारी, शोध की जानकारी किसान और किसान के बेटे को रहेगी, तभी आप जितनी मात्रा में खेती में विकास करना चाहते हैं, विकास कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कानपुर का कृषि विज्ञान संस्थान, शोध, शिक्षा और प्रशिक्षण, ये तीनों काम कर रहा है। मैं ज्यादा विस्तार से तो इस संस्थान के बारे में नहीं कह पाऊंगा क्योंकि समय कम है। इस संस्थान को, जो पहले कृषि विद्यालय था, कृषि विज्ञान संस्थान के रूप में सरकार ने प्रतिष्ठित किया। इसको कृषि विज्ञान संस्थान का रूप दिया गया और यह शोध, शिक्षा प्रसार और प्रशिक्षण, तीनों कामों को कर रहा है। इसको कृषि विभाग से पृथक भी होना चाहिये। दो बार कमेटी बनी उसके लिये। इस बात की अनुसंशा हुयी कि इस विज्ञान संस्थान को कृषि विभाग से अलग होना चाहिये। मैं फिर बार-बार कहता हूं कि इसको कृषि विभाग से अलग रखें। कृषि विभाग से जोड़ेंगे तो न शोध का कार्य हो सकेगा, न शिक्षा का कार्य हो सकेगा और न प्रशिक्षण का कार्य हो सकेगा। उसके पास बहुत बड़ा काम करने को है। लेकिन उसमें जो व्यवहारिक ढंग पर शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण का काम हो रहा है, उसको भी मिटा देना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। कृषि निदेशक को छोड़कर सारे लोगों ने अनुसंशा की कि उसमें शोध, शिक्षा और प्रशिक्षण का काम होना चाहिये लेकिन ब्यूरोकेसी की प्रधानता है प्रदेश में। उस कमेटी की अनुसंशा के बाद भी, कृषि निदेशक की बात चली और उनके आदेश प्रसारित हो गये, क्योंकि कृषि निदेशक की दृष्टि उस संस्थान को डिगाने पर लगी है। उसमें रिसर्च का काम होता है।

आलू का रिसर्च कानपुर में नहीं, फर्रुखाबाद में कर रहे हैं। लेकिन उस संस्थान के मातहत में हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कृषि विभाग ने कितने अनुसंधान किये ? कितने शोध किये अच्छे बीज के बारे में, आपने फिर से कदम उठा लिया कि उस संस्थान को नष्ट कर दिया जाय, बिखेर दिया जाय। कृषि निदेशक के दिमाग में योजना है कि उसे संस्थान का रूप नहीं देना चाहिये। एक ईर्षा है उनमें, उस संस्थान के प्रति, जैसे कि एक विभाग को दूसरे विभाग के प्रति होती है। वह डर रहे हैं कि अगर यह संस्थान काम करता रहा, तो उनकी अकर्मण्यता की जानकारी प्रदेश को हो जायेगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषि निदेशक की इस प्रकार की योजना को कि इस संस्थान को विघटित कर दिया जाय, वह नहीं करना चाहिये। ऐसे समय में जब कि यह योजना है कि दो कृषि विश्वविद्यालय और खुलेंगे, तो इस संस्थान को विघटित करने की क्या आवश्यकता है। तो आप घोषणा करें कि कृषि विज्ञान संस्थान विश्वविद्यालय संस्थान होगा, ताकि वहां जो उस संस्थान द्वारा शोध कार्य हो रहे हैं, उससे प्रदेश को लाभ हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या कानपुर के लोग 2 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध करा सकेंगे ?

श्री रामकुमार दीक्षित--

हां करेंगे, हम तैयार हैं। मान्यवर, आई० आई० टी० बनाने के लिये 100 एकड़ एक्वायर हो गई, एग्रों की फैक्ट्री बनाने के लिये कई एकड़ एक्वायर हो गई, दूसरे इन्डस्ट्रियलिस्ट को फैक्ट्री लगाने के लिये कई सौ एकड़ भूमि एक्वायर हो गई, तो खेती के शोध के लिये जिसमें प्रदेश के किसानों का हित निहित है, सरकार की कलम क्यों कुंठित हो गई ? क्या किसी

ने मना किया था ? हम आपको दावत देते हैं आप इसको किसी देहाती क्षेत्र में ले चलिये, हम भूमि की व्यवस्था करेंगे । हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप ले चलें, हम आपको भूमि देंगे । ऐसी स्थिति में म माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस दृष्टि से भी विचार करके देख लें कि यह जो अव्यवहारिक कदम उठाने जा रहे हैं, वह ठीक नहीं है ।

एक बात मैं ऐग्रो के सम्बन्ध में कह देना चाहता हू । यूं तो ऐग्रो तक आटोनामस बाडी है, लेकिन श्रीमन् कितना हस्तक्षेप मंत्रियों का है, कितना हस्तक्षेप विभागीय अधिकारियों का है, यह किसी से छिपा नहीं है । परिणाम स्वरूप यह ऐग्रो उत्तरोत्तर घाटे की ओर जा रहा है । उसमें ऐसे लोगों को परिवरिश की जा रही है जिनको इस विषय में टेक्नीकल ज्ञान नहीं है, जिसके खिलाफ बैड-इन्ट्रीज हैं, जिनके खिलाफ विजिलेंस है, ऐसे लोगों का भरण पोषण हो रहा है । हम आपसे यह मांग करते हैं कि ऐग्रों जिसका जन्म किसानों के हित में हुआ है, उस संस्था को आप ऐसे आदमियों से मुक्त करें और ऐसा काम होने दें जो किसानों की बढ़ोत्तरी में सहायक सिद्ध हो । उदाहरण के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फल संरक्षण का काम एग्रो करती है और उस काम में 5 वर्ष से लगातार घाटा हो रहा है । फल संरक्षण का काम घाटे का व्यवसाय नहीं है और यदि इस प्रकार का काम होगा तो इसका बोझ आप सामान्य जनता पर डाल रहे हैं । अतः इस प्रकार की संस्था जो घाटे पर चले उसको न चलावें । मान्यवर, मैं यहां पर एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि यह घाटा केवल उस प्रकार के लोगों की नियुक्ति के कारण है जिनको उसका बिलकुल भी टेक्नीकल ज्ञान नहीं है । केवल लोग वहां पर इटली और जापान घूमने के परपज से जाते हैं । इस प्रकार से इस प्रदेश के लोगों का धन इन मदों पर खर्च होता है । जिनसे किसान को कोई लाभ नहीं पहुंचा । वहां पर जलपान गृह खोल दिया है वहां पर क्या बिकता है यह सभी जानते हैं ।

मान्यवर, एक बात मैं ट्रैक्टर के बारे में कहना चाहता हूं जिसको बांटने का काम ऐग्रों ने लिया है । मान्यवर उसमें करोड़ों रुपया का घपला है एअर केल्ड ट्रैक्टरों को किसानों को दिया गया है जिसको प्राइवेट डीलर्स कभी लेते नहीं थे जो बिलकुल अनुपयोगी है । आपकी जो सर्विस फैक्ट्री है जहां से ट्रैक्टर दिया जाता है, उसकी दशा बड़ी शोचनीय है । लोगों को पहले ट्रैक्टर लेने के लिये नोटिस दिया जाता है जब वह ट्रैक्टर लेने फैक्ट्री में पंहुचते हैं तो ऐसा ट्रैक्टर दिया जाता है जो फाटक से निकलने के बाद रुक जाता है और जब वापिस जाते हैं तो सर्विस मैनेजर ठीक से बात भी नहीं करता ।

मेरा इस सम्बन्ध में निजी अनुभव है । मैंने ट्रैक्टर लिया । वह मुश्किल से फाटक से 100 गज जाने के बाद रुक गया । मेरा ड्राइवर जब सर्विस मैनेजर के पास गया तो उसने कहा अब तो 5 बज गये हैं, इसे ठेल-ठाल कर ले जाओं फिर आना । हम तो 26 हजार रुपया दें और ट्रैक्टर को ठेलठाल कर ले जायें । यह व्यवहार है । दूसरी बात यह है कि आपका तो गारन्टीड पीरियड है लेकिन आपका सर्विस मैनेजर उनके डिफेक्ट्स दूर नहीं करता । इस प्रकार की ज्यादती हो रही है । वह ऐग्रो जो किसानों को राहत देने के लिये बनाया गया, वह बजाय राहत देने के परेशानी और पैदा कर रहा है । इसलिये आपका ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये ताकि किसानो को वास्तविक लाभ पंहुच सके ।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो खेती का विकास हुआ है इसमें सामुदायिक विभाग का बहुत दायित्व है और उसका जो सबसे छोटा कर्मचारी ग्राम सेवक है वह गांव में रहता है । अब सुना है कि आप कुछ ग्राम सेवकों को नियुक्त करने जा रहे हैं । अब तक कृषि विभाग का लोएस्ट लेबुल पर कोई भी कर्मचारी नहीं था । आपके इस मुर्दे विभाग में जान डालने का काम किया तो वह सामदायिक विकास विभाग ने किया । आज

[श्री रामकुमार दीक्षित]

उस मुर्दा विभाग में जान डाल देने के बाद आप कहते हैं कि अपना एग्रीकल्चर विभाग का ग्राम सेवक नियुक्त करेंगे । आप इस पर विचार करें । गांव से लेकर जिला स्तर तक कृषि विभाग के कामों को जोड़ने का जो प्रयोग आप करना चाहते हैं उससे कोई व्यावहारिक लाभ नहीं होगा और आपको अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी ।

श्रीमन्, एक दो बातें मैं और कहना चाहता हूं । आपकी भूमि संरक्षण की योजना है । इसमें बीहड़ को सुधारने और मेड़ बन्दी की योजना है । बीहड़ सुधारने की योजना हमारे कानपुर में भी चल रही है और पुखराया में बीहड़ सुधारा जा रहा है । मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस योजना पर जो व्यय कर रहे हैं लाखों और करोड़ों रुपया तो क्या वह लेबी के रूप में किसानों से वसूल करेंगे । किसान को एक व्यावहारिक ज्ञान मेंड़ बन्दी से हुआ । उसमें किसान से रुपया वसूल करते हैं । मेंड़बन्दी आपका विभाग करता है और आपके कर्मचारी करवाते हैं लेकिन पैसा किसान से वसूल करते हैं । किसानों में भय है कि यदि यह बीहड़ की योजना चालू हो गयी जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और जिसका कोई निरीक्षण नहीं है इसका रुपया किसानों से न वसूल करने लगें । मैं इस मेंडबन्दी की योजना का स्वागत करता हूं लेकिन मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने विभाग के लोगों से पूछ लें कि मैदानी क्षेत्रों में मेंड़बन्दी करायी जा रही है । मेंड़बन्दी की योजना वहां होनी चाहिये जहां कटाव की और ऊंची नीची जमीन हो । किसान मेंड़बन्दी का कोई प्रस्ताव नहीं करता । कहीं कहीं तो होता है और फसल खड़ी है और आपके कर्मचारी कहते हैं कि मेंड़बन्दी होगी । वह कहते हैं कि हमको मेंड़बन्दी करनी है और इसी समय करेंगे । ऐसे अनेक उदाहरण है कि जहां फसल को काट कर कार्यकर्ताओं ने मेंड़बन्दी कर दी वाबजूद इसके कि गांव के सारे लोगों ने सर्वसम्मत से मेंड़बन्दी न करने के लिये विभाग को और अधिकारियों को लिख कर दिया । अगर यह योजना महज टैक्स वसूल करने के लिये है और मेंड़बन्दी कराना ही चाहते हैं तो खाली समय में जब कोई फसल न हो करायें । आपके यहां से यह निर्देश होने चाहिये कि जब फसल खड़ी होगी तो मेंडबन्दी का कार्य नहीं किया जायगा । अगर खड़ी फसल के टाइम पर यह काम होता है तो बजाय लाभ के अहित होता है ।

श्रीमन् हम लोग आलू के किसान हैं । आलू के विकास में आपके विभाग ने कोई काम नहीं किया । 2708 का बीज रिसर्च करके हमको दिया । महानगर कोल्ड स्टोरेज से बीज लेकर हम गये । अगर आपके विभाग के लोग देखने के लिये तैयार हों तो हमने उस बीज से आलू पैदा किया है उसमें कोई प्योरिटी नहीं है । उसमें चार क्वालिटी का बीज मिला हुआ है । आलू की खेती जो कि कैश क्राप हो सकती है उसके विकास और प्रगति के लिये कोई चेष्टा आपके विभाग की ओर से नहीं हुई है । आलू की खेती की ओर विभाग की उपेक्षा है, इसे आप देखें । आपके माध्यम से इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार ने भाव तय कर दिया कि साढे आठ रुपये पर रखा जायेगा । मैं बताता हूं कि मैंने 6 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से बांड भरा था मगर आपने भाव 8.50 रुपये प्रति क्विंटल का तय कर दिया । यह भाव तय करके आपने निश्चित रूप से टेक्सेशन कर दिया—हमारे ऊपर सर चार्ज लगा दिया । आप उनको कितना मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं ? मेरा ऐसा मत है कि 1 क्विंटल आलू रखने में 1.50 रु0 से 1.75 रुपये का खर्चा आता है और आप 8.50 रु0 का भाव तय करते हैं । ये आदेश रिवाइज होने चाहिये । ये आदेश व्यावहारिक नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें ।

श्री राम कुमार दीक्षित—

अंतिम बात कह कर खत्म करता हूं। पशुपालन की दिशा में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक ब्लाक में केवल एक पशु चिकित्सालय है जबकि आबादी एक लाख-सवा लाख की है। पशु चिकित्सक के पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि वह सब जगह बीमारी की रोक थाम कर सके। पशु सेवा केंद्र जरूर खुले हैं परन्तु न वहां पर स्टाकमैन है और न दवाइयां है। कृत्रिम गर्भाधान की भी व्यवस्था नहीं है। खेती के साथ-साथ पशुओं की नस्ल का सुधार बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इधर ले जाना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं माननीय मंत्री जी उन पर विचार करके व्यावहारिक कदम उठायेंगे जिससे कि इस प्रदेश के किसानों की समृद्धि हो।

*श्री राम नगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। सर्व प्रथम तो मैं उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपनी बुद्धि से सोच विचार करके कृषि में महत्वपूर्ण योगदान किया है। मैं समझता हूं कि अगर उन वैज्ञानिकों ने मक्का, आलू, गेहूं के नये-नये बीजों की ईजाद न की होती तो आज हमारी खाद्य समस्या बहुत ही जटिल होती। इस संदर्भ में मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने बजट में प्राविधान करें कि जो वैज्ञानिक अच्छे-अच्छे बीजों का अनुसंधान करें उनको इनाम दिये जायं। इससे हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ेगा।

जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है यह बात सही है कि इसका बिजली व पानी से बहुत गहरा संबंध है। चाहे सब कुछ कर दिया जाये और अगर बिजली व पानी समय से न मिली हो तो मैं समझता हूं कि खेती में सफलता नहीं होगी। ये विभाग अलग-अलग हैं। मैं चाहूंगा कि इनमें समन्वय स्थापित किया जाय जिससे कि बिजली विभाग के लोग, सिंचाई विभाग के लोग और एग्रीकल्चर विभाग के लोग मिल करके एक प्रोग्राम पर काम करें। उससे खेती में अच्छी प्रगति होगी।

जहां तक प्रशासन का सवाल है मैं बहुत अदब के साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज एग्रीकल्चर विभाग में प्रशासन बहुत ढीला है। इससे शासन की भी बदनामी होती है और मंत्री जी की भी बदनामी होती है। मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर कहता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अफसरों से ट्रांसफर करवाने व रुकवाने के लिये ठेका लेते हैं। भले ही मंत्री जी को न मालूम हो लेकिन वे ठेका लेते हैं और यहीं लखनऊ में बैठे रहते हैं। बस्ती में गत वर्ष एक अफसर का ट्रांसफर हुआ। ५५ दिन यहीं लखनऊ में बैठे रहे और 55 दिन के बाद ट्रांसफर कैंसिल हुआ। यह जेनुइन प्वाइंट है किन्तु कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका ट्रांसफर कराया था। बाद में मंत्री जी को यह मालूम हुआ कि वह ट्रांसफर गलत है और फिर वह रोका गया।

हाल ही में हरदोई में एक ऐग्रीकल्चर आफिसर हैं, उनके लिये कुछ विधायकों ने लिखकर मांग की है कि उनके काम खराब हैं और उसमें 13 प्वाइंट्स हैं और यह भी मांग है कि उनका ट्रांसफर करके तब जांच की जाय। ट्रांसफर हुआ, फिर स्टे हो गया। अभी अभी बस्ती का एक कस है। ऐग्रीकल्चर के फार्म बारे में एक सवाल हुआ, चार बार उनका ट्रांसफर हुआ और चार बार स्टे हुआ। मंत्री जी की जानकारी में यह नहीं है, किन्तु

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नगीना मिश्र]

अफसरान अपने मन से ट्रांसफर करते हैं और अपने मन से रोकते हैं । इससे मंत्री जी और शासन दोनों ही की बदनामी होती है और मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ी सख्ती आवश्यक है।

मान्यवर, ऐग्रीकल्चर की जो पुस्तिका निकली है उसमें जो मैंने पढ़ा है तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सचमुच हम लोग कहां हैं । हम कहते हैं कि हम गरीबों को प्राथमिकता देंगे और 1 एकड़ से कम खेती वालों को सरकार की तरफ से मुफ्त बीज दिया जाएगा । मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, मंत्री जी के पास होंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे छोटे काश्तकार हैं । क्या मंत्री जी को यह भी मालूम है कि 1 एकड़ के काश्तकारों को कितना बीज दिया गया और अगर आंकड़े नहीं हैं तो रखना चाहिये । इसके लिये मैं एक वाकये का उदाहरण देता हूं सेवरही और दुधही ब्लाक के बारे में मैंने सवाल किया । सरकार ने फैसला किया है कि एक एकड़ के काश्तकारों को मुफ्त में गेहूं का बीज दिया जायगा तो इन दोनों ब्लाकों में एक एकड़ तक बोने वालों को कितना बीज दिया गया और कितने गांवों में दिया और कितने में नहीं दिया ? जवाब आया कि 103 गांवों में दिया गया और 54 गांवों को नहीं दिया गया । जिन 103 गांवों में दिया भी गया है उनमें आधे लोगों को दिया गया है और आधे लोगों को नहीं दिया गया है ।

इस तरह से अगर दो ब्लाक में 54 गांव ऐसे हैं जहां बिलकुल नहीं दिया गया है तो प्रदेश में हजारों किसान ऐसे होंगे और उन किसानों की संख्या करोड़ों में होगी । तो जहां शासन की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि छोटे काश्तकारों को, एक एकड़ तक जो बोने वाले काश्तकार हैं, उनको दिया जायगा क्योंकि उनमें अक्सर गरीब होते हैं, हरिजन होते हैं, छोटी जाति के लोग होते हैं जिनके पास एक कट्टा, दो कट्टा या एक एकड़ या दो एकड़ खेत होते हैं उनको सुविधायें देने के लिये यह किया गया है कि उनको राहत मिले लेकिन वह अगर उन सुविधाओं से ही वंचित रहते हैं और उनको बीज नहीं मिला तो इस आदेश से लाभ क्या है ।

दूसरी तरफ सरकार की तरफ से खाद और पानी के लिये अनुदान दिय जाते हैं लेकिन उनमें भी मैं समझता हूं कि 1 एकड़ से 2 एकड़ तक की जोत वालों को कोई सुविधा नहीं मिली है और अगर सुविधा नहीं मिली है तो मंत्री जी को चाहिये कि कानून में ऐसा कोई संशोधन करें कि भूमि प्रबन्धक या अन्य किसी बैंक के माध्यम से छोटे काश्तकारों को अधिक नहीं तो कम से कम सिंचाई के लिये थोड़ी बहुत सुविधा हो जाय, खाद खरीदने के लिये और बीज के लिये कुछ रुपये मिल जाय । कानून में तो हो सकता है कि हममें लोग कहें कि सुविधा है लेकिन स्थान पर जाने पर पता चला चलता है कि छोटे काश्तकारों को रुपये में एक आना भी सुविधा नहीं मिल रही है । आज समूचे प्रदेश में 70–80 फीसदी ऐसे छोटे काश्तकार जो एक एकड़ से दो एकड़ तक के काश्तकार हैं उनको, उस पूरे जनसमूह को या सारी सुविधायें नहीं मिली हैं और वे इससे बंचित हैं ऐसा है तो मैं समझता हूं कि आप इस पर विचार करें और कोई न कोई ऐसा हल निकालना चाहिये कि उनको सुविधायें मिल सकें । अगर सुविधायें नहीं मिलती हैं तो लाभ उनको उपलब्ध होने चाहिये उनसे वह वंचित हो जाते हैं और उनका भला नहीं हो पाता है ।

श्रीमन्, हमारे देवरिया में पाइरिला की बात सदन में काफी कही गयी है । इसलिये इस समय मुख्य मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यह घोषणा की कि बिना पैसा लिये समूचे देवरिया जनपद में पाइरिला मारने के लिये हवाई जहाज से छिड़काव कराने की व्यवस्था की जावेगी । मुझे सूचना मिली है कि यह छिड़काव हो रहा है लेकिन यह भी सूचना मिली है कि ऐसे भी गांव हैं जहां पर नहीं हो रहा है । इसलिय मैं मंत्री जी स निवदन करूंगा कि इस संबंध में आदेश भेज दें ।

गेहूं में जो पाइरिला लगा था उससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है । इसमें कृषि विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है । देवरिया के कलेक्टर ने इस बारे में लिखकर भेजा था और हो सकता है कि शासन के पास वह पत्र हो । कृषि विभाग में हेड, सरदारजी हैं उन्होंने कहा कि पाइरिला गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है । तो जब विभाग का हेड ऐसा कहता है तो विभाग के कर्मचारी क्या करेंगे । वह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और गेहूं बरबाद हो गया ।

हम तो गन्ना विभाग के ऋणी हैं कि उनके आयुक्त वहां दौरे पर गये और किसानों ने उनको पाइरिला के बारे में बतलाया । उन्होंने शासन के पास अपनी आवाज पहुंचाई और आज देवरिया में गन्ने वाले काफी सहयोग दे रहे हैं । तो मैं चाहूंगा कि जिस अधिकारी की वजह से यह नुक्सान हुआ है उस पर गंभीरता से मंत्री जी विचार करें और सजा दें । अगर इस बात की उपेक्षा की जावेगी तो ठीक नहीं होगा । अगर प्रधान गलती करता है तो गांव सफर करता है, जिलाधिकारी गलती करता है तो जिला सफर करता है और अगर विभाग का हेड गलती करता है तो उससे विभाग सफर करता है । तो इस पर मंत्री जी जांच करवा लें और ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में कोई ऐसी बात न हो जिससे जनता का नुकसान हो ।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि किसी विभाग का हेड जो हो वह एक्सपर्ट होना चाहिये । कृषि विभाग में भी यही बात की जानी चाहिये और कृषि के विशेषज्ञ को ही हेड के पद पर रक्खा जाना चाहिये । आई0ए0एस0 को विभाग विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है । इसलिये मंत्री जी से मेरा कहना है कि जैसा दूसरे विभागों में आप कर रहे हैं यहां भी विशेषज्ञ को ही हेड के पद पर रक्खें ।

श्रीमन्, पशु पालन के विषय में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समूचे देश में विकास हो रहा है पशुपालन के संबंध में लेकिन मेरे घर में अंधेरा है इसलिये मैं कैसे समझूंगा कि यह सही बात है । जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं वह टाउन एरिया है, शुगर फैक्टरी है, शासन की ओर से महिला और पुरुष दो चिकित्सालय भी बनाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं । वहां इंटरमीडिएट कालेज हैं और 5 मील के अगल-बगल में कोई पशु-चिकित्सालय नहीं है । मैं एक बार लिख कर मंत्री जी को दे चुका हूं, रिमाइंडर भी दिया । मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन मंत्री से यही कहता हूं कि आपकी चारों तरफ प्रदेश में निगाह है तो बिहार के और नेपाल के बार्डर पर बीच में एक टुकड़ा है जो सबसे पिछड़ा हुआ है उस पर नजर कब जायेगी ? अगर आपकी नजर जायेगी तो लोगों का भला हो जायगा ।

आपने बड़ा अच्छा फोटो रखा है सांड़ का, बैल का गाय का । लेकिन ये सारी सुविधायें दूसरी तरफ रहेंगी या पूरब की तरफ भी जायंगी । मैं समझता हूं कि मंत्री जी उस क्षेत्र की ओर भी दया रखेंगे और निगाह रखेंगे । यह बजट देखने पर आश्चर्य हुआ । जहां तक कृषि का सवाल है उसमें गन्ना सबसे मुख्य अंग है, किन्तु आज गन्ना विभाग और गन्ने की तरफ सौतेली मां का व्यवहार हो रहा है । कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि उसके बारे में मैं समझता हूं कि केंद्र से लेकर प्रदेशीय सरकार तक सेस के रूप में जो धन-राशि प्राप्त करती हैं उसमें गन्ना विभाग और गन्ना बोने वालों से मिलती हैं । कोई एसी फैक्टरी नहीं है जिससे करोड़ों रुपये तक केन सेस क रूप में केंद्र और प्रदेशीय सरकार को न मिलता हो । जो 72–73 चीनी मिलें हैं इनके माध्यम से केंद्रीय और प्रदेशीय सरकार को करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में मिलते हैं ।

[श्री राम नगीना मिश्र]

आज गन्ना विभाग की हालत क्या है ? जो रिसर्च स्टेशन हैं वह पश्चिम में खुले हुए हैं । गोरखपुर बस्ती, देवरिया तीनों जनपद ऐसे हैं जो अछूते हैं । गन्ना विभाग के जो विशेषज्ञ होंगे वह जानते हैं कि पूर्वी जिलों के लोग जो गन्ना बोते हैं वह बिहार वेराइटी से बोते हैं वही सूट करता है । एक कौंड़ा घाट जरूर है, कोई और दूसरा नहीं है कि जहां से गन्ने का बीज ठीक-ठीक लेकर वहां के काश्तकार लाभान्वित हो जायं । हमेशा वेराइटी काम करती है सरकारी फार्मों की और एक रिसर्च स्टेशन होने की वजह से, अच्छे गन्ने के बीज मिलने से गोरखपुर, देवरिया, बस्ती-तीनों का भला हो सकता है । इससे काश्तकारों को भी लाभ होगा और सरकार को सेस का अधिक पैसा मिलेगा और चीनी भी अधिक पैदा होगी, सभी चीजें सुलभ हो सकती हैं । लेकिन यह गन्ना विभाग ऐसा बिना-मां बाप का है कि आज तक कोई पूछने वाला नहीं है ।

समूचे प्रदेश में 22 हजार गांव ऐसे हैं जो गन्ना बोते हैं, ग्राम-समितियां हैं और 22,50,000 गन्ना काश्तकार हैं जो जिलों को गन्ना सप्लाई करते हैं । इतने बड़े पैमाने पर जो गन्ने की खेती होती है समूचे देश में जो चीनी पैदा होती है उसकी आधे से अधिक हम पैदा करते हैं और उपेक्षा कितनी होती है, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पश कर रहा हूं । लाखों मजदूर काम करते हैं और गन्ना समितियों में साढ़े ग्यारह हजार कर्मचारी काम करते हैं । उनकी तनख्वाह आप सुनें तो आश्चर्य होगा कि विभाग का सबसे बड़ा अफसर जो है उसकी तनख्वाह 150 से 275 रुपये तक है।

जो लेखाकार होता है उसकी तनख्वाह 100 से 175 रु0, खजांची की 100 से 150 रु0, साधारण लिपिक की 80 से 125 रुपया, आर्म्ड गार्ड की 50 से 75 रु0, चपरासी की 50 से 75 रु0 तक और जो सीजन में काम करने वाले होते हैं उनकी तनख्वाह 50 रुपये है । इस मंहगाई के जमाने में 50 रुपये लिपिक की तनख्वाह शायद प्रदेश के किसी भी विभाग में नहीं होगी और उनकी हालत यह है कि 4–5 महीने फैक्टरी चलती है और बाकी 8 महीने वह अपने घर रहते हैं । पहले जो 9 पैसे कमीशन मिलता था उसमें से 3 पैसे डेवलपमेंट के लिये और 6 पैसे इन्तजाम के लिये दिये गये । उसके बाद 15 पैसे कमीशन हुआ । उसमें से 7 पैसे परिषद् को दिये गये डेवलपमेंट के काम के लिये और 8 पैसे इन्तजाम करने के लिये दिये गये । तब से न मालूम कितनी मंहगाई बढ़ गई, सारी तनख्वाहें बढ़ गई लेकिन कमीशन आज भी उतना ही है । अगर इस कमीशन की दर नहीं बढ़ेगी तो ये सारी समितियां बरबाद हो जायंगी । इसलिये 15 पैसे कमीशन की जगह कम से कम 18 पैसे किया जाय और वह इन्तजाम के लिये दिया जाय नहीं तो गन्ना समिति में काम करने वाले लोग मर जायेंगे । अभी हाल में उन लोगों ने भूख हड़ताल की थी । वे भूखे रह कर काम नहीं कर सकते ।

विभुक्षतं किम् न करोति पापं

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो मांग प्रस्तुत की है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत जनता खेती से सम्बद्ध है और हमारे प्रदेश का औसत जोत का क्षेत्रफल बहुत कम है । पूरे देश में जोत का औसत क्षेत्रफल 2.6 है जबकि उत्तर प्रदेश में वह केवल 1.86 है । पंजाब में 4.5 है, महाराष्ट्र में 5.9 और राजस्थान में 5.58 हेक्टेयर है । जब हमारी छोटी जोतों की पैदावार नहीं बढ़ती, उनकी पैदावार की सुनिश्चित कीमत नहीं मिलती तो गांव में रहने वाली 80 प्रतिशत जनता के बारे में सहज

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही अनुमान लगाया जा सकताहै । पिछले दस वर्षों में सिंचाई के दामों में वृद्धि की गयी है । सिंचाई की हालत यह है कि पूरी खेती का केवल 36 प्रतिशत की सिंचाई की व्यवस्था अभी तक सरकार की तरफ से की गयी है और 64 प्रतिशत अब भी ऐसी है जिसकी सिंचाई के लिये कोई साधन सरकार की तरफ से मुहय्या नहीं किये गये।

आजादी के 25 वर्षों बाद भी और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सरकार का जो वादा था कि हर खेत को पानी देंगे अपने उस वादे को वह पूरा नहीं कर पायी। खादों के दाम के बारे में देखें तो धीरे-धीरे उनके दाम बढ़ते गये हैं ।

67–68 के मुकाबले में 71–72 में रासायनिक खाद के दामों में वृद्धि की गयी है । आगे मैं बताऊंगा कि बिजली के दामों में किस तरह से वृद्धि की गयी है । खाद के दामों में वृद्धि हो गयी, सिंचाई के रेट बढ़ गये, बीज के दाम बढ़ गये, किसान के प्रयोग में आने वाली हर चीज के दाम बढ़ गये । हीरा गेहूं का बीज साढ़े 3 रुपये किलो खरीद कर किसानों ने बोया, मगर उस गेहूं में सबसे ज्यादा रोग लग गया और अन्य किस्म के गेहूं के मुकाबले म यह कहीं कम हुआ । बाद को विभाग के अधिकारी भी समझते हैं कि यह किस्म बहुत खराब साबित हुई ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप खेती की उपज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस ओर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिये । जैसा कि कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये हमारे साथी ने कहा, आज जरूरत यह है कि आप बन्जर और परती भूमि को पहले खेती योग्य बनायें और जिनकी औसत जोत कम है या जो भूमिहीन हैं, हरिजन हैं, उनको वह भूमि दें । इससे आपका उत्पादन बढ़ेगा । पिछले सालों में गेहूं का उत्पादन बढ़ा, लेकिन सरकार की ओर से किसानों का उत्साह बढ़ाने की ओर कोई प्रयास नहीं किया गया । नतीजा यह हुआ कि उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया । अगर आप काश्तकारों में उत्साह पैदा करते तो गेहूं का उत्पादन अपने आप बढ़ जाता । आज खेती से संबंधित जितनी वस्तुयें हैं उनके दाम पिछले सालों में बराबर बढ़े हैं जब कि गेहूं के दाम घटे हैं । गेहूं के दाम 1967–68 में 114.37 रुपये प्रति क्वीन्टल थे । 1970–71 में 78.87 रुपये हो गये । 31 प्रतिशत की कमी हो गयी । चावल में भी इसी प्रकार 20 प्रतिशत की कमी हो गयी । गन्ने के दामों में भी कमी हुई है । जब कि यूरिया के दामों में 41 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । ट्रैक्टर के दामों में 74 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । 13,500 का ट्रैक्टर 23,500 रुपये में मिल रहा है । बिजली के दामों म भी काफी वृद्धि हो गयी । 12 पैसे से 22.8 पैसे प्रति यूनिट हो गयी । सीमेंट, कपड़ा, लोहा आदि में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है । मगर काश्तकार जो पैदा करता है उसकी कीमत घटती गयी है । तो जब तक आप कृषि के प्रति यह उदासीनता की नीति बरतेंगे, किसान के उत्साह को नहीं बढ़ायेंगे, उत्पादन नहीं बढ़ेगा ।

मान्यवर, कहा जाता है कि अन्न उत्पादन में हम बराबर बढ़ते जा रहे हैं । मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । 1969–70 में तिलहन की खेती 39.66 लाख हेक्टर में होती थी, इसका उत्पादन 33.30 मैट्रिक टन हुआ । 1970–71 में केवल 37.25 लाख हेक्टर में इसकी खेती हुई और उत्पादन 30.69 लाख मैट्रिक टन हुआ । इस प्रकार 71–72 में 35.25 हेक्टर भूमि में उसकी खेती हुई और 72–73 में 34 लाख हेक्टर भूमि में उसकी खेती हुई। इस प्रकार से क्षेत्रफल में कमी हुई, उत्पादन में कमी हुई ।

[श्री जयराम यादव]

गेहूं के उत्पादन में 1969-70 में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जिस साल मौसम अच्छा रहता है, कोई अकाल नहीं पड़ता है, समय पर और पर्याप्त बरसा हो जाती है, उस समय तो स्वतः उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो दैवी आपदाएं हैं उनका बहाना करके सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। यह तो कोई जवाब नहीं है। सरकार दैवी आपदाओं के समय किसानों के लिए क्या सहायता करती है, कुछ सहायता नहीं करती है। अन्नोत्पादन की जो एक मात्रा है, उसमें स्थिरता कायम करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है। मेरा अनुमान है कि इस दिशा में सरकार कुछ नहीं कर रही है और बिलकुल उदासीन है। उसी का यह परिणाम है कि वर्ष 69-70 में जो 6.7 प्रतिशत की गेहूं में वृद्धि हुई थी, वह 70-71 में सिर्फ 3 रही और 71-72 में जाकर 1.7 की कमी हो गई और मेरा अनुमान है कि 72-73 में अन्नोत्पादन में और कमी होगी। गेहूं व चावल तथा अन्य जो खाद्यान्न हैं उनके उत्पादन में बराबर कमी हो रही है। ज्वार, दाल, बाजरा इन सब के उत्पादन में बराबर कमी होती जा रही है। इस दिशा में सरकार कोई नीति नहीं अपना रही है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गांव में रहने वाली भारत की 80 प्रतिशत जनता के लिये जिसका मुख्य पेशा खेती है, खेती की समस्या को सुधारने के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

खाद के दामों में वृद्धि हुई है और उसकी वितरण व्यवस्था भी खराब हुई है। इस बार यूरिया तथा अन्य रसायनिक खादें समय पर प्राप्त नहीं हुई। यूरिया खाद की सरकार ने केवल डेढ़ प्रतिशत वितरण की जिम्मेदारी ली थी और शेष वितरण सहकारिता विभाग के पास रहा। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो खाद बांटी गई वह किसानों तक पहुंची नहीं, उसको सहकारी सुपरवाइजरों ने तथा अन्य अधिकारियों ने ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचा है। हमारे यहां कालाकांकर में राम नगर में कोआपरेटिव विभाग का एक गोदाम है, वहां पर से जिस बनिया ने 59 रुपये में खाद को खरीदा था, उसने उसे 65 रूपये में किसानों को बेच दिया। तो इस तरह से अन्नोत्पादन कैसे बढ़ सकता है? क्या आप उचित समय पर और काफी मात्रा में खाद देने की जिम्मेदारी कभी नहीं ले सकते हैं।

सिंचाई में रेट तो बढ़ा ही है, लेकिन पानी नहीं किसानों को मिलता है। ट्यूबवेल वाले आवश्यक सिंचाई नहीं कर सकते और जो निजी ट्यूबवेल लगाने के लिये अनदान दिया गया, उनकी स्थिति यह है कि 4 से 12 बीघा वाले किसानों को अनुदान बांटा गया है। लेकिन जो ऊपर के या नीचे के किसान एक बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

जहां एक तरफ चकबन्दी से चकों का क्षेत्रफल बढ़ाया गया, वहां पर सिंचाई की कठिनाई और ज्यादा पैदा हुई है। जहां छोटे-छोटे खेत थे, वहां तालाब थे और पुर थे, उनसे किसान अपने खेतों को आसानी से सींच लेते थे। लेकिन अब तालाब से सिंचाई असम्भव हो गई है और उसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। यह इस बात का परिणाम है कि सिंचाई की तरफ से आप उदासीन है। हर एक खेत में पानी की व्यवस्था आप कर दें तो जो मौजूदा उत्पादन है, उसमें दो-तीन गुना की वृद्धि की जा सकती है। लेकिन जिस रफ्तार से यह सरकार सिंचाई व्यवस्था में वृद्धि कर रही है उस गति से सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे और तब सिंचाई हो सकेगी।

भूमि संरक्षण विभाग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि फसल जब तैयार हो जाती है, छोटा किसान खेत बो देता है तब जाकर भूमि संरक्षण विभाग के लोग मेड़ बांधने जाते हैं। किसान चिल्लाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और उससे कोई फायदा नहीं होता। गरमी में मेड़ बन्दी का काम किया जाय क्योंकि फसल आने पर फसल खोदने का काम नहीं हो पाता है।

कुंडा ब्लाक तथा कालांकाकर ब्लाक में भूमि संरक्षण विभाग ने तीन तालाब 26 हजार की लागत के खोदे हैं उनमें मत्स्य पालन किया जाय। इसी तरह से बेंती तालाब म साढ़े 350 एकड़ भूमि ग्राम समाज की है, उसमें मत्स्य पालन किया जाय। मेरे जिले में आज तक

मत्स्य पालन में कोई प्रगति नहीं हुई। यह मत्स्य पालन के लिये तालाब खोदने की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा की जाय और हर गांव सभा में यह तालाब ज्यादा से ज्यादा खोदे जायं जिससे मत्स्य का उत्पादन होगा और गांव सभा की इससे आमदनी बढ़ जायगी।

ट्रैक्टर्स से खेती की जुताई अच्छी होती है, गहरी होती है, उत्पादन ज्यादा बढ़ता है इस में कोई दो राय नहीं है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के छोटे-छोटे काश्तकार जिन की औसत काश्त 1.96 हेक्टर से अधिक नहीं है ट्रैक्टर की व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं कर सकते। थोड़े से ही काश्तकार बड़ी जोत वाले हैं वे ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। मेरा सुझाव है कि कृषि विभाग हर न्याय पंचायत में एक ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दे जो किराये पर छोटे काश्तकारों को खेत जोतने के लिये दे दिया करे। फिर ट्रैक्टर अगर किसान खरीद ले तो उसकी मरम्मत के लिये उसे लखनऊ लाना पड़ता है और उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि सिंचाई के साधनों में वृद्धि की जाय। इससे गांव सभा की हैसियत बढ़ जाती है अगर हर गांव सभा में एक राजकीय नलकूप लगा दिया जाय। गांव सभा उस नलकूप के संचालन करने में जो पैसा वसूल करे उसमें से कुछ निश्चित धनराशि गांव सभा को मिल जाया करे, इस तरह से गांव सभा की आमदनी बढ़ जायगी और किसानों को सिंचाई के साधनों की सुविधा हो जायेगी।

जहां तक पशुपालन का सम्बन्ध है उसमें बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है और गाय, बैल आदि जानवर बड़ी तेजी से मरने लगते हैं। लेकिन उनके लिये दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। पशुपालन के लिये सरकार की ओर से बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की जाती हैं लेकिन हर साल जुलाई अगस्त यानी बरसात में जानवरों को महामारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस समय आप अस्पतालों में जाकर देखें तो कोई दवा नहीं मिलती। हम जा कर जब डाक्टरों से कहते हैं तो डाक्टर जवाब देता है कि उनके पास अभी लखनऊ से कोई दवा का स्टाक नहीं आया। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हर न्याय पंचायत में निश्चित रूप से स्टाक मेन सेंटर कायम किया जाय। वहां की न्याय पंचायत से बराबर पिछले 4 वर्षों से मांग आ रही है कि एक सेन्टर वहां पर खोला जाय, लेकिन अभी तक नहीं खोला गया। कहा जाता है कि हम अच्छी नस्ल के गाय और भैंस रखेंगे ताकि वे अधिक से अधिक दूध दे सकें लेकिन उनके जीवित रहने के लिये सरकार के पास कोई निश्चित स्कीम नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, यदि आप 10 मिनट का एक सदस्य को बोलने के लिये समय दें, तो जो लोग बोलना चाहते हैं, वे बोल सकते हैं।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत प्रस्तुत कृषि अनुदानों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से केवल प्रदेश के कृषकों तक ही सीमित जान पड़ता है परन्तु कृषक उत्पादक के उपभोक्ता होने के नाते से इन ग्रान्ट्स का सम्बन्ध प्रदेश की समस्त जनता से है। श्रीमन्, माननीय कृषि मंत्री जी को भी इस तथ्य की अनुभूति शुरू हो गई होगी। राज्य में कृषि संवर्ग से होने वाली आय का प्रतिशत प्रदेश की कुल आय का 50 प्रतिशत है। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दुनिया के तरक्कीयाफ्ता मुल्क जैसे जर्मनी, जापान, यू० के० और यू० एस० ए० आदि में औद्योगिक क्रांति बाद में हुई, पहले कृषि में क्रांति हुई है। इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आज की

[श्री शिवराज सिंह]

परिस्थितियों में कृषि के पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा महत्व है और इसको सुचारु-रूप से चलाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि कृषि सम्बन्धी पोर्टफोलियो मुख्य मंत्री जी को स्वयं सम्भालना चाहिये।

इस प्रदेश की कृषि भूमि की केवल 36 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है और 64 प्रतिशत भूमि असिंचित है। परन्तु यह एक तथ्य है कि 36 प्रतिशत सिंचित भूमि राज्य का आधे से ज्यादा यानी 64 प्रतिशत असिंचित भूमि से अधिक गल्ला पैदा होता है। प्रदेश की 60 प्रतिशत सिंचाई, बिजली पर आधारित है इसलिये बिजली का पोर्टफोलियो भी माननीय कृषि मंत्री को ही सम्भालना चाहिये।

श्रीमन्, पिछले दशांक में कृषि संवर्ग से होने वाली आय का राज्य की कुल आय में प्रतिशत गिर गया है। परन्तु मुझे खेद है कि कल माननीय कृषि मंत्री ने और राज्य के इस वर्ष के बजट और पिछले वर्ष के बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कृषि संवर्ग की आय के राज्य की कुल आय में प्रतिशत के गिरने पर संतोष व्यक्त किया। वस्तु-स्थिति यह है कि इस प्रदेश के अन्दर कृषि-क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का प्रतिशत बढ़ा है जहां सन् 1951 में इसका प्रतिशत राज्य के कुल वर्कर्स का केवल 7 ही था वह 1961 में 11.3 हो गया और 71-72 में 19.3 प्रतिशत हो गया। मान्यवर, ये आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि कृषि पर भार गत दो दशांक में बढ़ता गया है और कृषि संवर्ग से होने वाली आय में, अन्य संवर्गों से होने वाली आय के बराबर वृद्धि नहीं हुई है और वह उस गति से नहीं बढ़ी है जिस गति से अन्य संवर्गों में आय बढ़ी है।

श्रीमन्, इन तथ्यों से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि कृषि में लगे हुये लोग अन्य व्यवसायों में लगे हुये लोगों से प्रति वर्ष शनैः शनैः गरीब होते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी अपनी निरुक्ति वापस लें और माननीय वित्त मंत्री भी जो उन्होंने अपने बजट भाषण में जो सन्तोष व्यक्त किया गया है, उसे वापस लें वे भ्रांति दूर कर लें।

कृषि व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें 12 महीने तक किसी दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है यदि मेहनत और कर्त्तव्यपरायणता से कार्य किया जाय तो कृषि विभाग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उनको किसी भी महीने एक दिन की भी फुरसत नहीं होनी चाहिये। जब कि आज कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं जैसे कि कोआपरेटिव सुगरवाइजर्स ने और बिजली इन्जीनियर्स ने गत वर्ष का। उसका बड़ा कुप्रभाव राज्य के कृषि उत्पादन पर पड़ा।

मान्यवर, कृषि का उत्पादन बढ़े इसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि कृषि विभाग और उससे सम्बन्धित विभागों में जितने कर्मचारी हैं उनके अन्दर जो असन्तोष है, जो उनकी नौकरी के बारे में अस्थायीपन है, और अनिश्चितता है, उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाय। कल माननीय मंत्री जी ने कृषि विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा कि उनके सर्विस रूल्स बनाये जा रहे हैं, उनकी ग्रेडेशन लिस्ट तैयार की जा रही है। आज सम्पूर्ण अधिकार मंत्री और सचिव महोदय के पास हैं वे जब चाहें विभाग में ग्रेडेशन लिस्ट चाहे टर्न कर दें जब जिसको चाहें नीचे गिरा दें। इस स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति से विभाग के कर्मचारियों के अन्दर बड़ी ही अनिश्चितता और परेशानी बनी हुई है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिये इस विधान मंडल से अपेक्षित संविधान के कर्त्तव्य को पूरा करना पड़ेगा और वह यह है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार राज्य सेवा से सम्बन्धित जो कानून बनने चाहिये, वह कानून बनाना पड़ेगा। इन कर्मचारियों की किस प्रकार से भर्ती की जाय, उनकी सेवा शर्तें क्या हों, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ला नहीं बना हुआ है। हाइपोथे टिकली कोई चीज कर देने से जो उनके अन्दर एक अस्थायीपन और अनिश्चितता की भावना है वह दूर नहीं होगी। साथ ही स्ट्राइक की मनोवृत्ति जो आज कल बढ़ रही है उसको भी

समाप्त करने के लिये नितान्त आवश्यक है कि एक कानून ऐसा बनाया जाय जैसा कि अंग्रेजों ने 1922 में पुलिस विभाग में स्ट्राइक को रोकने के लिये एक कानून Incitement to Disaffection Police Act. 1922 बनाया था। अंग्रेजों ने एक कानून बना कर पुलिस को स्ट्राइक करने से वर्जित कर दिया था उसी तरह से कृषि व उससे संबंधित विभागों के अन्दर भी इस देश में व प्रदेश में स्ट्राइक को पूर्णतः वर्जित कर देना चाहिये।

इस प्रदेश के अन्दर अगर पिछले बीस वर्ष के खाद्यान्नों के उत्पादन को मापें तो औसत प्रति वर्ष 1.3 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है और इस प्रदेश की आबादी औसतन प्रति वर्ष 2.25 प्रतिशत बढ़ी है। इन दोनों का अगर पुनर्मूल्यांकन करें तो यह बड़ी चिन्ता का विषय है। जापान में दूसरी लड़ाई के बाद खाद्यान्न का उत्पादन 11 परसेंट प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है। जापान की जलवायु और भूमि से हमारे प्रदेश की जो जलवायु और भूमि है वह कृषि उपज की दृष्टि से कहीं ज्यादा अच्छी है और यहां उससे कई गना पैदावार होने की सम्भावना है। मान्यवर, जापान के अन्दर कृषि के उत्पादन वृद्धि के लिये 4 कदम उठाये गये। कृषि का उत्पादन अधिक हो इसके लिये आवश्यक है कि कृषि उत्पादन की कीमत इतनी दी जाय कि खेती करने के बाद एक निश्चित और अच्छी आमदनी हो जाय। दूसरी चीज यह कि कृषि की विभिन्न जिन्सों के लिये अधिक उपज देने वाले बीजों की खोज। जापान में इसके लिये दूसरे मुल्कों से भी बीडिंग मेटिरियल मंगाये और उसको खोज टैक्निकल लोगों ने की। साथ ही उसे देश और प्रदेश के कोने कोने में फैलाया। हमारी दिक्कत यह है कि काम तो शुरू कर देते हैं, प्रचार भी करते हैं लेकिन सम्पूर्ण रूप से उसको पूरे प्रदेश में पहुंचा नहीं पाते इसलिये प्रदेश के थोड़े हिस्से में ही उसका असर होकर रह जाता है और प्रदेश का शेष हिस्सा उससे वंचित रह जाता है।

मान्यवर, अब आप देखें कि प्रदेश में विभिन्न खाद्यान्नों की उपज क्या है। इस प्रदेश के अन्दर जो फसलें होती हैं उनको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। एक रबी और दूसरी खरीफ। रबी की 6 फसलें हैं और उन 6 फसलों में गेहूं की फसल ऐसी है जिसका रकबा, उसका उत्पादन और जिसकी प्रोडक्टिविटी पिछले 20 वर्षों में बढ़ती रही है। मान्यवर, इसके अलावा एक मसूर की फसल और कामयाब हुई है वरना रबी में सब का उत्पादन (Productivity) घट गया चना और मटर का उत्पादन घटा है। अरहर रबी की फसल में ऐसी जिन्स हैं जिसका क्षेत्रफल भी घटा है। पैदावार भी घटी है और प्रोडक्टीविटी भी घटी है। खरीफ की दस फसलों में केवल मक्का ऐसी फसल है जो स्वस्थ है। इसका क्षेत्रफल भी बढ़ा है, पैदावार भी बढ़ी है और प्रोडक्टीविटी भी बढ़ी है। शेष तमाम 10 फसलें हमारी बीमार हैं। चावल की जो पैदावार बढ़ी है लेकिन प्रोडक्टीविटी भी घट गयी है ज्वार बाजरा भी बीमार फसलें हैं। इनका न तो क्षेत्रफल बढ़ा, न पैदावार बढ़ी है और न प्रोडक्टीविटी ही बढ़ी है। उड़द जो दलहन की फसल है उसकी पैदावार गिरी है। खेती की इन विभिन्न जिन्सों की उपज को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिन जिन्सों की पैदावार और प्रोडक्टीविटी बढ़ी है वह मक्का और गेहूं है और धान भी इसमें आ सकता है। इसका कारण यह है कि इन तीन फसलों में अधिक उपज देने वाले बीजों की खोज हुई है। लेकिन इसका श्रेय हमारे प्रदेश को नहीं जाता है।

हमारे प्रदेश में जो रिसर्च का विभाग है उसके सभी कर्मचारियों को मैं जानता हूं और यह भी बात है कि वह योग्य है लेकिन पता नहीं न जान क्यों उनमें जड़ता आ गयी है। यह विभाग अधिक उपज देने वाले बीजों की खोज प्रदेश को नहीं दे पा रहे हैं और बाहर से यह खोजें हमारे यहां आ रही हैं। दिल्ली में आई० सी० आर० इंस्टीट्यूट है उसमें हर नये बीजों की खोज होती

[श्री शिवराज सिंह]

रहती है। इसके अलावा मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि हमारे प्रदेश के लोगों में बड़प्पन की भावना घर कर गयी है। वह यह है कि जो खोज हो रही है उनको हम एडाप्ट नहीं करते हैं। जो अच्छी उपज देने वाले बीज निकलते हैं उनको हम एडाप्ट नहीं करते हैं और मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं।

फरवरी के अखबार में मैंने पढ़ा कि तीन बंडर व्हीट की किस्में निकल आयी हैं 1919, 1982 और 2007 क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि यदि विधायक लोग इसके पैकेट चाहें तो क्या वे दिला सकते हैं? हमारे प्रदेश में बाहर की रिसर्च को एडाप्ट नहीं करते हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं। पंजाब में 357,337 तथा राजस्थान में एक गेहूं के बीज की नयी किस्म निकली है। हमारे प्रदेश की गेहूं की जितनी किस्में हैं उनमें कहीं ज्यादा उपज देने वाली और बीमारी के प्रति रिस्टेन्ट हैं लेकिन हमारे यहां इसको एडाप्ट नहीं किया है। वस्तु स्थिति यह है कि बीज ही एक ऐसी चीज है जिसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिये। अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तो उपज भी अच्छी होगी और गेहूं की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसलिये इसका हमें प्रबन्ध करना होगा कि हमारे प्रदेश में किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज मिल सके।

हमारे यहां 198 फार्म हैं और 46 शिक्षा फार्म काम में लगे हुये हैं। यहां पर 72-73 में 105 हजार क्विंटल गेहूं का बीज पैदा होगा। जो कि केवल 1 लाख हेक्टेयर के लिये काफी होगा। सन् 73-74 का टार्गेट है कि 34 लाख हेक्टेयर में हाई ईल्डिंग वेराइटीज को उगाया जायगा इस प्रकार उपलब्ध बीज केवल ढाई प्रतिशत क्षेत्रफल के लिये ही काफी होगा। यह बहुत आवश्यक है कि लक्ष्य की पूर्ति के लिये जो उत्तम बीज पैदा किया जाय वह किसान तक पहुंचे और यह बीज वह नहीं है जो दूसरे राज्यों में ख्याति प्राप्त कर चुका है लेकिन वह भी इतना कम है कि केवल ढाई प्रतिशत क्षेत्रफल में ही लक्ष्य को पूरा करने के लिये काफी होगा। गन्ने के सम्बन्ध में भी अच्छे बीज के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 72-73 में 4 लाख हेक्टेयर में प्रगतिशील बीज दिया गया जब कि 10.35 लाख हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन हुआ। यानी केवल 4 प्रतिशत के अन्दर ही क्षेत्रफल को उन्नतिशील बीज यह दे पाये। मैं बीज के स्टैन्डर्ड के बारे में कहना नहीं चाहता। 1973-74 में कुल क्षेत्रफल 10.35 लाख हेक्टेयर है और इस तरह से इस वर्ष भी 6 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्रफल पर उन्नतिशील गन्ने का बीज नहीं दे सके।

आलू की कहानी भी इससे ज्यादा शोचनीय है। इनके पास आलू के 8 फार्म पहाड़ पर हैं और 5 प्लेन्स के इलाके में हैं। आलू की उपज 72-73 में 12,480 टन हुई थी और जो आलू के क्षेत्रफल का अनुमान है वह 200 हजार हेक्टेयर है। यह कुल आलू की उपज केवल 2.5 प्रतिशत क्षेत्र के लिये होगी। यह 12.480 टन आलू जो पैदा हुआ है इस में से 6 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड होगा। लेकिन इस सर्टिफाइड बीज को बीज के रूप में ही प्रयोग किये जाने के लिये भी कोई योजना नहीं है। अगर इस सर्टिफाइड बीज का 90 प्रतिशत भी बीज के काम में प्रयुक्त हो जाय तो अवश्य ही आलू की खेती कामयाब हो सकती है। आलू की खेती बहुत कुछ बीज पर ही निर्भर है, पूरे इनपुट्स दिये जांय, खाद, पानी, बीमारी की रोक सब कुछ हो लेकिन आलू की खेती उत्तम हो नहीं सकती जब तक बीज अच्छा न हो क्योंकि बीज ही की खराबी से इस की खेती में बीमारी अधिक आती है।

मेरी आपत्ति है कि इस 6 लाख क्विंटल सर्टिफाइड बीज की जो उत्पादक क्षमता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता और उसका प्रयोग बजाय बीज के खाने में हो जाता है। मुझे दुख है कि यहां पर आलू का बीज बहुत कम पैदा किया जाता है और इसके अलावा हमारे पिछड़ेपन की यह इन्तिहा है कि जो अच्छा बीज हम पैदा भी करते हैं उसका इस्तेमाल न करके उसको खा लिया जाता है।

मेरा सुझाव यह है कि आलू के संबन्ध में एक निगम की स्थापना होनी चाहिये और यह काम उसको सौंपा जाना चाहिये कि किस तरह से अच्छे आलू के बीज की किस्में निकाले और किस तरह से उसकी मार्केटिंग वगैरा हो। सारे भारत का 40 प्रतिशत आलू हम पैदा करते हैं लेकिन दुःख की बात है कि आलू की खपत के लिये कोई इंडस्ट्री इस प्रदेश में नहीं है जब कि आलू के विप्स स्टार्च, अलकोहल और उसका डिहाइड्रेशन हो सकता है, यह सब पदार्थ औद्योगिक स्केल पर बनाये जा सकते हैं। आलू निगम का यह काम भी होना चाहिये कि वह आलू की खपत के पहलू को भी देखे। फर्टिलाइजर्स और इन्पुट्स को देखते हुये और यह समझ कर कि आलू के लिये बेलेंसड फर्टिलाइजर की बहुत आवश्यकता है।

सन् 62 की मुझे खूब याद है कि हर जगह प्रदेश में उस वक्त कोआपरेटिव से खाद नहीं पूरी तरह मिल पाती थी, उस वक्त एग्रीकल्चरल सप्लाई आर्गेनाइजेशन स्थापित की गई थी।

एग्रीकल्चरल सप्लाई आर्गेनाइजेशन और उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, प्रदेश के कोने कोने में। उसने प्रदेश के हर कोने में कृषि के इन्पुट्स को पहुंचाया लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया वित्तीय विभाग ने मजबूर कर दिया और यह कहा कि यह कार्य कृषि विभाग से लेकर कोआपरेटिव संस्थाओं या दूसरे कार्पोरेशन्स को दिया जाय जिससे बजट का भार कम हो जाय वित्तीय दृष्टि से तो यह ठीक था लेकिन एक आर्गेनाइजेशन जो सेवा कर रहा था, वह सेवा हमारा कोआपरेटिव विभाग नहीं कर पायेगा। जनपद बदायूं में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अभी हाल में 2 ट्रक खाद को राजस्थान जाते हुये पकड़े गये। यहीं नहीं बल्कि बदायूं जनपद में ही 38 ट्रक खाद कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के माध्यम से बाहर स्मगिल किया गया। तो आप देखें कि क्या कोआपरेटिव यह भार सहन कर सकता है।

मैं मानता हूं कि एग्रो ने अच्छा काम किया है खाद के वितरण में। गत वर्ष से इस वर्ष इसका काम बढ़ा है और निरन्तर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी अवस्था में वह सप्लाई का काम संभाल भी ले तो सप्लाई आर्गेनाइजेशन को यह काम बन्द नहीं करना चाहिये। सप्लाई आर्गेनाइजेशन के बारे में जहां तक इस वर्ष वित्त एलोकेशन का सवाल है, वह तो घटा है परन्तु नाइट्रोजन, फास्फेट आदि फर्टिलाइजर की मात्रा के लक्ष्य बढ़ा दिये गये हैं। वित्तीय एलोकेशन तो घटा है। 1972–73 में यह 38.9 करोड़ रुपये था लेकिन इस वर्ष 11.4 करोड़ रखा गया है। लेकिन क्षेत्र अधिक बढ़ा दिया गया है यह क्योंकर संभव होगा। यह अव्यवहारिक है। मेरी आपत्ति यह भी है कि विभाग किसानों से अंधेरे में लाठी मरवा रहा है। मैं मंत्री जी से यह भी पूंछना चाहता हूं कि वे कितने लोग हैं जिनकी जमीन का स्वायल टैस्टिंग गत वर्षों में हुआ होगा। मुझे याद है कि 1970 में एक निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में एक मोबाइल टैस्टिंग वैन प्रत्येक डिवीजन में होगी। हर डिवीजन में एक मोबाइल वेन भी आ गयी लेकिन इस बात को जांचा जाय कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो पोटेन्शियल्स है, टेस्टिंग से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपकी फिल्म डिवीजन भी आजकल शान्ति पड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि उसको जीवित किया जाय और फिल्मों के द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया जाय। उसको जमीनों का स्वायल टैस्टिंग किया जाय चाहे और वेन्स बढ़ाई जांय।

इसी प्रकार से आप इरीगेशन के सम्बन्ध में भी कदम उठायें। कोई खोज नहीं है, कोई निर्देशन नहीं है। इसलिये अधिकांश लोग गलत ढंग से खाद प्रयोग करते हैं या अधिक आबपाशी से उर्वरक नीचे परकोलेट हो जाती है। चना ग्राम की एक वैराइटी राया है और मूंग की वैराइटी "शोना" है। उन्हें कोई नहीं जानता जो वैराइटीज हमारे प्रदेश में निकल भी आती है, उसकी जानकारी विधायकों तक को भी नहीं हो पाती है। स्वायल कन्जर्वेशन का विषय ऐसा है जिसके संबन्ध में पोस्टेरिटी या तो कोसेगी या धन्यवाद देगी। हमारे प्रदेश के अन्दर 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी लवणीय और क्षारीय भूमि की रिक्लेमेशन नहीं की गयी है।

[श्री शिवराज सिंह]

मान्यवर, जब भी मैं लखनऊ से अपने निर्वाचन क्षेत्र को जाता हूं, तो लखनऊ से लेकर शाहजहांपुर तक इधर उधर दूर तक ऊसर जमींन फैली हुई देखता हूं। कभी कभी जब कोई पंजाब का यात्री साथ मिल जाता है, तो उसके सामने प्रदेश की ऐसी स्थिति को देखकर नजर नीची हो जाती है। 12 लाख हेक्टर में, 30 लाख एकड़ भूमि आज प्रदेश के अन्दर ऐसी है, जो कृषि योग्य ऊसर है। ऊसर भूमि को क्यों नहीं ठीक किया जाता। उसमें केवल मेंड़ बन्दी करके पानी भरने की बात है, ताकि जो साल्ट है, वह नीचे लीज डाउन हो जाय। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां स्वायल कन्जरवेशन का काम हो रहा है वहीं इसको भी टेकअप करने का प्रयास करें।

मान्यवर, जो स्वायल कन्जरवेशन का काम हो रहा है उसमें बड़ा करप्शन है। जो जिले के अधिकारी हैं, उनका काम ठीक नहीं है। किसानों से मेंड़बन्दी का खर्चा लैण्ड रेवेन्यु की तरह वसूली करने की व्यवस्था करते हैं। काफी गोल माल है उसमें। मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

कुछ बातें, मान्यवर, मैं एनीमल हसबैन्ड्री के बारे में करना चाहता हूं। औद्योगिक क्रान्ति तब तक नहीं आयेगी, जब तक कृषि की उन्नति नहीं होगी। कृषि की उन्नति हम तब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारा पशुधन उन्नति नहीं करेगा। पशुधन की उन्नति के लिय एक यही रास्ता है कि जहां के पशुओं को अपग्रेड किया जाय। हम पशुओं का होलसेल रिप्लेसमेंट नही कर सकते। हमें उनका अपग्रेडिंग करना पड़ेगा। इसलिये हमारे पशुओं में इनसेमींनेशन, चाहे आर्टीफिसियल या नेचुरल, यह होना चाहिये। हम आर्टीफिसियल और नेचुरल इनसेमींनेशन 12 प्रतिशत का कर पाते हैं। शेष 88 प्रतिशत आज भी खराब ढंग से होते हैं। हमें चिन्ता है कि किस रफतार से इसमें डाउनग्रेडिंग हो रही है। 7 गुना पशु हमारे डाउनग्रेड हो रहे हैं। और एक गुना पशु अपग्रेड हो रहे हैं। इतनी तेज रफ्तार से पशुओं में हमारे यहां डाउनग्रेडिंग हो, यह चिन्ता की बात है। मैसूर और हैदराबाद में यह स्थिति नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं आप अपग्रेडिंग की बात करते। पशुओं में अपग्रेडिंग में उन्नति होनी चाहिये।

कल बहुत क्रिटिसिज्म एग्रो के अधिकारियों का किया गया। एग्रो के जो एम० डी० हैं, वह, जब मैं कृषि मंत्री था, तो मेरे विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं। वह बहुत ही कर्तव्यपरायण और ईमानदार व्यक्ति हैं। यह जरुर है कि वे रिटायर हो गये हैं। इसीलिये उन्हें रिइम्पल्वाय किया गया इस संबन्ध में मेरा निवेदन है कि एडमिनिट्रटिव रिफार्म कमींशन की रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि किसी भी कारपोरेशन का चेयरमैन कोई आफिशियल नहीं होना चाहिये, नान आफिशियल होना चाहिये। उसमें यहां तक लिखा है कि इसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में कोई भी सचिव नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 90 प्रतिशत छोटे किसान परिवार हैं, लेकिन इनके पास जमींन केवल प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि की आधी है। आप तब तक कृषि को उन्नति नहीं कर सकते, जब तक कि इन छोटे किसानों को उन्नति न हो। जहां तक फर्टलाइजर के बांटने की बात है, उसमें छोटे किसानों को वरीयता दी गयी है, लेकिन यह वरीयता केवल फर्टिलाइजर बांटने में ही नहीं, हर सामग्री के बाटने में छोटे किसानों को सेचुरेट कर लेने के बाद ही, बड़े किसानों को दी जानी चाहिये। मान्यवर, 'एशियन ड्रामा' में लेखक ने लिखा है कि इस प्रदेश में जो कृषि हरित क्रन्ति पहुंची है, वह केवल बड़े किसानों के दरवाजे तक ही पहुंची है। वह छोटे किसानों तक नहीं पहुंची है। बड़े किसानों की एक हार्ड पैन कृषक वर्ग में बन गयी है जो योजनाओं के लाभ को छोटे किसानों तक परकोलेट नही होने देते। प्रदेश की कृषि उन्नति

के लिये बड़े किसानों की इस हार्ड पैन को तोड़ना होगा। छोटे कृषकों की आवश्यकताओं को पहले सेचुरेट किया जाय। यह आवश्यक कार्य है।

इसका एक मात्र उपाय यह है कि जब तक आप प्रदेश के जितने छोटे किसान हैं उनको सभी सामग्री उपलब्ध नहीं करा देते तब तक आप बड़े किसानों से बात नहीं करेंगे। वह तो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं यद्यपि जिस प्रकार से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिस प्रकार से निराधार व्यक्तिगत आक्षेप किया गया है, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। उनसे मुझे कष्ट हुआ है,। श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं उस भ्रम के विषय में जिसको माननीय कृषि मंत्री जी ने और उनके पहले वित्त मंत्री जी ने, इस सदन में पैदा करने की कोशिश की उसका निराकरण करना चाहता हूं। जब वही बात बार-बार अपने भाषण में कही जाय सरकार की ओर से, तो बराबर सही करने के लिये उसको कहना ही पड़ता है।

(इस समय 2 बज कर 41 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए।)

पहला भ्रम तो हमारे कृषि मंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का और पूरी सरकार का सम्भवतः यह है कि भूमि का भार घटा है। अपने इस कथन की पुष्टि में कृषि मंत्री जी ने यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश की जो आय है उसमें कृषि का योगदान कम हो गया है। पहले 52 प्रतिशत बतलाया था और अब 48 प्रतिशत हो गया। उनके इस कथन से ऐसा मालूम होता है जैसे आमदनी का बढ़ना बोझ हो। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कृषि आमदनी यदि बढ़े तो बोझ नहीं होता। यदि उनकी आमदनी बढ़े तो उसको बोझ नहीं कहेंगे। वास्तव में कृषि के बोझ की बात जब कही जाती है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि कितने लोग खेती में लगे हुये हैं? क्या जो लोग खेती कर रहे हैं उनकी संख्या में कमी आई, या जमीन बढ़ गई, या उनकी आमदनी बढ़ गई। किस प्रकार से आप यह कहते हैं कि कृषि का बोझ घटा है? मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रम को आप तथा आपकी सरकार सदैव के लिये अपने दिमाग से निकाल दे कि कृषि का बोझ घटा है। वह वास्तव में बढ़ा है।

अब मैं दूसरे भ्रम पर आता हूं और वह यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने भाषण में सूखे को ही सबसे बड़ा कारण इस प्रदेश के पिछड़ा होने का बतलाया है। मैं तो ऐसा महसूस करने लगा हूं कि शायद सूखा सरकार के बड़े भाग्य से आता है। जितनी असफलताएं हैं, जितनी गलत नीतियां हैं उनके सारे दुष्परिणामों को छिपाने के लिये सूखे की बात कह देना एक मात्र ही अब काफी समझा जाता है।

श्रीमन्, मैं अपने सूखे के अनुभव को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, यद्यपि मैं निजी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि एक उदाहरण है। इस वर्ष जब यह कहा गया कि सूखा पड़ा और कृषि मंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि पिछले 100 वर्षों से ऐसा सूखे का प्रकोप नहीं हुआ। उसी वर्ष मेरे अपनी निजी फर्म पर खरीफ और रबी की फसल अधिकतम पैदा नहीं हुई है। मैं पिछले 35 वर्षों से खेती कर रहा हूं परन्तु सन् 1972–73 में खरीफ और रबी की पैदावार जितनी हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भान प्रताप सिंह]

इसके कारण पर भी मैंने विचार किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सूखा एक दैवी प्रकोप नहीं है जिसका मुकाबला न किया जा सके। यह बाढ़ की तरह, ओले की तरह या साइक्लोन की तरह नहीं है कि मनुष्य उसके सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो जाय। सूखा, विशेष कर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, इतना है कि हफ्ते दो हफ्ते वर्षा न हो। पिछले साल का जो सूखा था वह भी यही अर्थ रखता है कि प्रारम्भ के तीन हफ्ते या चार हफ्ते में वर्षा कम हुई। लेकिन जिस राज्य में सौ सवा सौ फिट नीचे प्रचुर मात्रा में पानी है तो कोई भी खुदाई करके ट्यूबवेल से कभी कभी पानी निकाल सकता है। मैं मान सकता हूं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान जहां कि नीचे भी पानी नहीं है वहां की सरकार कहे कि सूखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां कि प्रकृति इतनी दयालु है और जहां ऊपर से पानी नहीं मिलता तो नीचे से निकाल सकते हैं, यह कहे कि सूखे के कारण यह दुर्दशा है तो यह शर्म की बात हो जाती है।

श्रीमन्, मैंने अपने फार्म की बात बतलायी। मैं कृषि विभाग द्वारा प्रसारित पुस्तिका से सिद्ध करना चाहता हूं कि सूखा का कोई प्रकोप नहीं है। 72-73 के खरीफ के मौसम में 62.3 लाख टन अन्न पैदा हुआ। यह 71-72 की तुलना में लगभग चार लाख टन अधिक है। मैं यह भी बतला दूं कि कृषि मंत्री जी ने कहा कि सौ वर्षों में ऐसा प्रकोप नहीं हुआ तो 72-73 की खरीफ की पैदावार केवल 70-71 के वर्ष को छोड़कर इतनी अधिक मात्रा में हुई जो कभी नहीं हुई।

श्रीमन, सूखे का एक पहलू और भी है। जब अधिक वर्षा होती है तो धान अधिक पैदा होता है लेकिन ऊपर की फसलें बाजरा, मक्का, ज्वार को नुकसान है। लेकिन जिस साल वर्षा कम होती है जैसे पिछले साल, तो धान अवश्य कम पैदा हुआ लेकिन ज्वार, बाजरा और मक्का का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ। और यही कारण है कि मेरे फार्म पर भी रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ क्योंकि जो धान को नुकसान होने वाला था उसको पानी देकर बचा लिया गया और इस तरह से दोनों को मिलाकर रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ। इसलिये यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हों तो जिस प्रकार का सूखा पिछले साल पड़ा वह वास्तव में अच्छे किसानों के लिये एक वरदान सिद्ध हो सकता है।

अब मैं इस बात पर भी आता हूं कि जब सूखा नहीं था तब आपने क्या कर दिखाया। एक वर्ष की या दो वर्ष की तुलना करना तो भ्रामक हो सकता है। मैं सन् 52 से लेकर 70 तक के आंकड़े प्रस्तुत करता है कि कृषि उत्पादन की गति विभिन्न राज्यों में क्या रही। पंजाब में 6.6, हरियाणा में 6.0, गुजरात में 5.4, तामिलनाडु में 4.2, हिमांचल प्रदेश में 3.9, उड़ीसा में 3.7, मैसूर में 3.4 और उत्तर प्रदेश में 2.5। पूरे भारत का औसत है 3.4 यह मिथ्या भावना है जो सरकारी कर्मचारीगण और अधिकारीगण सिखा देते हैं और उससे आप संतोष कर लेते हैं। इस सदन में आकर यही बात कह देते हैं और जनता में जा कर कही बात कह देते हैं। आपको वास्तविक ज्ञान होना चाहिये और स्वीकार करना चाहिये अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके कारण नहीं ढूंढेंगे जिसके कारण कृषि की गति पिछड़ी हुयी है। आखिर दूसरे राज्यों में इन 17 वर्षों में यह प्रगति और हमारे यहां केवल 2.5 हो—क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि विकास की गति ठीक से नहीं चल रही है।

सूखे की बात कही गयी-सूखे का कारण बताया गया। मैं इस संबंध में कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब सूखे के ही कारण है? चौथी प्लान में सिंचाई का लक्ष्य 3.43 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त का था परन्तु वह 3.26 हुआ। इसी तरह से लघु सिंचाई का लक्ष्य था 4.8 और उपलब्धि हुयी 3.5 की।

नाइट्रोजन बंटने वाला था 4.8 टन परन्तु सम्भावित उपलब्धि है 3.7 लाख टन की। 109,000 टन फोसफोरस की तुलना में 88,000 टन की उपलब्धि हुयी। पोटाश में भी इसी तरह से कमी है—78 के मुकाबले में 61। क्या ये सारी शार्टफाल्स सूखे के कारण हैं? ऐसी बात नहीं है। जब इन चीजों में शार्टफाल होगा तो यह जाहिर है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। मैं कोई दलगत भावना से नहीं बोल रहा हूं। मैं इस राज्य की कृषि उन्नति की दृष्टि से बोल रहा हूं। यह जो संतोष की भावना आपके मस्तिष्क में घर कर चुकी है उसको हटा लें। आप पिछड़े हुए हैं। पिछड़ेपन के कारण की तलाश करें।

श्रीमन्, इसी संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार बार-बार सूखे की बात करके जनता को मूर्ख बनाती है। उसका लाभ उठाकर सरकारी अधिकारी सरकार को ही मूर्ख बनाते हैं। यह एक पुस्तिका मुझे मिली थी, यद्यपि इस बैठक में मैं सम्मिलित नहीं हो सका। इसमें दलहन की उन्नति के विषय में चर्चा है। कुछ कृषि डिमांस्ट्रेशन्स किये जाने वाले थे हर एक दलहन की फसल के लिये। वे डिमांस्ट्रेशन्स नहीं किये जा सके—लक्ष्य नहीं पूरा हुआ। लक्ष्य न पूरा होने का कारण इस पुस्तिका में लिखा है।

भीषण सूखे के कारण प्रदर्शनियों की प्रगति संतोषजनक नहीं रही। श्रीमन्, मैं मान सकता हूं यदि यह धान के बारे में लिखा गया होता। जिसका दूर का भी रिश्ता खेती से है वह यह जानता है कि उर्द, मूंग और अरहर की जितनी अच्छी फसल हुयी उतनी अच्छी कभी नहीं हुयी। जो अधिकारी यह लिखते हैं कि डिमांस्टेशन्स इसलिये नहीं किये गये क्यों कि सूखा था वे आपको गुमराह कर रहे हैं। श्रीमन् अब मै थोड़ा रिसर्च के विषय में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। पहले तो आप भगवान के लिये एक बार निर्णय कर लीजिये कि रिसर्च का कौन जिम्मेदार होगा। मैं पिछले तीन चार वर्षों से देख रहा हूं कभी कृषि विभाग से निकाल कर रिसर्च को एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को दे दिया गया और कभी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से निकल कर कृषि विभाग को दे दिवा गवा, बिलकुल शतरंज का खेल आप लोग किये हुये हैं। जब रिसर्च के अधिकारियों को यह पता ही नहीं है कि उनका आफिसर कौन है, किसको उन्हें अपनी स्कीमों को भेजना है, किसकी सहमति लेनी है, एक बिलकुल अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है और उसका कारण है कि आप निर्णय नहीं कर पाये हैं, मैं किसी की पैरवी नहीं करता लेकिन एक बार निर्णय करके कोई एक ऐसा सेट बनाइये जो कम से कम टिकाऊ हो और जिस पर कुछ भरोसा हो। यही नहीं, कभी आपने रिसर्च को इंस्टीट्यूट को और फिर कभी कृषि विभाग को दे दिया। मैं कभी-कभी इन रिसर्च आफिसर्स से मिलता हूं। उनकी जो दिमागी परेशानी है वह यह है कि उनकी स्कीम को कौन पास करेगा और फिर उसमें गुटबन्दियां हो जाती हैं, कोई किसी का समर्थक बन जाता है और कोई किसी का सपोर्टर बन जाता है और इससे रिसर्च को बहुत धक्का पहुंचता है। इस ओर, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने भी ध्यान दिलाया था कि रिसर्च का काम शीघ्र नहीं हो रहा है। मैं यह कहता हूं कि आपने जो एरेन्जमेंट कर रखा है उसको भी आप बिगाड़ते रहते हैं, उनमें फुर्ती लाइये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप यह कहते हैं कि हम रिसर्च पर, गन्ना रिसर्च पर, धान रिसर्च पर इतने लाख रुपया खर्च कर रहे हैं तो मेरा यह भी निवेदन है कि उन रिसर्च फार्म्स से जो आमदनी होती है, उसको भी अगर घटा दीजिये तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आप वास्तव में रिसर्च पर बहुत कम खर्च कर रहे हैं। मुझे स्पष्ट आंकड़े मालूम नहीं हैं लेकिन गन्ना रिसर्च पर एक वर्ष, पुरानी बात है, कि 16 लाख का बजट था उसमें से 12–13 लाख रुपया सेन्टर ने गन्ना बेचकर आपके खजाने में जमा कर दिया तो फिर यह

[श्री भानुप्रताप सिंह]

आप कस कह सकते हैं कि 16 लाख खर्च कर दिया ? वास्तव में आपने 3 या 4 लाख रुपया ही खर्च किया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यवसाय से राज्य की आधी आमदनी होती हो, और जिस पर 80 फीसदी लोगों की जीविका और खुशहाली निर्भर करती हो उस पर आप एक निश्चित प्रतिशत लगा दें कि जितनी आमदनी होगी उसका एक परसेंट या 5 परसेंट खर्च करेंगे । मैं आपको बता दूं कि रिसर्च के खर्चे में से रिसर्च से होने वाली आमदनी को अगर आप घटायेंगे तो वह पूरी कृषि पर होने या खर्चे का .02 प्रतिशत से अधिक नहीं पड़ेगा और कोई भी उद्योग संसार में ऐसा नहीं है जहां रिसर्च पर इतना कम खर्च करके व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सका हो ।

तीसरी बात रिसर्च के संबंध में यह है और यह शायद उधर से ही आयी थी मैं उसी की पुष्टि करता हूं कि जो रिसर्च अधिकारी कोई अच्छे नये किस्म का बीज निकाले, उसको पारितोषिक ही नहीं बल्कि मैं तो एक कदम आगे यह कहना चाहता हूं कि आप नियम बना दें और यदि आवश्यकता हो तो कानून भी बनायें कि आप उसको रौयल्टी प्रति क्विंटल उस बीज स जो सरकारी गोदाम में से वितरित होगा, देखें । और जो इस किस्म क बीज से गहूं निकले उससे उसके 4 आने, 8 आने, 10 आन प्रति क्विंटल उसकी रायल्टी बने और उसको जीवन पर्यन्त रौयल्टी मिलनी चाहिये । यह तरीका दूसरे देशो में और विशेषकर वैस्टर्न यूरोप में प्रचलित है। इसका परिणाम यह होता है कि न केवल वह वैज्ञानिक जो कृषि विभाग में लगे हुए हैं बल्कि दूसरे लोग भी खोज करते हैं ।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेंद्र सिंह)--

वेतनवृद्धि वैज्ञानिकों के लिये की जाय?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, जो अच्छा बीज निकालता है उससे बड़ा उपकार संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता है । बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ भी वह काम नहीं करता ह जो एक अच्छा दाना गहूं का निकालता है ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

उस बीज के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भानुप्रताप सिंह--

आप लाखों करोड़ों रुपया पेंशन पर खर्च करते हैं तो अगर 10,20 पैसे क्विन्टल उसको दे दें तो उसका परिणाम यह होगा कि कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के अलावा दूसरे वैज्ञानिक भी खोज करने का काम करेंगे । पंत नगर के अलावा दूसरी युनीवर्सिटीज भी ह लकिन कोई वैज्ञानिक उस दिशा में काम नहीं करता है । वेतन की बात आप न कीजिये । जिन्दगी भर में डेढ़, दो लाख एक वैज्ञानिक को आप देते हैं लेकिन अच्छा बीज निकालने वाला करोड़ों क्षेत्र का प्रदेश का फायदा करता है । कृषि मंत्री जी ने पंत नगर की बड़ी प्रशन्सा की है । उन्होंने कहा कि वहां 10 करोड़ रुपये का बीज पैदा किया जा रहा है। पूछना चाहता हूं कि उसमें उनका क्या योगदान है । किस योगदान के बूते पर यह क्रेडिट वह लेना चाहते हैं मैं सिर्फ इस कारण कि वह उत्तर प्रदेश में स्थित है । उत्तर प्रदेश की सरकार का तो उसमें पैसा भी नहीं लगा है । जो काम पंतनगर कर रहा है वह आपका कृषि विभाग अबतक क्यों नहीं कर सका है यह कहना कि उनका पास भूमि है, तो आपके पास भी भूमि है । उनके पास सिर्फ 10000 एकड़ पर खेती होती है और आपके पास भी सारे उत्तर प्रदेश में 7.5 हजार एकड़ भूमि है जिस पर खेती होती ह । अगर वह 10 करोड़ रुपये का बीज पैदा कर सकते है तो आप भी 7.5 करोड़ रुपय का बीज पैदा कर सकते हैं ।

कृषि मंत्री (श्री रामलखन)—

10 करोड़ का बीज खुद नहीं पैदा किया है ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि पंत नगर खुद इतने रुपये का बीज पैदा नहीं कर सकता है । यह तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ हो जाता है । इसलिये यह स्पष्ट है कि वह पड़ोस के किसानों की इसमें सहायता लेता है । इसके लिये तराई डेवलपमेंट बीज कारपोरेशन बनी है । मैं दो बातें इस संबंध में कहना चाहता हूं कि यही वह किसान हैं जिनकी उपलब्धि की बात गर्वपूर्वक सदन में की जाती है और उन्हीं को आप मिटा देने का कानून बनाते है। दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध से यह कहना चाहता हूं कि अगर पंत नगर के आस-पास किसानों की आबादी है और वह संगठित है तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्रदेश के किसानों को संगठित करें और बीज पैदा करायें । आपने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि भारत सरकार की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि रासायनिक उर्वरकों में एनालीसिस हुआ और उसमें 33 से 50 प्रतिशत तक सम्पुल्स मिश्रित पाये गये । मैं अपना अनुभव बतलाऊं कि पिछली साल जयाधान की खेती की, कोई बीमारी नहीं थी । शामत मेरी आई हुई थी । मैंने सोचा कि एक अहतियाती छिड़काव करा दिया जाय । ऐंड्रीन का छिड़काव कराया, तीन दिन के अन्दर फसल झुलस गयी । मैंने समझा कि वास्तव में कोई बड़ा प्रकोप हो गया, इसलिये एक सप्ताह बाद पुनः छिड़काव करा दिया । वह जो नाश होने वाला था वह सवा-नाश हो गया । उस समय तो मैं नहीं समझ पाया कि क्या बात है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं क्योंकि यह घटना बस्ती और गोरखपुर में अनेक जगह घटी है वह यह है कि ऐंड्रीन के साथ डीजिल आयल मिलाया जाता है ।

जितने रासायनिक प्रयोग में आ रहे हैं उनमें मिश्रण हो रहा है और लाभ होने के बजाय हानि हो रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप केमिकल ऐनेलेसिस का एक सेल यूनिट कायम करें और वह कृषि विभाग से अलग हो । जोकि एक विक्रेता है वही निर्णायक नहीं हो सकता । दवाई और उर्वरक भी बांटें और फिर इन्हीं की लेबोरेटरी में ऐनेलेसिस के लिये जाय तो मुझे विश्वास नहीं है । लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक स्वतंत्र रूप से सेल कायम कीजिये, चाहे उत्तर प्रदेश ही उसका सारा खर्चा वहन करे लेकिन वहां हर सुविधा होनी चाहिये कि छोटा सा किसान भी जाकर अपना सैम्पिल दे और 10—15 रुपया जो भी निर्धारित फीस हो वह अदा कर दे तो स्वतंत्र रूप से वह शुद्ध है या अशुद्ध यह रिजल्ट मिल जाय-यह बहुत आवश्यक हो गया है । वास्तव में कृषि विभाग का सब से बड़ा काम यह है कि किसानों को जो नये बीज वगैरह मिलते हैं उनकी शुद्धि के बारे में भी वह आश्वस्त हो सके मैं जरा श्वेत क्रांति की बात करना चाहता था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप जल्दी समाप्त कर दीजिये । कितना समय और लेंगे ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

5—7 मिनट । श्वेतक्रांति की बात यह है कि एक शब्द गढ़ लिया जाता है तो यह समझा जाता है कि बस वास्तव में काम पूरा ही हो गया । "श्वेतक्रांति" एक शब्द किसी बहुत बड़े हिन्दी के विद्वान ने गढ़ दिया और हमारे मंत्री जी और देश के बड़े पढ़े-लिखे मूर्ख जिनको असलियत का ज्ञान नहीं है वह समझते हैं कि श्वेतक्रांति हो गयी । श्रीमन्, श्वेतक्रांति की दशा क्या है इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं । यद्यपि आंकड़े पुराने हैं, लेकिन इनमें भिन्नता कुछ

[श्री भानुप्रताप सिंह]

नहीं होगी । इन्होंने जो दुग्धशालायें स्थापित कर रखी हैं, कुछ जो संयंत्र लगा रखे हैं उनकी कैपेसिटी और वास्तविक हैंडलिंग के ये आंकड़े हैं । कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, केवल एक हल्द्वानी को छोड़कर और किसी भी दुग्धशाला की जो कैपेसिटी है वह उसको एक तिहाई से आगे नहीं बढ़ पाई । हल्द्वानी में मुझे ख्याल है कि संभव है कि यूनिवर्सिटी का डेरी फार्म हो उससे होता हो, लेकिन एक चौथाई से एक तिहाई तक वास्तव में कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं । लाखों करोड़ों की मशीनरी लगाइये, उससे एक तिहाई, एक चौथाई काम लीजिये तो कितना इकोनामिक होगा आप स्वयं समझ सकते हैं ।

मैं इस समय दुग्ध उत्पादन में वृद्धि क्यों नहीं हुई इसपर थोड़ी अपनी राय रखना चाहता हूं । हमारे पास ऐसे जानवर नहीं थे जिनसे वास्तव में डेरी इंडस्ट्री चल सकती । अब तक हमारे पास डेरी के लिये प्रमुख जानवर भैंस थी । मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मैंने अध्ययन किया है । जो सबसे बड़ा अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है देश में, वहां भैंसे, देशी गायें और अन्य जानवर भी हैं । औसत पैदावार ड्राई और मिल्च पीरियड में और पूरे साल भर की भैंसों की तुलना में दुगने से अधिक है ।

अगर आपको कोई आशा हो सकती है कि इस देश में वास्तव में श्वेत क्रांति लायी जाय तो इन क्रास-ब्रेड गायों से ही हो सकती है, न भैंस से यह सम्भव है और न अपनी पुरानी गायों से यह सम्भव है क्योंकि उनके खिलाने का खर्चा इतना होता है और दूध इतना कम देती हैं कि यह सम्भव ही नहीं है कि दूध उत्पादन लाभप्रद हो सके । लेकिन उन गायों को भी लाभ-प्रद बनाने में एक बड़ी बाधा है । अपने देश में ज्यादातर लोग ज्यादा चर्बी वाला दूध पीने के आदी हो गये । नतीजा यह है कि भैंस के दूध के मुकाबले गाय का दूध बहुत कम कीमत पर बिकता है । गाय के यहां बहुत से पुजारी बैठे हुए हैं लेकिन गाय का दूध पीने के लिये तैयार नहीं हैं । इसको आप ठीक एक ही प्रकार से कर सकते हैं कि कम से कम जो सरकारी डेयरीज कोआपरेटिव सेक्टर में खुली हुई हैं उनमें गाय के दूध की कीमत फैट कन्टेंट के अनुसार न निश्चित कीजिये बल्कि दूध से टोटल सालिड्स की बेसिस पर निश्चित कीजिये । गाय के दूध में 4 परसेंट फैट है और भैंस के दूध में साढे 6 परसेंट । अगर एक रुपये में आप भैंस के दूध को खरीदते हैं तो गाय के दूध को मुश्किल से 61 पैसे मिलते हैं । लेकिन अगर आप टोटल सालिड्स की बेसिस पर दूध की कीमत तय करना शुरू कर दें, और राष्ट्रीय हित में आपको ऐसा करना चाहिये, तो उसमें इतना अन्तर नहीं है । गाय के दूध में सालिड्स की कमी नहीं है । 13 परसेंट और साढे 16 परसेंट का अन्तर रह जाता है । उस सूरत में अगर एक रुपया भैंस के दूध की कीमत है तो 81-82 पैसे गाय के दूध का पड़ जाता है जोकि लाभप्रद है । आप इस हिसाब से सहकारी दुग्धशालाओं से दूध का वितरण करायें।

*श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री राम प्यारे—

व्यवस्था का प्रश्न है । बोलने वाले अभी बहुत हैं इसलिये आप दस-दस मिनट का टाइम कर दें कि दस मिनट से अधिक कोई नहीं बोलेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छी बात है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

साथ ही मैं माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यबाद दूंगा कि जितनी दैवी आपत्तियां किसानों के सामने आयीं उनके होते हुए भी कृषि कार्य में जो उन्नति की है उसके लिये निश्चित ही धन्यबाद के पात्र हैं । बहुत सी चीजें तो आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों ने बतायी ही हैं मैं यह महसूस करता हूं कि कृषि की उन्नति जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हो सकी है और उसका एक कारण यह है कि कृषि कई विभागों में इस प्रकार उलझ गयी है कि वह तरक्की कर नहीं पाती । हमारे कृषि मंत्री चीज बोवाने की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं लेकिन उसमें पानी देने की जिम्मेदारी, खाद देने की जिम्मेदारी दूसरे विभागों की होने की वजह से यह असमर्थ हो जाते हैं । तो कृषि एक ऐसी उलझी हुई गांठ है जिसमें कई ऐसी गांठें हैं कि हर गांठ का बन्धन अलग-अलग लोगों के हाथ में है । खाद कृषि मंत्री के जिम्मे है तो पानी सिंचाई मंत्री के जिम्मे है और बिजली बिजली मंत्री के जिम्मे है । वह तीनों कभी इकट्ठे नहीं हो पाते । अगर तीनों का तालमेल हो तो हम भूखे का भी मुकबला कर सकते हैं और अति वर्षा का भी मुकाबला कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

कैबिनेट में इकट्ठा हुआ करते हैं ।

श्री शिवकुमार पांडेय—

केबिनेट में होते होंगे मगर मान्यवर, स्थिति यह है कि आज किसान को बड़ी परेशानी होती है जब समय से पानी नहीं मिलता बीज नहीं मिलता । बिजली नहीं मिलती । अगर किसी ने नलकूप बोर करवा लिया है तो उसको बिजली नहीं मिल रही है । खेत में बीज बो दिया है तो पानी नहीं मिल रहा है । मेरा सुझाव है कि कृषि के लिये जितनी बिजली चाहिये, जितना पानी चाहिये, जितना बीज चाहिये, वह सब एक ही विभाग के अधीन होना चाहिये। या इससे सम्बन्धित जितने भी अधिकारी हों वे सभी एक मंत्री के अधीन हों कैबिनेट में इस पर विचार होना चाहिये । कृषि मंत्री के चार्ज में जब तक यह सब नहीं होगा वे कुछ कर ही नहीं पायेंगे ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि किसानों की आमदनी का केवल एक ही जरिया है और वह है खेती । खेती में भी एक किसान का पूरा परिवार लगा रहता है । अगर किसान हल जोतता है तो उसकी बीबी उसके बच्चे भी कोई न कोई काम करते ही रहते हैं । इसके विपरीत कारखाने में यदि एक मजदूर काम करता है तो परिवार में वही केवल पैदा करता है बच्चे उसके पढ़ते जाते हैं बीबी घर का ही अपना काम काज करती है । मजदूर की आमदनी से ही पूरे परिवार का खर्च चलता है । मगर किसान के परिवार का एक-एक सदस्य काम पर लगा रहता है । फिर शादी बीमारी तथा अन्य जितने भी खर्च होते हैं वह उसे अपनी आय से ही पूरे करने होते हैं । सारा खर्चा अनाज से ही पूरा करता है अनाज का भाव उतना ही है जब कि उसके काम आने वाली सभी चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं । औजार लोहा सीमेंट कपड़ा सभी चीजों के दाम दुगने तिगुने हो गये हैं ट्रैक्टर 13 हजार की जगह 23 हजार का हो गया है । एक किसान अपनी पूरी फसल को बेच भी डाले तब भी वह ट्रैक्टर नहीं ले सकता । तो इधर भी आपको ध्यान देना चाहिये ।

आपने मान्यवर, विकास कर लगाया । मैंने उसका स्वागत किया था । जब मालगुजारी माफ कर दी गयी तो कहीं से तो पैसा आयेगा । मगर जिन किसानों पर आपने विकास कर लगाया है आप उन किसानों को कुछ सुविधायें भी तो दीजिये । उनको सस्ते दर पर बीज खाद, औजार, कपड़ा तथा अन्य चीज दिलवाइये । जब तक आप नहीं करेंगे, उनका विकास नहीं होगा । मेरे यहां एक डिप्टी कलक्टर थ । जब वे रिटायर हो गये तो उन्होंने दो तीन

[श्री शिवकुमार पांडेय]

साल खेती की, फिर सारी खेती को बेच डाला । मैंने उनसे पूछा, अब वे जिन्दा नहीं है, कि आपने खेती क्यों छोड़ दी । उन्होंने कहा कि उससे लागत बहुत आती थी, खर्च बहुत होता था, घाटा ही घाटा हो जाता था । मैंने उनसे कहा कि यही बात यदि तब आपने सोची होती तब जब कि आप डिप्टी कलेक्टर थे तो अब तक कृषकों का भला हो गया होता । मान्यवर, यह अधिकारीगण कृषकों की समस्याओं को समझ ही नहीं सकते । जिसने कभी खेतों पर काम न किया हो, धूप में हल न चलाया हो, खेतों की मेड़ न देखी हो, जेठ की दोपहरी में गन्ने के खेत को न सींचा हो, वह किसानों की समस्या को कैसे महसूस कर सकता है ।

मान्यवर, जैसा मैंने अभी कहा किसान का सारा परिवार काम करता है । उसके परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं होता जो खेती के काम में न लगता हो 5 साल का लड़का भी बैठे-बैठे खलियान को देखा करता है, उसकी रखवाली करता है । इस प्रकार उसका पूरा परिवार लगा रहता है । और सब का पारिश्रमिक जोड़ डालिये, तो उनको उतना नहीं मिलता है, जितनी वह मेहनत करते हैं ।

खेतिहर मजदूरों की हालत और भी खराब है, जानवर जो मडाई करते हैं, उनके गोबर से जो अनाज निकलता है, जिसे गोबरहा कहते हैं, उसे खाकर खेतिहर मजदूर अपना जीवन यापन करते हैं । जिसका परिणाम यह होता है कि खेत मालिक के खड़े होने पर भी वह ठीक से मन लगाकर काम नहीं करता है, वह मेहनत से काम नहीं करता है, क्योंकि उसका पेट तो भूखा रहता है । उसकी चोरी करके खाने में हमेशा नीयत रहती है । कारण यह है कि उसके पेट भरने का हम कोई तरीका नहीं निकाल पाये हैं । हम कहते तो हैं खेत मजदूर की मदद करने की बात, लेकिन करते उनके लिये कुछ नहीं है । जब भी हम उनको कोदो सावां का ढाई ढाई पाव देते हैं । बड़े किसान तो कर्ज ले सकते हैं और उससे अपनी खेती का विकास कर सकते हैं, लेकिन जो 4 और 5 बीघा के किसान हैं या एक दो एकड़ के किसान हैं जिनकी संख्या 10 फीसदी है उनके लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मालगुजारी में जो सवा एकड़ की लगान माफी हुई है, उसके 10 प्रतिशत किसानों का लगान माफ हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि उनकी तादाद 80 प्रतिशत से कम नहीं है । तो इतनी बड़ी संख्या वाले ये किसान अपनी खेतानको दिखाकर बैंक से ट्रैक्टस या पम्पिग सेट्स के लिये रुपया नहीं पा सकते हैं, इसके अतिरिक्त वह खेती के लिये अन्य कोई सुविधायें नहीं प्राप्त कर पाते हैं । वे न ट्रैक्टर ले सकते हैं न ट्यूब वेल लगा सकते हैं, तो फिर खेती की पैदावार कैसे बढ़ेगी ।

एक बात और है, जो तालाब थे, वे बहुत से पट्टे में चले गये । उस दिन सिंचाई मंत्री जी कह रहे थे कि गांवों की तलैया को भी सिंचाई योग्य बनाया जायगा, लेकिन स्थिति यह है कि चकबन्दी के कारण पुरानी गूल तक बन्द हो गई हैं, अब गांवों के तालाबों से सिंचाई नहो हीं सकती है । उसको गहरा कराये या पनिया-सोत कराये, उससे काम नहीं चल सकता है, क्योंकि उसके मार्ग में वहां पर दूसरे चक पड़ गये हैं, इसलिये किसी तरह से पानी निकल ही नहीं सकता है । ये परेशानियां आये दिन किसानों के सामने आती रहती हैं । आप एक एकड़ की जोत वालों को बीज मुफ्त देते हैं, पिछली बार भी हुआ था । एक एकड़ से काम वाले जो किसान थे, उनको मुफ्त में बंटा । लेकिन उसमें भी यह हुआ है कि एक किसान पाया तो 5 बनिया पा गया है । व्यापारियों का मुख्य पेशा खेती नहीं है, वह तो यों ही दो-एक एकड़ खेत रखते हैं, लेकिन वह उस हिसाब से काफी बीज पा गये । मेड़बन्दी का हाल यह कि जिन गांवों में मेड़बन्दी करते हैं, वहां के किसानों से पूछते हैं, उनकी रजामन्दी मिलने पर ही उनको खेतों की मेंड़बन्दी करते हैं । इसकी आड़ में होता यह है कि ठेकेदार से कमीशन लेने के लिये फर्जी यह लिख दिया जाता है कि हम मेड़ नहीं बंधाना चाहते हैं । क्योंकि यह काम ठेकेदारों से कराया जाता है और जितना ही काम कम हो उसके लिये अच्छा है, उतना ही उसका लाभ है । जहां मेंड़ बांधी भी जाती है, इस तरह बांधी जाती है कि वह बरसात में बर्बाद हो जाती है । हमारे

यहां आलू की जो मेंड़बन्दी होती है, वह पानी बरसता है बह खत्म हो जाता है। इस तरह की मेंड़ बन्दी के लिये आप पानी निकालने की कोई पक्की व्यवस्था करें या पास लगवायें। किन्तु जेठ में मेंड़बन्दी होती है और उस महीने में पास मिलती नहीं है और जब मिलती है तब तक ठेकेदार का पेमेन्ट हो जाता है।

इन शब्दों के साथ में, हमारे मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्रभान शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की ओर खींचना चाहता हूं जिसने अपने रिकार्ड में एनिमल हस्बेन्डरी पर बड़ा जोर दिया है उसको देखते हुये हमारे प्रदेश में इस विभाग पर नहीं के बराबर तवज्जह दी गयी है। कृषि तथा एनिमल हस्बेन्डरी डिपर्टामेंट एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते क्योंकि छोटा काश्तकार बगैर मवेशी नहीं चल सकता। बड़े काश्तकार ट्रैक्टर से काम चला सकते हैं लेकिन जब दूध की क्रांति का सवाल आता है तो जानवरों की ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन उसमें अब इतनी बीमारियां उत्पन्न हो गयी हैं जिनसे जानवर तो मरते ही हैं साथ-साथ जो उनका दूध पीते हैं उनको भी इतनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनको हमारा डिपार्टमेंट कवर नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता।

हमारे मंत्री जी भी जरा अपना बजट उठा कर देख लें कि कितना धन इस विभाग के लिये रखा गया है। 7, 8 साल पहले का अगर बजट उठा कर देखा जाय तो 10, 12 हजार रुपया ही अधिक दवाइयों के लिये रखा गया होगा और इससे आप अपने पशु धन को बचाना चाहते हैं और श्वेत क्रांति करना चाहते हैं? अगर आप जानवरों की नस्ल को अच्छा नहीं बनाते हैं तो दूध कैसे मिल सकेगा देश कैसे तरक्की कर सकेगा और जब बच्चों को अच्छा दूध नहीं मिल पायेगा तो वे काबिल कैसे बन सकेंगे? इस विभाग के जो मंत्री हैं अथवा डायरेक्टर हैं वे सिवा तनख्वाह लेने व भत्ता बनाने का कोई काम नहीं करते। इनकी प्रयोगशालायें ठप्प पड़ी हैं और वहां कोई रिसर्च नहीं की जाती है। जो स्टाफ है उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह गांव में जा कर एनिमल, ब्रीड को ठीक करें और उनके इलाज का इन्तजाम करें लेकिन छोटी-छोटी सुविधायें जो उनको उपलब्ध होनी चाहिये उनको नजरन्दाज कर दिया जाता है और उस स्टाफ के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है जो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। क्या इससे पशु धन की उन्नति हो सकेगी अथवा कृषि महकमा तरक्की कर सकेगा हरगिज नहीं कर सकेगा।

हमारे जो वेटेरिनरी सर्जन हैं उनका स्टेट्स मेडिकल डिपार्टमेंट के एम० बी० बी० एस० डाक्टर के बराबर होना चाहिये। दूसरे प्रदेशों में आज भी वैसा है। अब से तीन चार साल पहले हमारे प्रदेश में भी था लेकिन आज उसे समाप्त कर दिया गया है। आज विभाग को जो डायरेक्टर है उसका एक ही काम है कि वह अपनी गोट फिट किये रहता है। जो उसके चहेते हैं उनको अच्छी जगह पर तबादला करके रखता है जहां वे खूब पैसा कमाते हैं। 4, 5 हजार पर हेड के हिसाब से वह लाखों रुपया कमा लेता है। एक सीजन में। उनका काम सिवा इस काम के दूसरा काम नहीं रह गया है। अगर आपको इस प्रदेश को ऊंचा उठाना है। जो विभाग में जो वेटेरिनरी सर्जन हैं, स्टाकमेन है चपरासी हैं उनकी दशा को ठीक करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें और उसके लिये दूसरे प्रदेशों के आंकड़े मंगा कर देखिये कि आपको क्या क्या करना है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

कृषि का बहुत ढोल पीटा जाता है। बहुत अच्छे सुझाव भानु प्रताप सिंह जी ने दिये। लेकिन जो लोग खुद महकमें को खा रहे हैं, लूट रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं वे महकमें की तरक्की क्या कर सकते हैं ? उस गठरी की चोरी से अगर आप सुरक्षा कर लीजिये तो हो सकता है आप कुछ कर सकें ?

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब आपके प्रदेश में यह एग्रो इन्डस्ट्रीज का महकमा कायम हुआ और जब उसकी बुनियाद रखी गई तो हमारे जो एग्रीकल्चर के डाइरेक्टर थे वे इस महकमे के मैनेजिंग डाइरेक्टर नियुक्त किये गये। उसके बाद जब इन्होंने अपना कार्यभार सम्भाला तो प्रोजेक्ट इन्जीनियर के पद पर वहां एक भटनागर साहब की नियुक्ति की गई। लेकिन चूंकि भटनागर उस गुट से सम्बन्ध नहीं रखते थे, वे वहां पर कार्य नहीं कर सकते थे क्यों कि वह तो नवाबों का डिपार्टमेंट आजकल हो रहा है, बड़े-बड़े लोगों का उससे पेट भरा जा रहा है, तो उनकी नियुक्ति वहां पर कैसे हो सकती है। लिहाजा उनको वहां पर प्रोजेक्ट इन्जीनियर के पद पर ज्वाइन नहीं करने दिया। उसके बाद एक श्रीवास्तव आये, उनको भी नहीं आने दिया और एक मिस्टर आर० बी० एल० तिवारी को इस पोस्ट पर रख दिया।

मैं चन्द उदाहरण आपके सामने इस विभाग के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं कि किस तरह से इस विभाग में लूट हुई है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि मेरी इन बातों को नोट कर लें और उसके बाद उन पर आवश्यक कार्यवाही करें। आपके यहां एक हेरो मशीन इम्पोर्ट होती है जिसको कि केवल रजिस्टर्ड फर्मों को ही दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि मेसर्स आर० के० मित्तल एन्ड सन्स, कैसरगंज, मेरठ, मेसर्स दयाल ब्रदर्स, कैसरगंज, मेरठ, मीरा स्टील, सूरज कुंड, मेरठ, मित्तल कांट्रैक्टर्स बागपत रोड, मेरठ ऐसी फर्में हैं जो कि डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के यहां से रजिस्टर्ड नहीं हैं किन्तु फोर्ज्ड सेल-टैक्स एकाउन्ट्स की रसीदें बनाकर इनको वे मशीनें दी गई। इस बारे में डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज ने रिपोर्ट भी की कि ये बोगस फर्म्स हैं इन्हें लोगों ने वैसे ही बना दिया है लेकिन यह डिस्क उनको दे दी गई। अगर किसी को 80 देनी थी तो उसमें एक अंक लगाकर 180 दिखा दी गई। इस किस्म की शिकायत आपके पास भी गई होगी कि इस मामले में कितनी खुर्द-बुर्द की गई है, कितना गोलेमाल किया गया है लेकिन कोई इन्क्वायरी इस मामले में नहीं होती है। कैसे यह विभाग आगे डेवलपमेंट कर सकता है।

मान्यवर, इस विभाग में जो चूहे इसे कतरने में लगे हुये हैं, जब तक उनका सफाया नहीं होता तब तक हालत सुधरने वाली नहीं है। जो ये आर० बी० एल० तिवारी हैं, जो प्रोजेक्ट इन्जीनियर हैं उन्होंने किस बेस पर सेल्सटैक्स को आधार बनाया है। यह तो रिपोर्ट में मौजूद है कि उनका सेल्स टैक्स का खाता नहीं देखा गया, कोई एकाउन्ट्स नहीं देखा गया और उन्हें सामान दे दिया गया। मेसर्स डिसलक इन्टरप्राइज, लखनऊ, मेसर्स एग्रो मक बी० 7, इन्डस्ट्रियल मेसर्स इस्टेट प्रतापपुर मेरठ, प्राण इंजीनियरिंग वर्क्स बरेली को 80-80 डिस्क बगैर किसी सेल्स टैक्स एकाउन्ट को देखें बिना ही दिये गये···

श्री राम लखन--

यह कब का मामला है ?

श्री चन्द्रभान शर्मा--

जब इसका ओरीजिन हुआ था उस समय का मामला है। एक मेसर्स शिव इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, मेरठ, को 11 हजार रुपये सेल्स टैक्स दिखाकर 440 डिस्क दी गईं जब कि सेल्स टैक्स की रसीद केवल 2757 रुपये की थी और 120 डिस्क मिलनी चाहिये थी। मान्यवर, कोई ऐक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। कोई जांच नहीं कराई गई है। पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी ने इन चीजों को देखा है। जब कमेटी के सामने यह प्रश्न आया तो आफिसरों

ने उसे टालना शुरू किया और इस बीच पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी का फर्म ही खतम हो गया वे कमेटी के सामने कोई न कोई बहाना करते रहे ।

इतना ही नहीं, एक चीज मैं और बतलाना चाहता हूं । मेसर्स कर्मजीत स्टील रोलिंग मिल्स, लखनऊ को 30 टन लोहा दिया गया रोल करने के लिये जिसमें से 3.7 टन लोहा तो रोल हुआ और 3.3 टन लोहा वापस हुआ और बाकी 24 टन लोहा यह कह कर खतम कर दिया गया कि छीजन हो गया । वास्तव में उस फर्म ने उस लोहे को गिरवीं रख कर एक बैंक से एडवांस ले लिया और अपना काम चलाया । सारी बात यह है कि प्रोजेक्ट इन्जीनियर ने बिना रोल हुये लोहे को उनको दे दिया और उनके ऊपर जो रुपया बाकी है उसको वसूल करने के लिये तैयार नहीं हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अन्धा धन्धा आजकल चल रहा है उसको अगर आप चेक नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ।

6 लाख रुपये का घोटाला इस विभाग में एक और है । मेसर्स अरोड़ा ऐन्ड सहगल कम्पनी कलकत्ता की है । जो जहाजों से ट्रेक्टर्स उतारने का काम करती थी । 2 लाख 70 हजार रुपये तो उस कम्पनी को एडवांस दे दिया और जो पैसा उनको देने से बचा उसे अपने आप ले लिया । किसी आदमी ने उनसे नहीं पूछा कि वह रुपया कहां गया । कहा गया कि कम्पनी का दिवाला निकल गया । श्री राणा जब मैनेजिंग डाइरेक्टर होकर आये तो उन्होंने इसको डिटेक्ट किया और मुकदमेंबाजी शुरू की । वह मुकदमेंबाजी अभी चल रही है ? लेकिन वारंट तामील नहीं हो सका । 6 लाख 70 हजार रुपया प्रोजेक्ट इन्जीनियर की वजह से ही घोटाले में पड़ा है और उसका सूद देना पड़ रहा है । क्या इस बात की तहकीकात कराने की कोशिश की गयी और इसकी जांच करायी गयी कि किस तरह से वहां लूट मची हुई है ? इसी तरह से ढ़ाई लाख रुपया एग्रो, पंजाब के पास पड़ा हुआ है । अगर वह रुपया एग्रो के पास रहता तो उससे कितना काम चलता लेकिन उसे आज तक वसूल करने की कोशिश नही की गयी । इसके अलावा हरियाना एग्रो को हमारे यहां से 1 लाख 75 हजार रुपये का सामान उधार दे दिया गया लेकिन उसे वसूल करने की कोशिश आज तक नहीं की गयी है ?

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य इस तरह से मंत्री की तरफ हाथ दिखला-दिखला कर बोल सकता है ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इसी तरह से आर 0 एस 0 ओ 0 9 ट्रैक्टर यू 0 पी 0 एग्रो को मंगाया था । वह तो मंगाया नहीं और प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब ने 6 लाख रुपये का सामान उस फार्म से मंगा लिया जो ऐसे ही बेकार पड़ा है । उसका पुर्जा किसी ट्रैक्टर म फिट नहीं होता । क्या जरुरत थी 6 लाख रुपये के सामान मंगाने की, क्या इस पर इनक्वायरी करा कर कोई कार्यवाही करने की बात आप सोच रहे हैं । इतनी बड़ी-बड़ी बातों को भी आप नहीं देखेंगे तो काम कैसे चलेगा और आपका रुपया कैसे बच सकेगा ।

मान्यवर, दो तीन और बात कह कर मैं अपनी बात खतम कर दूंगा । जो काश्तकारों के लिये ट्रक्टर मंगाया जाता ह उस पर कस्टम कम है । अगर एग्रो कस्टम को काश्तकारों की लिस्ट दे देता है तो उसे कुछ कम पैसा देना पड़ता है लेकिन मान्यवर, आर 0 बी 0 एल 0 तिवारी ने युगोस्वावाकिया से डिस्क मंगाने की कोशिश की और जो हमारी ओरिजिनल

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

लिस्ट थी वह गायब हो गयी। उसकी डुप्लीकेट की मंगायी गयी लेकिन वह भी गायब हो गयी। कागजात पेश नहीं किये गये और बौंड पर उसे छुड़ाना पड़ा जिसकी वजह से यू० पी० एग्रो को ढ़ाई लाख रुपये पेनाल्टी के रूप में देनी पड़ी। इसकी तहकीकात आप करायेंगे कि यह तरीका क्यों इस्तेमाल किया गया? इसी प्रकार 3 लाख रुपये की पेनाल्टी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने उन काश्तकारों की लिस्ट कस्टम वालों को नहीं भेजी। और लिस्ट न जाने की वजह से उन्होंने समझा कि आर्डीनरी वे में आ रहा है लिहाजा तीन लाख रुपया इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने उन काश्तकारों की लिस्ट कस्टम वालों को नहीं भेजी। और लिस्ट न जाने की वजह से उन्होंने समझा कि आर्डीनरी वे में आ रहा है लिहाजा तीन लाख रुपया इनको देना पड़ा। अब बताइये कि यह कैसे पनप सकती है।

मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे अधिष्ठाता महोदय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो इन्होंने डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर का कंफर्मेशन रोक दिया था। इसका क्या कारण था? यह आपने मालूम करने की कोशिश की? इसका कारण यह था कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारा गोलमाल होता था। जैसा कि कल माननीय सदस्य चौधरी राम पाल सिंह जी ने बताया कि यू० पी० एग्रो का सामान इस्तेमाल होता था। इसकी रिपोर्ट विजिलेंस को भी हो चुकी है। फिर भी कोई तवज्ह नहीं की जाती है।

एक बात यह कहनी है कि 80 लाख रुपये की थ्रेशिंग मशीन कानपुर से मंगाई गई है। डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने लिखा है कि यह बेकार है और ओवर पेमेंट करके मंगाई गई है। इसकी भी विजिलेंस में रिपोर्ट हो चुकी है। इसमें इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट मिस्टर आजाद स्पेशल सेक्रेटरी का विदहैल्ड कर लिया गया जो कहा जाता है कि बाद में 50 हजार रुपया देकर रिलीज कराया गया। अगर यह चीजें साबित हो जाती हैं तब भी आप इनको कब तक कायम रखेंगे। क्या आप अब भी इसको खत्म करना नहीं चाहते हैं?

मान्यवर, एक बात मैं गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं। यह काश्तकार क्रैश फसल है। इसमें बड़ी ढिलाई होती है। 5 जनवरी को गवर्नमेंट ने तय किया था कि सवा बारह रुपये का भाव किसान को मिलेगा। लेकिन मिल मालिकों ने 16 जनवरी से देना शुरू किया और 15 दिन का रुपया मिल मालिकों के ऊपर बकाया है। मिल मालिकों को मजबूर करके सरकार काश्तकार का रुपया दिलाये। मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन वक्त नहीं है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि जितनी बातें मैंने बतायीं हैं, आप चाहें तो मैं लिख कर भी दे सकता हूं, आप इनको एक्जामिन करायें और इस पर मुनासिब कार्यवाही की जाय। आप हाउस की प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये। धन्यवाद।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, कल सवा घंटे तक श्री रामपाल सिंह कटौती के प्रस्ताव पर .....

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

कल उन्होंने कुछ बातें बतायीं थीं कि किस तरह से सरकार चल रही है, वह भी बता दें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, कल सवा घंटे तक माननीय रामपाल सिंह जी कटौती के प्रस्ताव पर बोले। ऐसा मालूम हुआ कि प्रस्ताव के द्वारा तथ्यों को छोड़ कर गुस्से की भावना में उन्होंने अपनी तकरीर रखी। बात यह है कि आप जानते हैं कि पिछले महीने में कुछ ऐसी दुर्घटनायें हुई हैं जिनसे उनका गुस्सा होना जरूरी था। श्री राज नारायण जी बांका के चुनाव में हार गये और इनके साथी श्री प्रभूनारायण सिंह जी हजारों कार्यकर्त्ताओं को लकर कांग्रेस में चले गये। सबसे बड़ी चीज प्रसिद्धि थी कि उनकी कल्ट रही है और व बरगद की छाया में बैठते थे। वह उनसे छीन ली गयी है और अब उनका कोई सिम्बल नहीं रह गया है।

चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

श्रीमन, इनकी बैलों की जोड़ी नीलाम हो गयी है और अब ये गाय बछड़ें के नीचे आ गये है ।

श्री रियासत हुसैन—

एक तरफ तो उनके साथी माननीय राज नारायण सिंह जी हार गये और दूसरी तरफ यह कि श्री श्यामसूरत उपाध्याय कांग्रेस में आये ।

श्री रुपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह नियम है कि अगर सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाये तो बोलने वाले माननीय सदस्य को बैठना होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रियासत हुसैन जी आप कृपया बैठिये ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह कृषि का अनुदान पेश है, यह एक महत्वपूर्ण अनुदान है, यहां की 80 प्रतिशत जनता से इस का सम्बन्ध है । लेकिन हमारे माननीय सदस्य जो पहले पी0 एस0 पी0 के नेता थे और जो अब उधर चले गये हैं उन्होंने अनावश्यक रूप से ऐसी चीज यहां छेड़ दी जो कृषि की ग्रान्ट से कोई संबन्ध नहीं रखती, किस को बरगद मिला या क्या मिला इससे क्या मतलब ? वह अपने को नही देखते कि कहां से कहां पहुंच गये और उनकी आज की पार्टी इस समय क्या है, वह एक ऐसा समूह है जो सब दलों से निकले हुये लोगों से मिल कर बना है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की तमाम बातों को उनके भाषण से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है यह लेकिन उचित यही होगा कि विषयांतर न किया जाय और ग्रान्ट पर ही बोलें ।

*श्री रियासत हुसैन—

चूंकि उन्होंने कटौती के प्रस्ताव में इस तरह की चीज कही थी इसलिये मैंने इतनी बात कहना जरूरी समझा जो उचित था लेकिन अब आगे आपके आदेश के अनुसार इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा ।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि माननीय मंत्री जी ने जो यह अपना बजट कृषि का उपस्थित किया है उसमे कुछ अच्छे काम भी दिखायी देते हैं जैसे ढ़ाई हजार हेक्टेयर में ज्यादा गेहूं की बात, 32 लाख हेक्टेयर में अच्छी वैराइटीज के गेहूं की काश्त 12 लाख हेक्टेयर में दवाओं का छिड़काव 1 एकड़ से नीचे के किसानों को बीज का दिया जाना और 16 करोड़ रुपये के फर्टिलाइजर का वितरण यह ऐसे काम है जिनके लिये मंत्री जी की तारीफ करना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

लेकिन मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात से स्वयं संतुष्ट हैं कि इस बात को देखते हुये कि यह प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है क्या वह प्रदेश को उचित सम्मान मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिये। अगर वह नहीं मिलता तो क्या वह यह भी स्वीकार करेंगे कि क्या उनका यह विभाग जो कृषि से संबन्धित है क्या उसे जिला स्तर पर या प्रदेशीय स्तर पर वह सम्मान मिलता है जो ऐसे महत्वपूर्ण विभाग को मिलना चाहिये। मेरी समझ में वह नहीं मिलता। जिले में कृषि आफीसर का दफ्तर सबसे बुरी जगहों पर है जहां किसी की कोई पूंछताछ नहीं। सिवा कुछ चीजों को अगर देखा जाय जैसा कि हमारे माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कहा कि देहात में कृषि उत्पादन नही है। और उसका कारण यह है कि जो साधन किसान को दिये जाने चाहिये थे वह नहीं दिये गये। आज भी प्रदेश को 63 प्रतिशत भूमि असिंचित है, उसको अगर सिंचित करने की बात करें आज भी आपके प्रदेश में नलकूप के लिये पावर नहीं मिलती, डीजल की कमी है, फर्टिलाइजर की व्यवस्था नही है। इन तमाम चीजों की कमी को दूर कर दिया जाय तो प्रदेश का किसान जो गरीबी के कारण दबा दिखाई देता है और जो कहा जाता है कि जमीन पर बोझ बन गया है, यह तमाम चीजें दूर हो जाएंगी अगर अमली तौर पर इन तमाम चीजों को उसके लिये मोहैया कर दिया जाय।

थोड़ी सी मैं बीज की बात भी कहूंगा जो खेती के लिये एक बुनियादी चीज है। कुछ साल से देखने में आता है कि कुछ बीज किसानों को बांटा जाता है लेकिन हमारे गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि यूनिवर्सिटी जो बीज पैदा कर रही है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी यह यूनिवर्सिटी जिसे मनमानी जमीन, मनमाने साधन है और जिसको वर्ल्ड बैंक तक का पैसा मिला हुआ है तराई डेवलपमेन्ट कारपोरेशन के डायरेक्टर का सहयोग जिसे मिला है लेकिन यह सब होते हुए भी बीज उस स्तर के वहां से नहीं निकल सके जिस तरह के दिल्ली और दूसरी जगह से निकले हैं। हो सकता है कि वहां का बीज बारादरी फार्म, मेहता फार्म, कपूर फार्म, प्रयाग फार्म और बलवन्त फार्म आदि को मिला हो लेकिन गरीब किसान को आज भी वह बीज ब्लैक से मिलता है, उसका फायदा कुछ ऊपर के लोगों को भले हुआ हो लेकिन मैं खेद के साथ कहूंगा कि आज भी किसान के पास तो आप का वही पुराना बीज जिसे लरमारोजी, आर0 आर0 21,308 या 227 कहते हैं या सुनरा 64 कहते हैं वहीं पहुंचता है जिसे आप हाई ईलडिंग वैराइटी कहते हैं। 301 और 310 के बारे में मैं क्या कहूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के किसान के लिए 310 का बीज बिल्कुल नाकारा है। जिस किसान को भूसे की जरूरत न हो, जिसे गांय, बैल या भैंस न पालनी हो, उनके लिये यह किस्म ठीक हो सकती है। और ऐसे किसान हमारे प्रदेश में लगभग 3 प्रतिशत हैं जिनके पास थ्रेशर्स वगैरह भी हैं। यहां 95 फीसदी किसान ऐसे हैं जो भैंसे पालते हैं, बैल पालते हैं और गायें पालते हैं। उन्हें चारे की जरूरत होती है। तो उसे नये से नये बीज देने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश का किसान दुकानदारों के जरिये से अन्य प्रदशों से ब्लैक में 250 रुपये की दर से लाकर बीज बोता है। क्या यह हमारे लिये शर्म की बात नहीं है कि जिस प्रदेश में कृषि यूनिवर्सिटी हो, नयी से नयी हर चीज मौजूद हो, वहां के किसान दूसरे सूबों से ब्लैक में बीज लाये और अपने खेतों में बोये।

एक बात मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा कृषि विभाग यह जानता है कि उत्तर प्रदेश की सारी एकौनोमी इस एग्रीकल्चर पर निर्भर है लेकिन आज तक प्रदेश को कृषि यन्त्रों में अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सका। आज हमारे किसान जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, उनको अच्छी किस्म के ट्रैक्टर्स आप मुहैइया नहीं कर पाते हैं, जो वे कृषि यंत्र लेना चाहते

हैं, वे उन्हें नहीं मिल पाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि तुम एस्कोर्ट 37 ले लो, एस्कोर्ट 47 ले लो जो 6 महीने में एक टीन के डिब्बे की तरह से हो जाता है। अगर आपको इम्पोर्ट ही करना है तो आप क्यों नहीं फर्गयुसन या जीटर आदि ट्रैक्टर मंगाते, उनका आपको इन्तजाम करना चाहिये। आपको इनमें सैल्फ सफिशिएन्ट होना चाहिये। लेकिन इस प्रकार के ट्रैक्टर्स आज खेती करने के लिये 8–10 साल से पहले नहीं मिल पाते हैं। आपके कृषि विभाग की जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश में ट्रैक्टर्स के कारखाने लगायें।

अब मैं इस एग्रो के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इसके द्वारा चलाया हुआ एक ओइशी नाम का रेस्टोरन्ट है जिसको आप सभी ने देखा है। यह पीली ईंटों से बनाया गया है कौन नहीं जानता कि इसका कन्ट्रक्शन पीली ईंटों से हुआ है। मैं चाहूंगा कि इसकी आप इन्क्वायरी टेक्निकल सैल से करवायें तो आप पायेंगे कि इसका खर्चा कहां से वसूल होगा।

इसी कारपोरेशन का विधान सभा में जो रेस्टोरेन्ट चलता है उसमें 8 आने में एक रोटी मिलती है, सब्जी एक रुपये में प्लेट मिलती है और रायता जिसकी लागत मुश्किल से 2 आने आती है, 50 पैसे में दिया जाता है। दाल की प्लेट 90 पैस में मिलती है और यदि कोई व्यक्ति साधारण खाना चाहता है तो 4 रुपये से कम नहीं होते हैं जबकि आपके शहर में अच्छे-अच्छे होटलों में खाना खाने पर भी 4 रुपये से अधिक नहीं पड़ता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जो ओइशी पीली ईंटों से बनाया गया है, उसका खर्चा यहां से इस प्रकार से पूरा किया जायेगा। जो उम्मीदें इससे वाबस्ता थीं, वे इससे पूरी नहीं हो सकती हैं।

हमारे प्रदेश के अन्दर सीलिंग करते वक्त भी हमारे बागों को छोड़ दिया गया है ताकि बरबाद न हों लेकिन देखने में आता है कि जितने हमारे पुराने बागात हैं, वे कटते जा रहे हैं। कहा जाता है कि पेड़ों और पौधों में जो कीड़ा लग जाता है उसके प्रोटैक्शन की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे गेहूं हो, चाहे हमारे बागात हों, उन सबके लिये किसानों के प्लांट प्रोटैक्शन फ्री मिलना चाहिय, जैसा कि भाई भानु प्रताप सिंह जी ने भी कहा है। एक तो जो स्प्रे दवाइयों का होता है उससे फसल जल जाती है। किसानों का उसमें पैसा भी लगता है और बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो जाता है। इसलिये इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार पर होनी चाहिये और यह किसानों को फ्री सहूलियत मिलनी चाहिये। आज 3 साढ़े 3 सौ रुपया गेहूं पर खर्च होता है और जब कीड़ा लगता है, तो स्प्रे होता है, जिसकी कोई गारन्टी नहीं है और जिसके लिये किसान से पैसा भी लिया जाता है। मान्यवर, नेशनल इंटरेस्ट में यह जरूरी है कि डिपार्टमेंट द्वारा, उसका फ्री स्प्रे हो और किसानो से पैसा न लिया जाय।

मान्यवर, एक बोर्ड बना है, फ्रूट डेवलपमेंट बोर्ड। इसको ग्रान्ट भी मिलती है, लाइफ मेम्बरशिप भी बना लिये हैं, सुना है अध्यक्ष भी हैं उसमें, मीटिंग भी होती है, कारगुजारी भी होती है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि वह क्या काम करता है। श्रीमत्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश में किसानों को सामने दिया जाय, साज-सज्जा दी जाय, जरूरत के मुताबिक पानी मिलता रहे, खाद मिलती रहे, तो प्रदेश के किसान दुगनी-तिगुनी पैदावार करक द देंग। इस उत्तर प्रदेश का किसान खती करना जानता है। जब से उसको अच्छे बीज,

[श्री रियासत हुसैन]

पानी, फर्टलाइजर मिलने लगे और जब लालबहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया, तब से इस प्रदेश के किसानों ने अन्न उपजाने में बढ़ोत्तरी की।

आपका एनीमल हस्बड्री डिपार्टमेंट है। 25 साल से आज तक यह डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा काम है अच्छे मवेशी पैदा करना। अच्छी नस्लें बढ़ाना। लेकिन अच्छी नस्लें नहीं बढ़ी हैं, सिर्फ अंडे की छटाई का काम हुआ है। क्या कभी आपने गौर किया कि उत्तर प्रदेश की एकोनामी अण्डे की छटाई से बढ़ेगी। अगर देहातों में जाकर देखें तो गाय, भैंस और बैलों को स्टेन्डर्ड 50 फीसदी तक गिर गया है।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश 80 लाख टन इस साल गेहूं पैदा कर लेगा, यह केवल भ्रम है। आप जाकर देखें, तो मालूम होगा कि गेहूं के अन्दर लास है 50 फीसदी से भी ज्यादा, जहां कि पानी और फर्टलाइजर उचित मात्रा में किसानों को मिल गया है। जहां पानी और फर्टलाइजर नहीं मिल सका है, वहां तो 70/75 प्रतिशत तक लास है। मैं आपको दावत देता हूं कि आप देहात में जांय और जहां थ्रेशिंग हो रही है, वहां जरा गेहूं की हालत को देखें कि हवा और गर्मी की वजह से उसको कितना नुकसान हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका कितना अंदाज है, गेहूं की उपज के बारे में ?

श्री रियासत हुसेन--

50 लाख टन से आगे नहीं जायेगा।

एक बात आखिर में ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं। आपका क्या ऐडमिनिस्ट्रेशन है। मान्यवर, एक सज्जन, वीर बहादुर सिंह, रामदुर गार्डन के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। उनका केस आपके सामने है। ऐसा सख्श जिसने गोरखपुर में दो मर्डर कराए हों, आपके गवर्नमेंट के आर्डर हैं कि इनको इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज न दिया जाय, इलाहाबाद के अन्दर मर्डर किया हो जिसने फूलों की प्रदर्शनी, रामपुर में खुले आम शराब पी हो और जिसने सेन्ट्रल कल्चरल प्रोग्राम में, जब किसी अफसर ने कहा कि जिसको शराब पीनी है, वह बाहर जाकर पियें, उस अफसर की पिटाई कराई हो जिसके खिलाफ 332 का केस 5 मार्च को थाना रामपुर में लिखा गया, खेद की बात है कि उस अफसर को क्यों नहीं टरमिनेट कर दिया जाता ? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निकाल देने में आपके डाइरेक्टोरेट में कमी आ जायेगी ?

इन शब्दों के साथ में अन्त में माननीय मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि एग्रीकल्चर का विषय देहात का विषय है। और देहात से सम्बन्ध रखता है। इसमें जो भी काम करने वाले हैं, चाहे वे ए० डी० ओ०, एग्रीकल्चर हों, चाहे वी० एल० डब्लू० हों, या चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हों, उन्हें यह बात स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर कृषि उपज को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको देहात जाना पड़ेगा और अपने कपड़े मैले करने पड़ेंगे। कोट-पतलून पहनकर इस प्रदेश की उपज नहीं बढ़ सकती, उसको खेतों पर जाना होगा और डिमान्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसको गर्मी गर्द-गुबार, आदि यह सारी चीजों को बरदास्त करना पड़ेगा। अगर यह बरदाश्त नहीं करना चाहते तो मुश्किल है, प्रदेश की एकोनामी नहीं ठीक हो सकती। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले आ रहे हैं,। आप कोई हाइ-पावर कमीशन अपाइन्ट कीजिये जो बड़-बड़ गम्भीर मामलों की जांच करें। कम से कम सामने

तो आवे कि यह जो बड़े-बड़े गजटेड आफिसर्स, जिनके खिलाफ चार्ज लगता है, वह सही है या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं रियासत हुसैन साहब का भाषण सुन रहा था तो मैं भी सोच रहा था कि बोलूं, लेकिन उनके भाषण में वह सारी बातें आ गई जो मैं कहना चाहता था, इसलिये उनका नाम हटाकर मेरा नाम कर दिया जाय, लेकिन समर्थन की बात काटकर। क्योंकि जब भाषण हुआ उसमें बाद में समर्थन कर देना तो नलीफाई हो गया।

श्री रियासत हुसैन—

इसको मैं अपना सौभाग्य समझूंगा।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप एक सदस्य को पक्ष से और एक सदस्य विपक्ष से बुला रहे हैं। अभी आप जिन माननीय सदस्य को बुला रहे हैं यह तो शासक दल के हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह कम्युनिस्ट पार्टी के हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

कम्युनिस्ट पार्टी तो सरकारी पार्टी ही है।

*श्री शम्भूनारायण सिंह (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक बात यह आई कि कम से कम कुछ नहीं दिया जाय तो किसान को सम्मान दिया जाय। यह हमारे लिये बड़ी खुशी की बात होती कि यह सरकार उसको सम्मान देती। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस की सरकार जितना किसानों को लूट रही है उतनी लूट तो अंग्रेजो के जमाने में भी नहीं हुई। समय तो बहुत कम है अन्यथा मैं आपको विस्तार के साथ बताता कि आज किसान की क्या स्थित है। आज किसान किस तरीके से गरीबी और मुसीबत में फंसा हुआ है और उसको आज कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरी तो निश्चित राय यह है कि खाद्यान्न की स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक आप भूमि व्यवस्था में परिवर्तन न करें और सुधार न करें।

इस प्रदेश के अन्दर 70 फीसदी किसान हैं जिनके पास महज 30 प्रतिशत जमीन है और वह जमीन ऐसी जमी न है जो अनएकोनामिक है। एक बीघे से लेकर ढाई-तीन बीघे तक। आप बतावें कि वह कैसे उन्नतिशील बीज, खाद, आदि की व्यवस्था करे।

आज यह दशा हुई क्यों? आप देखें कि आपने बहुत से भूमि सुधार किये। इन 25 वर्षों में आपने जमीनदारी एबालिशन किया, चकबन्दी कानून पास किया, आपने हदबन्दी कानून पास किया। आप कहते हैं कि हमने उन किसानों के लिये किया जिनके पास जमीन नहीं है। मंशा आपका चाहे जितना पवित्र रहा हो, लेकिन नतीजा बिलकुल उल्टा हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 25 सालों में आपके भूमि सुधार कानून के परिणाम स्वरूप किसानों के पास से जमीन निकली है और बहुत बड़ी तादाद में वह भूमिहीन हुये हैं। हमारे मंत्री जी ने कहा कि जमीन पर बोझ कम हुआ है। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि गांवों से हटकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नारायण सिंह]
किसान शहरों में आये हैं । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । कौन से किसान शहर गये हैं—वह किसान गये हैं—जो आपके प्रशासन के कारण अपनी जमीन से बेदखल हुये हैं, जिनके पास से जमीन निकल गई है, जिनके पास कोई भी आलम्बन नहीं रह गया है, वह किसान अपनी रोजी-रोटी के लिये शहर को गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आप इनके लिये क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम बना रहे हैं । यद्यपि हरित क्रांति की बात कही जा रही है कि हम हरित क्रांति ला रहे हैं ।

यह ठीक है कि आपने पंचवर्षीय योजना के शुरू के सालों में कुछ कृषि की उन्नति की । इसको हम मानते हैं लेकिन आज क्या स्थिति है । इस प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है । राशन की दुकानों पर लोगों को गल्ला नहीं मिल रहा है । जनता में रोष है । अभी कल जनसंघ का डेपूटेशन मुख्य मंत्री जी के पास गया । मुख्य मंत्री जी ने उनसे कहा कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है । मैं कहता हूं कि इस सारी परिस्थिति के लिये आप जिम्मेदार हैं । आपने गल्ले का राष्ट्रीयकरण किया । हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है यह आपकी सही नीति है । लेकिन आपकी नीति नाकामयाब हो रही है । हमें दुख है कि आपके साथ हम भी बदनाम हो रहे हैं । ऐसा क्यों है । यह इसलिये है कि गल्ले का दाम आपने बहुत कम रखा है । किसान जो चीजें खरीदता है उनकी कीमत बहुत अधिक है । पानी, सीमेंट, ईंट, लोहा, सब किसान को मंहगा मिलता है लेकिन आप उसका अनाज मुफ्त में लेना चाहते हैं । मेरा कहना यह है कि आप जो अनाज लें उसका उचित मूल्य निर्धारित करें ।

श्री भानु प्रताप जी का मैं इस बात में समर्थन करता हूं कि जांच आयोग बैठायें और जो मुनासिब कीमत हो वह किसान को दें । लेकिन क्या आप वह काम करने के लिये तैयार हैं । आप तैयार नहीं हैं । नतीजा यह होगा कि आपकी योजनायें फेल होंगी । आप सोचें कि इन्दिरा गांधी का नाम लेकर वैतरणी पार कर जायेंगे तो यह होने को नहीं है । आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी नीतियों के पीछे क्या वास्तविकता है । अगर वास्तविकता से मुंह छिपायेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते । (लाल बत्ती होने पर) आपने लाल बत्ती दिखला दी । कहने को बहुत था लेकिन मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये बैठता हूं ।

*श्री उमा शंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह निर्विवाद है कि हमारा प्रदेश आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । इसका कारण क्या है ? जहां तक मैं सोच पाता हूं इसका मुख्य कारण कृषि की अवहेलना रही है । कृषि जो हमारी आर्थिक दशा का आधार है उसी की अवहेलना होती रही है। उसका एक कारण यह है कि आपका ध्यान बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ रहा और कृषि की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया । 18–20 वर्ष तक आप बड़े बड़े उद्योगों की तरफ देखते रहे जिससे कृषि उत्पादन कम हो गया और एक प्रकार से दुर्भिक्ष की स्थिति आ गयी । इसके बाद आपकी आंखें खुली और आपने हरित क्रांति का नारा लगाया ।

यह वास्तविकता है कि कुछ सिंचाई के साधन जुटाये, नये बीजों की खोज हुई और कृषि की उन्नति हुई । लेकिन वह क्षणिक थी । साल दो साल प्रगति हुई लेकिन वह फिर रुक गयी । इसका कारण था कि सरकार ने किसान को जो साधन कृषि के लिये आवश्यक थे वह उपलब्ध नहीं करायें । कुछ दैवी प्रकोप भी हुये । और कुछ अन्य कारण भी हुये । हमारे मंत्री महोदय भले ही सन्तुष्ट हों, लेकिन यह बात बिलकुल निर्विवाद है कि हमारी परफार्मेंस ठीक नहीं है, प्रोडक्शन ठीक नहीं है । अभी केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रि-बजट सर्वे किया था। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि हमारा कृषि का उत्पादन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बात और निवेदन करूंगा । जब आप भूमि की सीलिंग करने जा रहे हैं तब आपको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिये । थोड़े ही दिन हुये हरियाणा एग्रीकल्चर यनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर फिचर ने यह चेतावनी दी है कि हरित क्रांति लाने की जिम्मेदारी बड़े-बड़े काश्तकारों के ऊपर है । उन्होंने मेकेनाइज्ड फार्मों के जरियेहरित क्रांति लायी है । अब वे डिसइंटिग्रेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं । ऐसी सूरत में बहुत आवश्यक है कि इस विषय पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाये । अब यह देखना है कि छोटे काश्ताकारों को हम किस प्रकार सफल बनायें । आपके सामने सरकारी पक्ष की तरफ से मिसालें दी जाती हैं जापान, की थाइलैंड की, कोरिया की और इजराइल की जहां छोटे-छोटे काश्तकार बड़े सफल हैं, परन्तु आप देखें वहां की परिस्थितियों में और यहां की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अन्तर है । सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर —जनरल डा0 एम0 एस0 स्वामीनाथन ने कहा है कि जो हमारी रिसर्चेज होती हैं उनका लाभ हमारे यहां के काश्तकारों तक नहीं पंहुच पाता है । इस हरित क्राति का लाभ छोटे काश्तकारों तक नहीं पंहुच पाया । वह नहीं पंहुचेगा जब तक कि हम अच्छी तरह से साइन्स और टेक्निक्स की जानकारी काश्तकारों को नहीं करा देंगे । फिचर साहब के सुझाव के संदर्भ में इस बात की आवश्यकता है कि एक कन्डेस्ट कोर्स बनाया जाये । डिप्लोमा कोर्स किये हुये कर्मचारी देहात में जायें ताकि वे काश्तकारों को अच्छी तरह से समझा सकें ।

(श्री इन्द्र मणि के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बड़ोनी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आसन ग्रहण करें । माननीय उमा शंकर जी, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री उमा शंकर शुक्ल—

शोध कार्य के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि यहां पर हजारों आदमी शोध कार्य में लगे हैं, लेकिन उनका काश्तकारों से कोई सम्पर्क और सामंजस्य नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि व इसकी तरफ विशेष ध्यान दें । आप बी0एल0डब्लू0ज0 के माध्यम से काम लेते हैं । वे भी कोई टेक्निकल आदमी नहीं हैं । मैं तो यह निवेदन करूंगा उनके स्थान पर कृषि के डिप्लोमा होल्डरों को रखा जाय · · · ·

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री उमा शंकर शुक्ल—

बस 2 मिनट लूंगा । शोध कार्य के सम्बन्ध में आपसे एक बात कहूंगा । कृषि अनुसंधान संस्थान कानपुर में बहुत ही भ्रष्टाचार है । वहां जितने भी भी प्रोमोशन्स और एपाएन्टमेंट्स होते हैं वे रूल्स एन्ड रेगूलेशन्स के बिल्कुल विरु होते हैं । उसका परिणाम यह है कि वहां के लोग बहुत ही असन्तुष्ट हैं और उनकी रिट्स हाई कोर्ट में चल रही है । मैंने इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया था । उन्होंने यह लिखा है कि हम इसकी जांच करा लेंगे । लेकिन उन्होंने अभी तक किया कुछ नहीं है ।

दूसरी शाहजहांपुर शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कहूं जो उसके डाइरेक्टर हैं डाक्टर कीर्तिकर उनमें एक विशेष बात रही है, उनपर डिपार्टमेंट की कृपा रही है और पूरी सरविस वे करीब करीब शाहजहांपुर में ही रहे हैं । उनके कार्य से लोग वहां बड़े असंतुष्ट हैं और उनके खिलाफ विजिलेंस की इन्क्वायरी भी हुई । मुझे जानी इल्म है क्योंकि उनका

[श्री उमाशंकर शुक्ला]

वह निवास मेरे बंगले से करीब है और गवाहों पर बड़े बड़े दबाव पड़े और उनको तोड़ा गया। वे रात में शराब पीकर थर्ड और फोर्थ क्लास कर्मचारियों के घरों के दरवाजे खटखटाते हैं और दुन्द मचाते हैं जिसके कारण वहां बड़ा असंतोष फैला हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक बार कृपा करें और शाहजहांपुर जाकर स्वयं जांच करें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उमा शंकर जी, अब आप कृपा करके बैठें आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री रामप्यारे—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम प्यारे जी, आप केवल पांच मिनट लेंगे ।

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं मैं इस समय पर उन पर कहने वाला नहीं हूं लेकिन जो तथ्य हैं उनके बारे में ही कुछ कहूंगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं श्री राम प्यारे जी से एक जानकारी चाहता हूं कि उनकी राय में बिजली का भाव किसानों से क्या होना चाहिये ?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे ।

श्री रामप्यारे—

वह मैं बाद में बताऊंगा कि बिजली का रेट क्या होना चाहिये ?

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण जारी रखिये*।

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, मैं इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूं कि हमारा कृषि विभाग इस सूखे की कठिन परिस्थितियों में किस तरह काम करता रहा है और किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा है । मैं भानु प्रताप जी के तर्क से सहमत नहीं हूं कि सूखे का प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं आया। मैं उनको दावत देता हूं कि वह सूखा वाले क्षेत्रों में दौरे करें गौर तब उनको हकीकत ज्ञात हो जायगी । (व्यवधान)

श्री राम कुमार दीक्षित—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या माननीय राम प्यारे जी बता सकते हैं कि जब सूखा था तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया । न उनको खाद मिली न पानी मिला और प्रोडक्शन बढ़ गया। (व्यवधान) (शोर)

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, रिहन्द में पानी भरा होता अगर सूखा न होता, तो यह कहना कि सूखे का कोई असर प्रोडक्शन पर नहीं आया मैं नहीं मानता ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर सूखा नहीं होता तो रिहन्द में पानी होता और हम पानी दे सकते थे किसानों को बिजली दे सकते थे । लेकिन सूखे के कारण ही तो नहीं दे सके तो यह कहना कि सूखे से प्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ा बिल्कुल गलत बात है।

मुझे दुख है श्रीमन् कि माननीय रामपाल सिंह यादव जी जो कि सोशलिस्ट पार्टी के हैं मुझे उनसे बड़ी उम्मीद थी कि कई सुझाव कृषि के सम्बन्ध में देंगे लेकिन अधिकारियों और मंत्री जी पर केवल व्यक्तिगत आक्षेप किये हैं और मैं उसमें इस समय नहीं पड़ना चाहता। माननीय, मैं भी और आप भी दोनों ने फिलिपाइन, जापान, आदि देशों का दौरा एग्रो, इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन के सिलसिले में किया था । वहां आपने श्रीमन स्वयं देखता है कि किस तरह से जापान ने कृषि में तरक्की की है । यही कारण है कि वहां हमारे देश और प्रदेश में डेढ़ प्रतिशत प्रतिवर्ष कृषि की पैदावार बढ़ी है । वहां जापान ने अपने यहा 11 प्रतिशत कृषि की पैदावार बढ़ाई है । श्रीमन, आपने देखा है और सदन के बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां की एक एक इंच जमीन की उपयोगिता है । यही नहीं, वहां के कृषि विभाग ने इस तरह से व्यवस्था की है कि जो छोटे छोटे टुकड़े खेत के हैं उनके लिये भी उनके अनुसार पावर टिलर्स दिये हैं, उनके लिये बिजली की व्यवस्था है, उसी के अनुसार स्वायल कंजरवेशन का काम है । तो इसीलिये मैं कहता हूं कि इस प्रदेश में भी कृषि की उन्नति तभी हो सकती है जब कि छोटे छोटे किसानों के मदद करने की व्यवस्था की जाय ।

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो छोटे-छोटे किसान हैं और उन किसानों की स्थिति देखते हुए जो छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े हैं उनके अनुसार कृषि विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि उनको लाभ हो । जो सुविधायें आपने दी हैं वह बड़े किसानों को ही मिली हैं । आप छोटे-छोटे ट्रेक्टर इन छोटे किसानों के लिये बनवाइये । यदि पानी ऊपर से नहीं दे सकते हैं तो नीचे से पम्प लगवाकर दीजिये जिससे सिंचाई हो सके ।

श्री रामलखन—

मैं आपका ध्यान समय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

15 मिनट समय बढ़ा दिया जावेगा ।

*श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

कृषि मन्त्री जी के अनुदान के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । महोदय, यह कृषि प्रधान प्रदेश है । इसमें कृषि की उन्नति के लिये कृषि मन्त्री ने जो प्रयास किया है उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं लेकिन आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज कृषि विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने में कृषि मन्त्रीजी असमर्थ रहे हैं । यह विभाग सन् 1887 में स्थापित हुआ लेकिन 86 वर्ष हो गये इस विभाग के रूल्स नहीं बने हैं । इसके कारण कर्मचारियों पर ठीक से नियंत्रण नहीं हो पाता है इसलिये रूल्स रेगुलेशन्स बनाना बहुत आवश्यक है । नियम न होने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । ऐसा कोई सीड स्टोर नहीं है जहां लाखों और हजारों रुपये का गबन न हो ।

राज्य कृषि मन्त्रीजी ने कहा कि उन्होंने 600 सीड स्टोर के इन्चार्जों के ट्रांस्फर किये हैं । इससे तो सिर्फ यह हुआ कि आपने एक सीड स्टोर से दूसरे सीड स्टोर पर खाने का मौका दिया है । करना यह चाहिये था कि उनको स्वायल कन्जरवेशन में भेजते तो दूसरी स्कीमों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुखपाल पांडेय]
में भेजते जिससे उनको जानकारी होती कि किस तरह से उन्होंने लूट की है। आपके कृषि फार्म्स 156 से अधिक हैं जो घाटे पर चल रहे हैं। उन पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर पैदावार का बहुत सा भाग कर्मचारियों के पेट में चला जाता है और इस कारण सरकार का नुकसान हो रहा है। यहां पर कहा गया है कि छोटे किसान को बीज दिया गया है, उसको खाद दी गई है। आज जो खाद ब्लाक में बट रही है, किसान तबाह-बरबाद हो रहा है। बीज तब दिया गया जब किसान बो चुका था और वह खाने के काम में लाया गया, पैसा भी बरबाद हुआ और किसान तक नहीं पहुंच पाया। कीटाणु नाशक दवाइयों की ओर मैं बताऊं कि यह विभाग बहुत लम्बा चौड़ा और मेहनत करने वाला है लेकिन अपने जिले की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मार्च के महीने में कीटाणुनाशक दवाय भेजी गयीं छिड़काव के लिये जबकि फसल कट गयी थी सारे खेतों में और छिड़काव कर दिया गया और वह पैसा सभी ब्लाकों में पेमेन्ट करा दिया गया। एक ही ब्लाक है जहां पेमेन्ट नहीं हुआ है विक्रमजोत ब्लाक, वहां नहीं किया गया फरजी ढंग से। इस मामले की जांच करवायें कि कितने पैसे की बरबादी हुई है।

तिलहन के लिये हर क्षेत्र में वहत कार्य के लिये 2 लाख रुपये दिये गये थे जिसको लोग खा गये हैं, इसकी जांच होनी चाहिये। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस ढंग से करीब 2,24,000 रुपया बस्ती जिले को दिया गया था वह किसानों तक नहीं पहुंचा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आपको विजिलेंस विभाग पर बड़ा गर्व है लेकिन वह तो खुद ही भ्रष्ट विभाग है और 4–4, 6–6 साल तक जांच के लिये केस रखता है। कृषि विभाग से सबसे अधिक केस जांच के लिये भेजे गये लेकिन कुछ नहीं किया गया। जांच की नौबत ही वहां नहीं आती तो उससे क्या कल्याण होने वाला है। इससे प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। आप एक किसी ऐसे सेल की स्थापना करें जो तुरन्त जांच करके रिपोर्ट दे और सम्बन्धित दोषी आदमियों को दंड मिल। माननीय कृषि मन्त्री ने 26 अगस्त, 1971 में घोषणा की थी कि एक पुलिस सेल की स्थापना करें वह स्थापना किया 26 अगस्त के बाद आज, लेकिन उसमें कितने लोगों ने ज्वाइन किया? वह जानते हैं कि इस विभाग में पैसा नहीं मिलने वाला है (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट और दीजिए।

गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं। हम दो गुड़-गन्ने वाले आदमी हैं। ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 25 तारीख को गन्ने के दाम बढ़ाने के लिये मुख्यमन्त्री जी ने घोषणा की थी और 5 तारीख के गन्ने का दाम दिया जा रहा है, बढ़ा हुआ दिया जा रहा है––इससे प्रदेश को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को––मैं तो बस्ती और गोंडा के बारे में ही कुछ ही जिलों की बात जानता हूं देवरिया और गोरखपुर को छोड़कर मैं बताना चाहता हूं कि एक एक चीनी मिल पर एक–एक डेढ़-डेढ़ लाख रुपया किसानों का बकाया है। मैं मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि उद्योग मन्त्री जी के माध्यम से उस पैसे को दिलवायें।

श्री अधिष्ठाता––
माननीय सुखपाल पांडेय। आपका समय समाप्त हुआ। चौधरी रामपाल सिंह।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––
मैं जानकारी चाहता हूं कि प्रश्नों के घंटों के बाद मैंने एक ध्यान आकृष्ट किया था कि 17 सौ जूनियर डाक्टर हड़ताल पर हैं, 18–4–73 से। उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है। तो राज्यमन्त्री माननीय प्रेमचन्द्र जी से वक्तव्य अनुदान की समाप्ति पर दिलायेंगे, तो क्या अनुदान के बाद वक्तव्य होगा?

श्री अधिष्ठाता—

उपाध्यक्ष जी आवेंगे तो बतला देंगे ।

श्री इंद्रमणि—

मुझे 5 मिनट दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं है । अभी कटौती का जिन्होंने प्रस्ताव किया था वह बतलायेंगे, मन्त्री जी बोलेंगे..... (व्यवधान)

श्री इन्द्रमणि—

पहाड़वालों की अलग समस्यायें हैं खेती की । हमें मौका दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर सदन समय बढ़ाने को तैयार हो.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

15 मिनट समय बढ़ाने का तो आपको अधिकार है ही ।

श्री अधिष्ठाता—

15 मिनट बढ़ाकर भी कट मोशन पर जवाब और मन्त्री जी का जवाब नहीं हो पायेगा ।

श्री इन्द्रमणि—

आपकी व्यवस्था से घोर असन्तोष है । केवल मुझे ही नहीं बल्कि पहाड़ की 38 लाख जनता को घोर असन्तोष होगा । आपने चूंकि मुझे समय नहीं दिया इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री इन्द्रमणि सदन का त्याग करके चले गये ।)

*चौधरी रामपाल सिंह यादव—

हमारे समय में से 5 मिनट का समय इनको दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

वह जा रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय रामपाल जी ने यह कह दिया कि उनके समय में से 5 मिनट काट कर बड़ौनी जी को दे दिया जाय.....

श्री अधिष्ठाता—

अगर रामपाल जी यह अधिकार दे दें कि कटौती का जवाब वह दे दें तो उनको समय दिया जा सकता है ।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

आपने मुझे समय देने के लिये कहा था । (व्यवधान)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

जिस बजट पर चर्चा हो रही है इस बजट को.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—
श्रीमन् .....

श्री अधिष्ठाता—
आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—
जी हां । आपने कहा था कि जब आप खड़े होंगे तो मैं आपको समय दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—
मैंने यह कहा था कि आप खड़े होइये, आप अपना चान्स लीजिए, जिस पर मेरी निगाह पड़ेगी उसको समय दूंगा ।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—
मुझे आप नहीं देख पाये इसका मुझे अफसोस है और इसी बात पर मैं सदन त्याग कर जा रहा हूं ।

(श्री ज्वाला प्रसाद कुरील सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

*चौधरी रामपाल सिंह यादव—
जिस बजट पर चर्चा हो रही है इस बजट को इस प्रदेश की नौकरशाही की तरफ से बनाया गया है । यही एक कारण है कि इस बजट में दर्जनों ऐसी मदें हैं जिनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है लाखों रुपये की मदें इसीलिये रखी गयी हैं कि नौकरशाही उसमें लूट करें । इनका एक कृषि अभियंत्रण विभाग है जिसके लिये इन्होंने 17,53,400 रुपये इस बजट में रखे हैं । इस धनराशि का कृषक के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं होगा । इस विभाग के एक भी कर्मचारी को बता दें जो गांवों में जा कर किसानों को अभियंत्रणों के संबंध में अपनी राय देता हो । जो इसके असिस्टेंट इंजीनियर हैं वह निदेशक महोदय के यहां हाजिरी देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—
आप कटौती का जवाब दें, नये प्वाइंट्स अब शुरू न करें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—
यह जो लगभग 17 लाख रुपया बजट में रखा गया है इसका किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । किसान के पास इनका एक भी कर्मचारी नहीं जाता। प्रदेश में सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिये आप 920 ग्राम सेवकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं । सिंचाई विभाग की ओर से इस कार्य के लिये निरीक्षकों के पद का भी सृजन किया जा रहा है । मान्यवर, इन सबकी नियुक्ति बेकार होगी । यह कोई काम नहीं करेंगे । आखिर सामुदायिक विकास विभाग के जो ग्राम सेवक हैं उनसे ही यह काम लिया जा सकता है । आज सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के काम की देख रेख 3 विभाग करते हैं । यह सब काम सामुदायिक विकास के ग्राम सेवकों से लिया जा सकता है । आप इस जिम्मेदारी को उनके ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते ? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से क्यों फूंका जा रहा है ।

मान्यवर, कृषि विभाग में 46 हजार कर्मचारी काम करते है । यह 46 हजार की इनकी पलटन सामुदायिक विकास विभाग को सौंप दी जानी चाहिये । बलवन्त राय मेहता कमेटी की भी यह सिफारिश थी कि यह जिम्मेदारी सामुदायिक विकास विभाग को सौंप दी जाय । इस प्रकार यह जो 21 लाख रुपये की धनराशि यह सब नियुक्तियां करने के लिये रखी गयी हैं व्यर्थ में बरबाद होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, कुछ जीपें भी खरीदी जायेंगी । इन जीपों का इस्तेमाल अधिकारियों के बच्चों को सिनेमा दिखाने या घुमाने के काम में लिया जायेगा । और कोई उपयोग इनका नहीं होगा ।

स्थानीय खाद आदि का उत्पादन बढ़ाने की योजना पर जो 16,92,500 रुपये रखे गये हैं यह भी सब रुपया व्यर्थ में जायेगा । आप कम्पोज्ड खाद जैसी खाद बनाने के लिये यह धन राशि रख रहे हैं । मगर आज गांव में कोई कर्मचारी नहीं है जो यह बता सके किसानों को कम्पोज्ड खाद कैसे बनती है । यह रुपया भी आपका बेकार चला जायेगा । यह कार्य तो ग्राम सेवकों को दिया जाना चाहिये । वे इस काम को कर सकते हैं । लेकिन इस मद में इतना रुपया रख कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के लिये एक रास्ता बनाया जा रहा है । किसानों का इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

1967 में इन्डो-यू0के0 यूरिया स्कीम के अन्तर्गत 32 लाख रुपया रखा गया था । यह यूरिया लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर, बलिया के ब्लाकों के लिये इस्तेमाल होना था । मगर ऐसा नहीं किया गया । यह सब जिला कृषि अधिकारी उन्नाव और जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ को दे दिया गया और आज तक यह 32 लाख का रकम घपले में पड़ी हुई है ।

श्री अधिष्ठाता---

आप उत्तर दे रहे हैं या नये-नये प्वाइंट्स उठा रहे हैं ?

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

श्रीमन्, उत्तर तो मंत्री जी देंगे । मैं तो इनके विभाग में जो घपला है उसे बता रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि इस यूरिया खाद में लाखों रुपयों का घपला है । इसे मंत्री जी देखें । कृषि विभाग के आडिटर ने सारे कागजात जांच के लिये मांगे मगर उसे कागजात नहीं दिखाये गये । उन्हें कागजात नहीं मिल पा रहे हैं ।

इस प्रकार मान्यवर, इस बजट में बहुत सी मदें ऐसी हैं जिनमें लाखों रुपया कृषि विभाग महज लूटने और खाने पीने के लिये रख लिया है । इसी का नतीजा यह हो रहा है कि प्रदेश में खेती की उपज नहीं बढ़ रही है ।

भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही गयी हैं । कृषि अधिकारी, हरदोई के बारे में भ्रष्टाचार से संबंधित एक पत्र जिसमें हरदोई के अन्य 4-4 विधायकों के भी हस्ताक्षर थे, माननीय मंत्री जी को दिया गया, मगर आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जो उप निदेशक महोदय हैं वे बराबर तारीख बढ़ा देते हैं, मगर आज तक जांच के लिये नहीं गये । ऐसे कृषि अधिकारी का तो फौरन ट्रांसफर कर देना चाहिये फिर उसकी जांच होना चाहिये ।

लखनऊ के ही पास जो जुग्गौर गन्ना सहकारी समिति है वहां 4-5 लाख का गबन है । उसके अध्यक्ष 4-5 लाख रुपये का गबन करके लखनऊ में रह रहे हैं । पुलिस में दफा 409 का मुकदमा भी दर्ज है । मगर आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है । मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें और उचित कार्यवाही शीघ्र करें ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप दो मिनट में समाप्त करें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

नहीं, अभी हमें 15 मिनट आप और दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

15 मिनट नहीं, अच्छा आप 5 मिनट और ले लें ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

कानपुर में कृषि विज्ञान संस्थान है, जिसके बारे में कल भी चर्चा हुई ।

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि यह मर्शिया पढ़ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? आप इनको रोकिये, यह केवल जवाब दें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

(इस समय 4 बज कर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मैं कृषि मन्त्री जी का जवाब-तलब कर रहा हूं । कानपुर का कृषि विज्ञान संस्थान 1966 से बराबर चल रहा है, तब से इसका बराबर तरक्की हो रही है । सन् 1969 में प्रदेशीय सरकार ने इसका पुनर्गठन किया जिसमें शिक्षा अनुसंधान व प्रसार परीक्षण का एकीकरण करके उसे एक संस्थान का स्तर प्रदान किया गया और कृषि के प्रसार कार्य से पृथक करके एक निदेशक के अधीन इसे कर दिया गया । उक्त कार्य को 1971 में पूरा किया गया और उसने बड़ी प्रगति की । लेकिन बाद में शासन ने कहा कि इसमें से शोध केन्द्र कृषि विभाग को वापस दे दिये जायें । माननीय मुख्य मन्त्री जी जब इसमें हस्तक्षेप किया तो यह किसी तरह रुक गया तथा इसके लिये एक कमेटी बनी गई और उसने यह रिपोर्ट दी कि इस संस्था में शोध केन्द्र रहना चाहिये । उसने यह रिपोर्ट दी कि कृषि शिक्षा व शोध का कार्य कृषि विश्वविद्यालयों अथवा कृषि विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत रहे । और इसे कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिणत कर देना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में पंचम पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय कार्यकारी दल ने भी सिफारिश की है कि प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना—एक फैजाबाद में और एक कानपुर में की जाये । इन सबके बावजूद शासन ने फिर वही आदेश दे दिये हैं कि ये जो इसके अन्तर्गत शोध केन्द्र हैं वे कृषि विभाग को वापस कर दिये जायें । जो समिति की रिपोर्ट है, मुख्यमन्त्री की राय है, सदन की राय है कि कानपुर के संस्थान को कृषि विश्वविद्यालय बना दिया जाए यह उसके खिलाफ है । एक सचिव, निदेशक ने यह टिप्पणी कर दी कि कानपुर की जनता में इसके लिये कोई जागृति नहीं है, इसलिये वहां पर विश्वविद्यालय खोलने की कोई जरूरत नहीं है । मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि कानपुर की जनता भी सचेत है । सभी वहां के विधायकों ने बैठकर प्रस्ताव पास करके दिया था कि यदि कानपुर के कृषि विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय नहीं बनाया तो कानपुर की जनता इसके लिये बड़ा उग्र आन्दोलन करेगी । वहां पर सारे साधन और सारी सुविधायें उपलब्ध हैं वहां न बनाकर उसे दूसरी जगह हटाना सर्वथा अनुचित है । और एक फैजाबाद में आये, इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन दूसरा कानपुर में ही रहे, उसको विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया जाये । केन्द्र की दृष्टि से बुन्देलखण्ड के लोगों के लिये भी आवश्यक है कि वह कानपुर में हो । यदि यह नहीं होता है तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि कानपुर की जनता और विधायक एक आन्दोलन खड़ा करेंगे ।

आज से कल तक मैंने भी कई बार कई प्रकार के भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप राज्यमन्त्री जी व सरकारी कर्मचारियों पर लगाये हैं । मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी करें और आवश्यक कार्यवाही करें । आज कृषि विभाग एक ऐसा विभाग बन गया है, जहां पर बड़े-बड़े सब अफसर एक ही स्तर के हैं, सब एक ही बिरादरी के हैं । उन्होंने एक गोल बना रखा है और वह कृषि विभाग को चौपट किये जा रहे हैं । कृषि निदेशक के विषय में तो

सभी सदस्यों ने कहा है कि उनमें योग्यता नहीं है, उनको हटाया जाए और जो उनके साथ सीनियर हों, उनको उस पद पर रखा जाये। एक से योग्य पड़े हैं श्री डी० पी० सिंह हैं जिन्होंने कृषि की उच्चतम शिक्षा विदेशों में जाकर प्राप्त की है। लेकिन वर्तमान निदेशक अपना चापलूसी के कारण आज इस जगह पर विराजमान है, वे उसके कतई योग्य नहीं है और अपना एक गोल बनाकर वह प्रदेश के कृषि विभाग को चौपट कर रहे हैं।

सदन में जितने भी सदस्य बोले हैं पक्ष तथा विपक्ष के सबने सरकार के भ्रष्ट कर्मचारियों की ओर निकम्मेपन की खुले तौर से आलोचना की है इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से सभी ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और सदन से अपील करूंगा कि नौकरशाही के दिमाग को ठीक करने के लिये मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री रामलखन--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस अनुदान पर अपने विचार प्रकट किये तथा सुझाव दिये अथवा आलोचना की। कृषि उत्पादन के विषय में तथा विभाग के सुधार के लिये जो सुझाव दिये गये हैं मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस पर जरूर विचार होगा और उनके सुझावों के अनुरूप कार्यवाही की जायगी।

कृषि का उत्पादन तीन चीजों पर निर्भर करता है अच्छा बीज हो, अच्छी खाद हो और समय से पानी उपलब्ध हो। लेकिन इसके बावजूद कृषि के उत्पादन के रास्ते में दैवी आपदायें हैं--सूखा है, बाढ़ है, अनेक तरह की व्याधियां हैं और इनसे निबटने के बाद उत्पादन बढ़ता है। प्रति हेक्टर कृषि का उत्पादन कितना हमारे प्रदेश में बढ़ा उसके बारे में राज्य मंत्री बता चुके हैं। थोड़ी सी बात मैं भी बतलाये देता हूं कि गेहूं का उत्पादन हमारे प्रदेश में 23.20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। धान का उत्पादन 16-09 से बढ़कर 19 प्रतिशत, मक्का का उत्पादन 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है और इसी प्रकार आलू तथा तिलहन का उत्पादन और अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। (व्यवधान) मेरी बातें आप ध्यान से सुन लें। यादव जी ने कहा कि आपके समय में क्या बढ़ा ? मैं तो 10 महीने से आया हूं। (व्यवधान) 10 महीने का नतीजा मैं बतला रहा हूं। खरीफ की पैदावार सूबे में सबसे अधिक रिकार्ड तोड़ हुये है। धान की पैदावारी घटी है लेकिन खरीफ की दूसरी फसलों का उत्पादन बढ़ा है और यह विश्वास है कि रबी की फसल का उत्पादन पिछली फसलों के मुकाबले बढ़ेगा।

एक माननीय सदस्य ने कानपुर कृषि विश्वविद्यालय का जिक्र किया पता नहीं कैसे लोगों के विभाग में यह गलत-फहमी है कि कानपुर कृषि विज्ञान संस्थान का स्तर गिराया जा रहा है। कैसे गिराया जा रहा है और किस माने में गिराया जा रहा है, यह किसी ने नहीं बताया। खाली यह कहा जाय कि कौवा कान ले जा रहा है, ठीक नहीं है। शासन के किस स्तर पर उन्होंने ऐसा पाया है, यह नहीं बताया गया। हमारे ठाकुर साहब ने बताया कि इसे कृषि विभाग से अलग कर दिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि वह तो पहले से उससे अलग है। वह निदेशालय के अन्तर्गत नहीं है अगर वे कृषि मन्त्री के अन्तर्गत भी न रहे वह चाहते हों तो दूसरी बात है।

श्री राम कुमार दीक्षित--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री राम लखन--

आप मेरी बात को पहले ध्यान से सुन लें उसके बाद आप स्पष्टीकरण करवा सकते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि डाकुर साहब से आपका मतलब मुझसे है तो मैंने कभी नहीं कहा कि कानपुर कालेज को अलग कर दिया जाय। आपने गलत सुन लिया। किसी और ठाकुर साहब की बात आपने सुनी होगी।

श्री राम लखन—

अच्छा ठीक है, किसी माननीय सदस्य ने कहा कि कानपुर कृषि विज्ञान संस्था को एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट से अलग कर दिया जाय। तो वह निदेशालय से बिल्कुल अलग है। जहां तक शोध और प्रसार का सवाल है, कानपुर का यह कृषि विज्ञान संस्था और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय दोनों ही, इस क्षेत्र में बिलकुल स्वतंत्र हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो गई है। जैसा कि हमारे भाई रामपाल जी के भाषण से मालूम हुआ कि रीजनल रिसर्च स्टेशन से लिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कृषि विज्ञान संस्था को हमारे नियमों के अनुसार भारतीय कृषि परिषद् और भारतीय एग्रिकल्चरल कमीशन जो बना था उसकी संस्तुतियों के अनुसार यह किया गया कि हर रीजन में एक-एक वहां की मिट्टी और जलवायु को देखते हुए स्टेशन (फार्म) दिये जायं जो कि वेल-इक्विप्ड हों।

यह भी संस्तुति की गयी कि ये शोध संस्थान अपने शोधों के जरिये से जो संस्तुति करें उसे एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट के पास वराइटी टेस्टिंग के लिये साधन होने चाहिये ताकि विभिन्न किस्मों की जलवायु में परिक्षण किया जा सके। इस संस्तुति के ऊपर हमारे मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि आई०सी० आर० के आदमी कानपुर कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि के विशषज्ञ तथा अन्य दूसरे कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने भी कृषि विज्ञान संस्था डाक्टर डी०पी० सिंह की मौजूदगी में यह संस्तुति की कि कृषि कमीशन ने जो संस्तुति की है या आई० सी० आर० ने जो संस्तुति की है उसके अनुसार शोध के लिये हर रीजन में एक वेल-इक्विप्ड फार्म होना चाहिये। इसके लिये कानपुर संस्थान के लिये क्षेत्र निर्धारित किया गया है, पंतनगर विश्वविद्यालय में, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में इक्सटेंशन करके क्षेत्र निर्धारित कर दिये गये हैं। इसलिये यह कहना कि इनका स्तर गिरता जा रहा है, ठीक नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय बनाने के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार यह महसूस करती है कि हमारे प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। कानपुर का कृषि विज्ञान संस्थान में सारी चीजें मौजूद हैं सिर्फ नया परिवर्तित करना है। उसके लिये घोषणा हो चुकी है कि कानपुर कृषि विश्वविद्यालय बनायेंगे, फैजाबाद में बनायेंगे और इसी तरह से जो पिछड़े हुये इलाके हैं, वहां भी कृषि विश्वविद्यालय बनायेंगे।

एक चीज हमारे माननीय सदस्य ने यह बतलायी—खासतौर से कटौती के प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय रामपाल सिंह जी ने बतलाया कि बहुत बड़ी संख्या में बेकार और ऊसर जमीन पड़ी है। उनके अनुसार डाक्टर लोहिया ने कहा था कि इसके लिये भूमि सेना बनायी जायगी और इस भूमि सेना को बना कर वह भूमि भूमिहीनों और हरिजनों में वितरित किया जाय। मुझे आश्चर्य होता है कि आप किस लिये बैठे हुए हैं? भूमि सेना सरकार बना दे, भूमि उनको दे दे, उनको तोड़वा दे, जोत दे, बोवा दे और आप नेता बने रहें और कहें कि हमने करा दिया? भूमि सेना बनाने से आपको कौन रोक रहा है? क्या आपको मालूम नहीं है कि कितनी जमीन ऊसर, बंजर व परती पड़ी हुई है जिनका सही डिस्ट्रब्यूशन होना चाहिये था? हम भी गांव के रहने वाले हैं और हमने देखा है कि श्री रामपाल सिंह जी जैसे जबरदस्त लट्ठबाज लोगों ने उन जमीनों पर कब्जा कर रखा है।

कागज में तो ऊसर, बंजर, परती दर्ज है लेकिन मौके पर जाकर देखिये तो सारे प्रदेश में कहीं भी बंजर भूमि नहीं है सरकार अब कोशिश कर रही है कि इस तरह की भूमि पर जिन लोगों ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है, चाहे वह गांव समाज की हो या सीलिंग की हो उनसे निकाल कर उसे भूमिहीनों और छोटे किसानों को दें। जो छोटे किसान हैं उनको सरकार मदद करती है, उनको बीज देती है, उनको खाद देती है, उनको फर्टिलाइजर देती है और जैसा कि मैंने कल भी बतलाया था कि खाद का जो वितरण किया गया है उनमें से 90 प्रतिशत खाद का वितरण एक-एकड़ तक के किसानों को किया गया है, छोटे किसानों को किया गया है। कृषि विभाग ने खाद का वितरण जो होता था उसे रोक दिया है कि उसकी नकद बिक्री न हो जिससे चोर-बाजारी रुक सके। नकद बिक्री जब होती है तभी चोर-बाजारी की शिकायत होती है। यदि किसी को 10 बोरी खाद की जरूरत हो और पैसे देकर 50 बोरी खाद खरीद लेगा तो उसे चोर-बाजारी में बेचेगा ही। इसीलिये खाद की नकद बिक्री पर रोक लगायी गयी है।

हमारे माननीय चन्द्रभान शर्मा जी और श्री रामपाल सिंह जी ने बतलाया कि थ्रेशर्स की खरीद में बड़ी गड़बड़ी हुई है। यह भी कहा गया है कि विजिलेंस में डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर के खिलाफ रिपोर्ट दी। पता नहीं कैसे यह उनको पता चल गया कि थ्रेशर के खरीद में 80 लाख रुपया खर्च किया गया। हमसे स्पष्ट बतला दिया था असेम्बली में कि 54 लाख रुपये के थ्रेशर खरीदे गये थे और वह भी मंजूरशुदा फर्म से रेट कांट्रेक्ट रेट के ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री रामलखन––

मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

तो मैं सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ा देता हूं।

श्री रामलखन––

फिर पता नहीं कैसे कहा गया कि थ्रेशर्स की खरीद में गड़बड़ी हुई। इस सम्बन्ध में न किसी के खिलाफ इन्क्वारी हुई और न बिजिलेंस की कोई रिपोर्ट आयी। माननीय सदस्य ने पता नहीं कैसे कह दिया कि किसी सेक्रेटरी या डाइरेक्टर की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित नहीं किया गया। जहां तक मेरी जानकारी है 71–72 में अधिकारियों को जो एंट्री दी गयी है वह शायद हमारे भूतपूर्व कृषि मन्त्री ने जून के अन्दर दी है और उन्होंने सभी अधिकारियों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया है तथा उनके कार्यों की प्रशंसा की है। 72–73 की एंट्री अभी दी नहीं गयी है और न किसी के सत्यनिष्ठा के प्रमाण को ही रोका गया है। न मालूम कहां से उनको सूचना मिली, केवल हवा की बात करते हैं। इसी तरह से जो अच्छे अधिकारी हैं उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के झूठे अरोप लगा कर उनको डिमोरेलाइज करने की जो नीति है वह बिल्कुल गलत है।

श्री चन्द्रभान शर्मा––

लखनऊ की फर्म को जो 30 टन लोहा दिया गया और 5 लाख रुपया कस्टम को देना पड़ा, उसकी भी आप जांच करायेंगे ?

श्री रामलखन––

आपने बहुत सी गड़बड़ियों की तरफ ध्यान दिलाया है उनकी जांच कराऊंगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मन्त्री जी कलकत्ते वाली फर्म की जांच करा लेंगे ?

श्री रामलखन—

कलकत्ते वाली हो या बम्बई की हो, सबकी जांच करा लूंगा। ट्रैक्टर्स मंगाये गये। इसकी जांच करा लूंगा। आज आपने हाउस में बताया है। पहले कभी नहीं बताया।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, जब मालूम हुआ तब बताया। अब मन्त्री जी इसकी जांच करा लें।

श्री रामलखन—

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उस पर विचार करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं जांच करूंगा और दोषी अधिकारी चाहे छोटे हो या बड़े हों, उनको दण्ड दूंगा। हम प्रयास करेंगे कि हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़े।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार बम्बई और कलकत्ता वगैरा में जो रेट्स हैं बिजली के. . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान 21—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,14,45,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—उप-निवेशन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,42,63,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45 के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45—कृषि योजनाओं पर पूजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,48,16,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जूनियर डाक्टरों द्वारा सम्भावित हड़ताल के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री की सूचना

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, आज सदन में यह प्रश्न किया गया था कि जूनियर डाक्टरों के संबंध में क्या तय हुआ । स्वास्थ्य मन्त्री जी ने मुझे बताया था, इस मामले का फैसला मेरे हाथ में था और मैं भी देख रहा था, उन्होंने बताया कि इसका उत्तर देना है। मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मैं इस मामले में बहुत कुछ बातचीत कर चुका हूं । आज भी बहुत देर तक विचार विनिमय किया है। 2-3 दिन के अन्दर, कल परसों तक निर्णय हो जायगा कि हमें क्या करना है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जूनियर डाक्टर जो हड़ताल पर जा रहे हैं क्या उन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह 8 तारीख को पूछिये ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

वह तो आज रात को 12 बजे से हड़ताल पर जा रहे हैं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 6 प्रस्ताव आये थे जिनमें से एक मिर्जापुर में जनसंघ के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज तथा जेल में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में है श्री सूबेदार प्रसाद, श्री राम निहोर राय, श्री नित्यानन्द स्वामी और श्री जगन्नाथ खन्ना का इसके लिये चूंकि कल माधव प्रसाद जी ने और अन्य लोगों ने कल भी आग्रह किया था इसलिये केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

शेष सभी को अस्वीकार कर दिया गया है ।

अब हम उठते हैं और 8 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर मंगलवार 8 मई, 1973 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
4 मई, 1973 ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1141 पर)

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ चिकित्सालयों को वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 में दिये गये अनुदान की सूची

तालिका–1

	71–72		72–73	
	आवर्तक		अनावर्तक	
	1971–72	1972–73	1971–72	1972–73
क—स्वैच्छिक संस्थायें (चिकित्सालय)—				
	रु0	रु0	रु0	रु0
1—लेप्रोसी मिशन अस्पताल, नैनी, इलाहाबाद ..	40,184	39,536	शून्य	शून्य
2—लेप्रोसी मिशन अस्पताल, अल्मोड़ा ..	14,004	14,028	शून्य	शून्य
3—लेप्रोसी मिशन अस्पताल, पिथौरागढ़ ..	11,200	11,200	शून्य	शून्य
4—(अ) लेप्रोसी मिशन अस्पताल, जमूरतगंज, फैजाबाद	36,000	33,552	शून्य	शून्य
(ब) बेलेसले बेली चिल्ड्रेन सेनेटोरिया, फैजाबाद	4,100	4,100	शून्य	शून्य
5—कुष्ठ चिकित्सालय निशातगंज, लखनऊ ..	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6—भगवान देई चिकित्सालय, कानपुर ..	शून्य	शून्य	शून्य	20,000
7—कुष्ठ चिकित्सालय, मुरादाबाद ..	7,164	7,200	शून्य	शून्य
8—कुष्ठ चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल ..	16,124	16,268	शून्य	शून्य
9—महापालिका चिकित्सालय, ताजगंज, आगरा ..	6,196	8,688	शून्य	शून्य
10—कुष्ठ चिकित्सालय, श्रीनगर, पौड़ी-गढ़वाल ..	12,000	12,000	शून्य	शून्य
11—गुप्ता चिकित्सालय, खीरी	1,548	1,548	शून्य	शून्य
12—कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर	21,900	21,900	10,000	5,000
13—कुष्ठ सेवाश्रम, बस्ती ..	शून्य	शून्य	5,300	28,000

	71–72		72–73	
	आवर्तक		अनावर्तक	
	1971–72	1972–73	1971–72	1972–73
14—लेप्रोसी कालोनी मुनीकी-रेती, टिहरी गढ़वाल ..	10,000	शून्य	शून्य	शून्य
15—जापान लेप्रोसी मिशन जाहमा, आगरा ..	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16—बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया ..	शून्य	शून्य	7,200	15,500
17—कुष्ठ सेवाश्रम, गोंडा ..	शून्य	शून्य	14,500	28,100
18—कुष्ठ सेवाश्रम, बसियाराम दोहरीघाट, आजमगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	1,000
19—जिला कुष्ठ निरोध समिति, आजमगढ़ ..	शून्य	शून्य	शून्य	9,000
20—काशी कुष्ठ सेवाश्रम, वाराणसी ..	25,000	25,000	3,000	शून्य
21—जिला कुष्ठ निरोध एवं सेवा समिति, गाजीपुर ..	शून्य	शून्य	शून्य	4,700

विधान सभा सचिवालय

तालिका–2

उत्तर प्रदेश में कुल स्वैच्छिक संस्थाओं में वर्ष 1972 अप्रैल से मार्च, 1973 तक रोगियों की संख्या

स्वैच्छिक संस्थाओं का नाम	अन्तर्वासी रोगियों की संख्या
1—लेप्रोसी मिशन हास्पिटल, नैनी, इलाहाबाद ..	1001
2—लेप्रोसी मिशन हास्पिटल, अल्मोड़ा	979
3—लेप्रोसी मिशन हास्पिटल चंडक, पिथौरागढ़ ..	368
4—लेप्रोसी मिशन हास्पिटल, जमूरतगंज, फैजाबाद ..	944
5 (ब) बेलेसले बेली चिल्ड्रेन टोरियम, फैजाबाद ..	400
5—कुष्ठ चिकित्सालय, निशातगंज, लखनऊ ..	82
6—भगवान देई चिकित्सालय, कानपुर	141
7—कुष्ठ चिकित्सालय, मुरादाबाद	200
8—महापालिका चिकित्सालय, आगरा	352
9—कुष्ठ चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल ..	1189
10—कुष्ठ चिकित्सालय श्रीनगर (पौड़ी-गढ़वाल) ..	सूचना एकत्र की जा रही है
11—गुप्ता चिकित्सालय, खीरी	44
12—कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर ..	1510
13—कुष्ठ सेवाश्रम, बस्ती	36
14—लेप्रोसी कालोनी मुनिकीरेती, टेहरी गढ़वाल ..	सूचना एकत्र की जा रही है
15—जापान लिप्रोसी मिशन जालमा, आगरा ..	215
16—बाबा राघव दास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया ..	सूचना एकत्र की जा रही है
17—कुष्ठ सेवा आश्रम, गोण्डा	(अन्तर्वासी कक्ष नहीं है)
18—कुष्ठ सेवा आश्रम, आजमगढ़	(अन्तर्वासी कक्ष नहीं है)
19—जिला कुष्ठ निरोग समिति, आजमगढ़ ..	(अन्तर्वासी कक्ष नहीं है)
20—काशी कुष्ठ संघ, वाराणसी	286
21—कुष्ठ निरोध समिति, गाजीपुर ..	18

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1151 पर)

संस्था का नाम	शासन द्वारा दी गई स्वीकृति			
	रख-रखाव	साज-सज्जा	निर्माण	योग
	रु०	रु०	रु०	रु०
1—मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ ..	10,000	3,000	..	14,000
2—गाजीपुर होम्योपैथिक कालेज गाजीपुर ..	2,225	4,000	..	6,225
3—तिलकधारी होम्योपैथिक कालेज, जौनपुर ।	000	3,000	13,650	19,650
4—होम्योपैथिक कालेज सिगाड़ी, बिजनौर ..	..	5,000		5,000
5—दुर्गा होम्योपैथिक कालेज चदसर, आजमगढ़ ..	..	8,000	42,500	50,500
6—इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज ..	3,000	2,000	..	5,000
7—के० जी० के० होम्योपैथिक कालेज, मुरादाबाद ..	2,000	3,000	..	5,000
8—लालबहादुर होम्योपैथिक कालेज, इलाहाबाद ..	4,000	5,000	..	9,000
9—कानपुर होम्योपैथिक कालेज, कानपुर ..	2,000	2,500	..	4,500
				1,17,875

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ए० एल० ए०—1974—835—(मैग6) ।